लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

1-6-92
20-12-83
Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19—शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1965/19 भाद्र, 1887 (शक)

No. 19—Friday, September 10, 1965/Bhadra 19, 1887 (Sak)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
539	बिहार के लिये रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission for Bihar	1923–25
540	जापानी इस्पात उत्पाद	Japanese Steel Products	1925–26
541	बिजली से चलने वाले रेलवे इंजनों का आयात	Import of Electric Locomotives	1926–28
542	गोरखपुर के निकट पार्सल एक्सप्रेस में दंगा	Rioting incident in Parcel Express Train near Gorakhpur	1928–30
543	कच्चे माल के डिपो	Raw Material Depots	1930–32
544	कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे	Circular Railway in Calcutta	1932–35
545	अमरीका को कपड़े तथा दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	Export of Textiles and Handicrafts to U.S.A.	1936–39
546	रूरकेला के पास कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant near Rourkela	1940–41
547	ऐल्यूमिनियम प्रतिस्थापन (सबस्टीट्यूशन) कार्यक्रम	Aluminium Substitution Programme	1941–42
549	कोयला एकत्रीकरण स्थल (डम्प)	Coal Dumps	1942–43

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
548	उत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Northern Railway	1943–44
550	इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Steel Plants	1944
551	चाय वित्त निगम	Tea Finance Corporation	1944

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked obove the name of Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
552	भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण-विभाग के साथ विलय	Merger of Indian Bureau of Mines .	1944-45
553	"टिस्को" और "इस्को" को दिये गये ऋण	Loans to TISCO and IISCO .	1945
554	पटसन का निर्यात	Export of Jute .	1946
555	पाकिस्तान से मछली का आयात	Import of Fish from Pakistan .	1946
556	बाक्साइट की खोज	Discovery of Bauxite . . .	1946
557	दुर्गापूर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant.	1947
558	भारत-रूस व्यापार करार	Indo-Soviet Trade Agreement .	1947
559	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car . .	1947-48
560	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car .	1948
561	तीसरी श्रेणी के टिकट जारी करना	Issue of Third Class Tickets . .	1948-49
562	नकसल बाड़ी स्टेशन पर रेल की टक्कर	Train Collision at Naksalbari Station	1949-50
563	सीसे की कमी	Shortage of Lead . .	1950
564	औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences . .	1950
565	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार	Trade with African Countries	1951
566	नमक का निर्यात	Export of Salt . . .	1951
567	कोलम्बिया में मशीनी औजार कारखाना	Machine Tool Factory in Columbia	1951-52
568	विराल स्टेशन पर रेलगाड़ी का रोका जाना	Detention of Train at Biral Station .	1952

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1872	सिकन्दराबाद के पास गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Secunderabad .	1952
1873	पंजाब में रेशम-कीट पालन उद्योग	Sericulture in Punjab .	1953
1874	अबाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone .	1953
1875	केरल में उद्योग	Industries in Kerala . . .	1953-54
1876	केरल का औद्योगिक विकास	Industrial Development in Kerala	1954-55
1877	केरल में भूमि अर्जन	Acquisition of Land in Kerala .	1955
1878	कच्चे लोहे की भट्टियां	Pig Iron Furnaces . . .	1955-56
1879	रांची-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Ranchi-Howrah Express	1956

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1880	ऊंची श्रेणी के सवारी डिब्बों के अटेन्डैन्टों के लिए प्रशिक्षण	Training for Attendants of Upper Class Coaches	1956
1881	दिल्ली-पठानकोट और अमृतसर–शिमला सैक्शनों पर तीसरी श्रेणी के शयन-यान	Third Class Sleepers on Delhi-Pathankot and Amritsar-Simla Sections .	1956–57
1882	उत्तरी रेलवे में अपराध	Crimes on Northern Railway . .	1957
1883	किशनगंज से रोहतक तक रेलवे लाइन को दौहरा करना	Doubling of Railway Line from Kishanganj to Rohtak . .	1957
1884	दावों का भूगतान	Payment of Claims . . .	1957–58
1885	चामराजनगर-कोल्लेगल रेल लाइन	Chamarajanagar-Kollegal Rail Line	1958
1886	महाराष्ट्र में उद्योग	Industries in Maharashtra . .	1958
1887	कलकत्ता-बम्बई जनता एक्सप्रेस गाड़ी	Calcutta-Bombay Janata Express Train	1959
1888	बम्बई-भुसावल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Bombay-Bhusaval Railway Line . . .	1959
1889	नाइजीरिया में तेल मिल	Oil Mill in Nigeria . . .	1959–60
1890	पंजाब की मंडियों से अनाज की ढुलाई के लिये वैगनों की कमी	Shortage of Wagons for Lifting Food grains from Punjab Mandis .	1960
1891	जापान को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to Japan .	1960
1892	ब्रिटेन को निर्यात	Exports to U. K. . . .	1960–61
1893	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal .	1961
1894	चुराया गया रेलवे का सामान	Stolen Railway Goods . . .	1961
1895	पुर्वोत्तर रेलवे पर रेलवे अधिकारी की हत्या	Murder of Railway Official on N.E. Railway	1961
1896	व्यापार विशेषज्ञों का अन्त-अन्तर्राष्ट्रीय दल	International Team of Trade Experts	1961–62
1897	खोई से कागज का बनाया जाना	Manufacture of Paper from Bagasse	1962
1898	विशाखापटनम् में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelting Plant at Visakhapatnam	1962
1899	मोदीनगर में नायलान का निर्माण	Manufacture of Nylons at Modinagar	1963
1900	डीलक्स वातानुकुलित गाड़ी में तीसरी श्रेणी के डिब्बे	III Class Deluxe Air-Conditioned Coaches	1963
1901	तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद्	Tobacco Export Promotion Council	1963
1902	फिनलैण्ड के साथ व्यापार	Trade with Finland . . .	1964
1903	उर्वरक तथा रसायनिक उपकरण	Fertilizer and Chemical Equipment	1964

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1904	सोवियत संघ को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to U.S.S.R. . .	1964–65
1905	मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Mill in Madhya Pradesh	1965
1906	सहायक उद्योगों सम्बन्धी समिति	Ancillary Industries Committee	1965
1907	लुगदी तथा कागज उद्योग	Pulp and Paper Industries . .	1965–66
1908	ब्रिटेन से कपड़े की मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery from U.K.	1966
1909	नेवेली लिग्नाइट परियोजना	Neyveli Lignite Project .	1967
1910	पत्थर पीसने के लिए मशीनें	Machinery for Grinding Stone	1967
1911	खतरे की जंजीरें का खेंचा जाना	Alarm Chain Pullings	1968
1912	रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Railways	1968
1913	उत्तर प्रदेश के लिए जस्ते की नालीदार चादरें	G. C. Sheets for U.P. . .	1968–69
1914	उत्तर प्रदेश के लिए अविकारी (स्टेनलैस) इस्पात	Stainless Steel for U.P. .	1969
1915	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant .	1969
1916	इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	India Electric Works Ltd., Calcutta	1970
1917	काजू बोर्ड	Cashew Board	1970
1918	बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय रेलगाड़ियों के चलने में बाधा	Dislocation of Suburban Train Services in Bombay Area . . .	1970
1920	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को कोयला खनन पट्टे का दिया जाना	Grant of Coal Mining Lease to M.P. State Mining Corporation . .	1971
1921	जापानी सहयोग से बेयरिंग बनाने का संयंत्र	Bearing Manufacturing Plant with Japanese Co-operation . .	1971
1922	लघु उद्योग	Small Scale Industries . . .	1971–72
1923	लघु तथा मध्यम उद्योग	Small Scale and Medium Scale Industries	1972
1924	पूर्वोत्तर सीमा रेल्वे पर नकसलवाड़ी स्टेशन पर रेल दुर्घटना	Train Collision at Nakasalbari Station on N.F. Rly.	1972–73
1925	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निरीक्षक द्वारा हत्या	Murder by a Field Inspector of M.M.T.C.	1973
1926	सिले हुए कपड़ों का सोवियत संघ को निर्यात	Export of Ready-made Garments to U.S.S.R.	1973

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1927	कच्चे लोहे की सप्लाई	Supply of Pig Iron .	1973–74
1928	भारत के इस्पात संयंत्रों की क्षमता	Capacity of Steel Plants in India .	1974
1929	बोकारो संयंत्र के स्थान को बदलना	Change of site of Bokaro Plant .	1974
1930	जूतों का निर्यात	Export of Shoes .	1975
1931	नेपाल को नमक की सप्लाई	Supply of Salt to Nepal	1975
1932	दुर्गापुर खनन मशीन कारखाना	Durgapur Mining Machinery Plant .	1975
1933	दुर्गापुर में इस्पात का जमा हो जाना	Accumulation of Steel in Durgapur .	1975–76
1934	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारी	Workers of Durgapur Steel Plant .	1976
1935	ईराक को डिजल इंजनों का निर्यात	Export of Diesel Engines to Iraq .	1976
1936	गोदावरी नदी पर रेलवे का पुल	Railway Bridge on Godavari .	1977
1937	ढलाई घरों को कच्चे लोहे की सप्लाई	Supply of Pig Iron to Foundries .	1977
1938	पूर्वी रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों पर रेल गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Trains on Suburban Sections of Eastern Railway .	1977–78
1939	पूर्वोत्तर रेलवे के ओरवारा स्टेशन के समीप रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Orwara Station of N.E. Rly.	1978
1940	उत्तर बंगाल के जिलों को कोयला ले जाने के लिये रेल के माल डिब्बे	Railway Wagons for carriage of coal to North Bengal Districts . .	1978
1941	कपड़े की कीमतें	Prices of Cloth	1979
1942	झांसी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Jhansi Railway Station	1979
1944	गुजरात में नायलन कारखाना	Nylon Plant in Gujarat .	1979–80
1945	अलौह धातुओं की कमी	Shortage of Non-ferrous Metals	1980
1946	लघु उद्योग बोर्ड	Small Scale Industries Board .	1981
1947	एर्नाकुलम (केरल) के निकट औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estate Near Ernakulam (Kerala)	1981–82
1948	आन्ध्र प्रदेश को सिमेन्ट का दिया जाना	Allotment of Cement to Andhra Pradesh	1982
1949	स्वचालित विद्युत करघे	Automatic Power Looms	1982–83
1950	मनुष्य के बालों का निर्यात	Export of human Hair	1983
1951	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्लांट में विस्फोट	Explosions in TISCO Plant .	1983–84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1953	विदेशों में उद्योगों का स्थापित किया जाना	Setting up of Industries in Foreign countries . . .	1984
1954	सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in Public Sector .	1985
1955	छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries . .	1985-86
1956	मरमागोआ बन्दरगाह	Marmagoa Harbour . . .	1986
1957	पश्चिम रेलवे पर छोटी लाइन को बड़ी-लाइन में बदलना	Conversion of Narrow Gauge into Broad Gauge on Western Railway	1987
1958	पुस्तकों का आयात	Import of Books .	1987
1959	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर ट्रांसमिशन लाइन टावर	Transmission Line Towers on S. E. Railway	1987
1960	ज्वालापुर-पथरी स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी को लूटने की कोशिश	Attempt to Loot a Railway Train between Jwalapur-Pathri Stations	1988
1961	उद्योगों को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Industries .	1988
1962	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd. .	1988-89
1963	दरभंगा से जसीडीह तक तीसरी क्षेत्रों के टिकट	Third Class Tickets from Darbhanga to Jasidih	1989
1964	रानी गंज-नीमचा स्टेशन के निकट पैट्रोल टैंक वैगन में विस्फोट	Explosion in Petrol Tank Wagon near Rani Ganj/Nimcha Station .	1989
1965	अंगूरों का निर्यात	Export of Grapes	1990
1966	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1990
1967	भटनी जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Bhatni Junction (N.E. Rly.)	1990
1968	रेलों में भोजन व्यवस्था	Catering on Railways . . .	1991
1969	स्कूटर तथा कार का पंजीकरण	Registration of Scooters and Cars .	1991-92
1970	इटारसी तथा जबलपुर के बीच रेलवे लाइन का दोहरा किया जाना	Doubling of Track between Itarsi and Jabalpur	1992
1971	इटारसी स्टेशन के पास ऊपरी पुल	Over-bridge near Itarsi Station .	1992
1972	मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में उद्योग	Industries in Madhya Pradesh and Rajasthan	1993
1973	बम्बई में बिजली संकट	Failure of Power in Bombay . .	1993
1974	काल्पी स्टेशन पर खाली माल डिब्बा	Empty Wagon at Kalpi Station .	1993

अता प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1975	महाराष्ट्र में तपेदिक स्वास्थ्य निरिक्षकों को रेल सम्बन्धी रियायतें	Rail Concession to T. B. Health Visitors in Maharashtra . . .	1993–94
1976	दिल्ली में स्कूटरों का पंजीयन	Registration of Scooters in Delhi .	1994
1977	मद्रास और त्रिवेन्द्रम के बीच एक्सप्रेस गाड़ी	Express Train between Madras and Trivandrum . . .	1994
1978	तिरुनेलवेल्ली जंक्शन रेल्वे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	Over Bridge near Tirunelveli Junction Railway Station . . .	1994–95
1979	गोरखपुर-गोंडा लाइन पर रेल-गाड़ियों की टक्कर	Trains Collusion on Gorakhpur-Gonda Line	1995
1980	कात्तर-हरिहर रेलवे लाइन	Kattur-Harihar Railway Line.	1995
	सभा के कार्य के बारे में	Re: Business of the House	1996
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1996–97
	सभा का कार्य	Business of the House .	.1997–2001
	संघ राज्य क्षेत्र (लोक-सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक	Union Territories (Direct Election to the House of People) Bill.	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री हाथी	Shri Hathi .	2001–02
	खण्ड 2 से 6	Clauses 2 to 6 .	2002
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass— . .	
	श्री हाथी	Shri Hathi .	2002–03
	डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney .	2003
	स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक	Gold (Control) Bill	
	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार—	Consideration of Rajya Sabha Amendments—	
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2003
	राज्य सभा के संशोधनों से सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव	Motion to agree to Rajya Sabha amendments	2004–05
	बीमा (संशोधन) विधेयक	Insurance (Amendment) Bill	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री रामेश्वर साहु	Shri Rameshwar Sahu .	2005
	श्री अल्वारेस	Shri Alvares .	2005–06
	श्री वारियर	Shri Warior .	2006
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma. .	2006–07
	श्री कृ० ल० मोरे	Shri K. L. More .	2007
	श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka . .	2007
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	2007–08

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	2008-09
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar .	2009
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	2009
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari .	2009-10
खण्ड 1 से 3	Clauses 1 to 3 .	2010
पारित करने का प्रस्ताव--	Motion to pass-- .	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari	2010
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल), 1961-62 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1965-66	Demands for Excess Grants (Kerala) 1961-62 and Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1965-66 .	
श्री वारियर	Shri Warior .	2014-15
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
सत्तरवा प्रतिवेदन	Seventieth Report . .	2015
अकालग्रस्त क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	Resolution Re : Development of Famine Areas—*withdrawn*	
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	2015-16
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	2016
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	2017
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	2017
श्री हे० बी० कोजलगी	Shri H. V. Koujalgi	2017
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey .	2917-18
श्री दे० जी० नायक	Shri D. J. Naik .	2018
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav . .	2018-19
श्री वाल्मीकी	Shri Balmiki .	2019
श्री बाकर अली मिर्ज़ा	Shri Baakr Ali Mirza .	2019-20
श्री अ० श० आल्वा	Shri A. S. Alva	2020
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain .	2020
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary .	2020-21
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary.	2021
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam .	2027-29
अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	
जकार्ता में भारतीय दूतावास पर हमला	Ransacking of Indian Embassy at Jakarta	2021-26
सैनिक-कार्यवाही के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Defence Operations	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	2026-27

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1965/19 भाद्र, 1887 (शक)

Friday, September 10, 1965/Bhadra 19, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Railway Service Commission for Bihar

+

*539. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri N. P. Yadab :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Members of Parliament from Bihar on the Informal Consultative Committee attached to his Ministry have been constantly demanding that a separate Railway Commission should be set up for the benefit of candidates applying for Railway jobs from Bihar; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No decision has been taken in the matter.

Shri Bibhuti Mishra : Shri Patil assured us in the Consultative Committee that there will be a separate Railway Public Service Commission for Bihar. We have got population of 5 crore but even then our children are supposed to go to Calcutta and Allahabad because there is no Railway Public Service Commission in Bihar. May I know from Shri Patil who is now present in the House that what is being done for the people of Bihar in this respect?

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil) : I had not given any assurance but simply said that because Bihar has a population of 5 crore—Hon. member has increased it by two lakhs to-day morning—we will consider it sympathetically.

Shri Bibhuti Mishra : I am very much glad with the answer given by the hon. minister but I would like to know whether this will be done in a month or so or it will take some more time?

Shri S. K. Patil : I cannot give the period because this is to be put up before Railway Board. But as far as ministry is concerned, I think, it will be considered sympathetically.

Shri K. N. Tiwary : While thanking the hon. minister for his assurance I would like to know that how luggage is carried by the five railways *i.e.* N.E., S.E., E.R., N.F. and W.R. which run in Bihar as compared to the other railways. I would also like to know their income, the number of employees working therein and keeping in view all these factors how soon this work is proposed to be completed?

Mr. Speaker : One hon. member says that it should be asked during the discussions on supplementary grants.

Shri D. N. Tiwary : Whether the hon. minister is aware that the study of english starts from 8th class in Bihar whereas in other States it is taught from the very beginning and because the examinations by the Commissions are held in english it becomes difficult for the candidates from Bihar to sit in these examinations? This is the policy of the Bihar State Government to give education in Hindi. May I know that if there is a delay in setting up a Railway Public Service Commission whether some facilities will be given to candidates from Bihar so that they are not put to loss?

Shri S. K. Patil : The original question will be considered sympathetically.

श्री द० ना तिवारी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन को कोई सुविधायें दूसरे रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशनों में दी जायेंगी जैसा कि कलकत्ता में हैं।

Mr. Speaker : The hon. member first take up the Public Service Commission and then proceed further.

Shri D. N. Tiwary : Since the education is imparted there in Hindi. I would like to know whether some facilities will be provided to the candidates there so long as the Public Service Commission is not established?

Shri Surendera Nath Dwivedi : Examination may be held in Mathili.

Shri S. K. Patil : If this is done it will result in delaying the establishment of the Public Service Commission.

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether it is not a fact that the reasons, basis and circumstances in which Railway Commissions were set up in other places, are all available in Bihar. If so, what is the difficulty the Government and the Railway Ministry are facing which is causing delay in taking the decision thereon?

Shri S. K. Patil : There is no difficulty that is why I said that it will be considered.

श्री अ० प्र० शर्मा : रेलवे मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की घोषणा के लिये धन्यवाद देते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार में लोक सेवा आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में लोक सभा के आगामी अधिवेशन तक कोई अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

Shri S. K. Patil : That I do not know.

Shri Yashpal Singh : I would like to know that when two capable ministers from Bihar sit here and there is nobody in comparison to them, then why this work is not entrusted to them instead of the state incurring expenditure on it. This will also save the Government money which is needed for the defence purposes.

Mr. Speaker : Next question.

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये वरना प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र के विषय में प्रश्न पूछने आरम्भ कर देंगे ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, असम निवासियों के विरूद्ध अभियोग यह है कि वे तंगदिल हैं और वे अखिल भारतीय स्तर पर कार्य नही करना चाहते हैं । परन्तु जब वे अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करना चाहते हैं तो उन्हे अवसर नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मैं उन को विश्वास दिला सकता हूं कि मेरा विचार यह नही है ।

जापानी इस्पात उत्पाद

\+

*540. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री बागड़ी :**
श्री विद्या चरण शुक्ल : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 990 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापानी इस्पात उद्योग के उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है जिस में जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने से प्राप्त विदेशी मुद्रा के कुछ भाग को, जापानी इस्पात खरीदने के लिये, पृथक रखने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : खनिज और धातु व्यापार निगम लि० के अध्यक्ष के नेतृत्व में मई/जून, 1965 में जो प्रतिनिधिमंडल भारतीय लौह अयस्क के लिये निर्यात संविधा की वार्त्ता करने के लिये जापान गया था, उसने उस देश से इस्पाती माल का आयात करने सम्बन्धी व्यापक समझौते किये थे । इन संविदाओं के विस्तृत रूप पर अलग अलग वार्ता की जायेगी ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि जापान को लौह अयस्क के निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा की कितनी आमदनी होती है और जापान से इस्पात के आयात में हम कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जहां तक जापान का सम्बन्ध है किरुबारू संविदा को छोड़ कर जिस के अन्तर्गत अब इस्पात का निर्यात अनुबाधित नहीं है, नये समझौते 27 करोड़ रुपये के हैं इस में से 5 करोड़ रुपये इस्पात की निर्यात के लिये हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि जापान को हम किस किस्म के लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : 62.60 से 65.65 तक की सब किस्म का और लोयर ब्लयू डस्ट तथा गोआ अयस्क भी निर्यात करते हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि जापानी निसान मैनुफैक्चरिंग कम्पनी ने एक स्वतंत्र प्रणाली के अन्तर्गत जल्दी ही भारत जीपें तथा मोटर गाड़ियां निर्यात करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर करना मान लिया है ।

श्री मनुभाई शाह : महोदय, यह एक अलग प्रश्न है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : परन्तु यह सच है ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह जानती हैं तो फिर पूछती क्यों हैं ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : माननीय वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि हम लौह अयस्क के निर्यात के बदले में ही जापान से इस्पात का आयात करते हैं । इस्पात के अलावा क्या और भी उत्पाद हैं जो हम जापान से आयात कर सकते हैं ।

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्यों के दिलों में जो एक संदेह है उस को दूर करना चाहता हूं कि वहां पर "के बदले" का कोई प्रश्न नहीं है । हम उन से कुछ क्रय करना चाहते हैं और वे हम से कुछ खरीदना चाहते हैं । यह मुख्यता मित्रता की दृष्टि से है । हम जापान से बहुत सी चीजों का, जैसा कि, मशीनरी, उरवर्क, रसायन इत्यादि, आयात करते हैं । सभा को आयात और निर्यात को अलग अलग कर देना चाहिये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : We export iron ore to Japan keeping in view the international price. May I know whether Japan is giving us some concessions keeping in view the international price of steel while exporting it to us or they are charging the same ?

Shri Manubhai Shah : Most of the Steel from Japan comes at the international price but sometime its price is lesser than the present convention.

Import of Electric Locomotives

+

*541 **Shri Bagri :** **Shri Vishwa Nath Pandey :** **Shri Ram Harkh Yadav :** **Shri M. R. Krishna :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to import electric locomotives during 1965-66;

(b) if so, the names of the countries from which they will be imported and on what terms; and

(c) the amount earmarked for this purpose?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes sir. Two metre gauge AC Electric locomotives have been ordered on 17-4-1965.

(b) Japan. Purchase is being financed under the fourth Yen Credit extended by Japan.

(c) Yen 107,035,980 plus Rs. 94,444 equivalent to a total of Rs. 15,10,264.

Shri Bagri : May I know whether any contract has been signed with any other country for the import of engines?

Dr. Ram Subhag Singh : A total of twenty electric locomotives for metre gauge will be purchased from there.

Shri Bagri : Whether these will be imported from Japan only or from some other countries also? If these are being imported from other countries also then may I know whether there is any difference in the prices?

Dr: Ram Subhag Singh : Since we received a yen credit from Japan these are being imported from there. Otherwise we import locomotives from other countries also for broad gauge and also for metre gauge. We also manufacture them in our own country at Chittaranjan.

Shri M. L. Dwivedi : May I know the total requirements of electric locomotives and how much we can produce ourselves? Keeping in view these locomotives which are being manufactured in our factory, may I know by what time we will be self-sufficient in them?

Dr. Ram Subhag Singh : It was estimated that we will be requiring 223 locomotives in Third Five Year Plan and these will be manufactured in Chittaranjan. Only 138 locomotives have been manufactured in Chittaranjan whereas estimate was of 233. This number will increase in the Fourth Five Year Plan. We will manufacture this increased number of locomotives in Chittaranjan. At present only 72 locomotives for broad gauge will be manufactured and for metre gauge we will import them from abroad.

Shri Sheo Narain : Germans are expert in this field. Whether Government has made some correspondence with them also?

Dr. Ram Subhag Singh : There is no question of correspondence. We have signed an agreement for the purchase of locomotives. Some of them we have received and others will also come.

श्री रा० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि चित्तरंजन के कारखाने में जो इंजन बनते हैं वे ए० सी०, डी० सी० दोनों के बनते हैं या अब केवल ए० सी० के ही बनते हैं?

डा० राम सुभग सिंह : पहले तो केवल डी० सी० के इंजन बनते थे परन्तु अब क्योंकि अधिकतर ए० सी० वाले इंजन प्रयोग में लाये जायेंगे इस लिये वहां अब ए० सी० के इंजन बनने लगेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the difference in quality and capacity of the engines which we import and which we manufacture and also the difference in prices?

Dr. Ram Subhag Singh : There is not much difference in the capacity of the locomotives because on the basis of those locomotives we have started the production of the locomotives here in Chittaranjan. We also take care of the quality of the locomotives to make them at par with others. There is not much difference in price also because we assemble them here after importing their parts.

Shri Kapoor Singh : Which is more beautiful to look at?

Mr. Speaker : It all depends on the beholder.

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमान्, आप तो आज कवि हो गये हैं ।

श्री इन्द्रजित गुप्ता : क्या रेल मन्त्रालय ने कोई अनुमान लगाया है कि चौथी योजना में विभिन्न बिजली की परियोजनाओं के लिये बिजली के कितने इंजन आयात किये जायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां, इस प्रश्न का मैंने पहले भी उत्तर दिया है। हम इस वर्ष और अगले वर्ष भी 135 बिजली से चलने वाले इंजन आयात करेंगे। वे योजना के अनुसार आयात किये जा रहे हैं जैसा कि मैंने कहा तीसरी योजना में लगभग ....

अध्यक्ष महोदय : चौथी योजना का क्या अनुमान है ?

डा० राम सुभग सिंह : महोदय, जैसा आप जानते हैं, चौथी योजना अभी तैयार हो रही है।

Shri Madhu Limaye : May I know the cost and price of the electric locomotives in different industrial countries where these are manufactured and whether the Ministry of Railways have made its comparative study because it can be useful at the time of formulating the import policy?

Dr. Ram Subhag Singh : As we do not manufacture these locomotives in our country we have to pay the prices which are prevailing in those countries. The present price of such locomotive is 9 lakh 94 thousands whereas only one year before it was 9 lakh 9 thousands. Keeping in view all these factors we are trying to manufacture maximum locomotives in our own country.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या मैं जान सकता हूं कि रेल मन्त्रालय ने चौथी योजना में बिजली से चलने वाले इंजनों के उत्पादन के जो धन राशि रखने का सुझाव दिया था उस को योजना बनाने वालों ने कम कर दिया है।

श्री स० का० पाटील : यह कटौती न केवल रेलवे मंत्रालय के बारे में की गई है, बल्कि सब मंत्रालयों के बारे में की गई है।

श्री पें० वेंकटसुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि आप के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजन प्रयोग में लाने से, कोयला उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : हमारे अध्ययन के अनुसार भाप के इंजन पांचवी योजना के अन्त तक तो अवश्य ही प्रयोगमें होते रहेंगे और हो सकता है छटी अथवा सातवीं योजना में भी प्रयोग होते रहें। परन्तु धीरे धीरे बिजली के अथवा डीज़ल इंजन भाप के इंजनोंका स्थान ले लेंगे। उस मात्रा तक कोयला उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु जैसा कि हमारी यातायात दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के इंजनों का प्रयोग बढ़ेगा और वास्तव में भाप के इंजनों की इस समय जो संख्या है, चौथी योजना के अन्त तक वही रहेगी और हो सकता है पांचवीं योजना के अन्त तक भी वही रहे।

गोरखपुर के निकट पार्सल एक्सप्रेस में दंगा

*542. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मई, 1965 को डोमिनगढ़ और गोरखपुर स्टेशनों के बीच एक स्थान पर उपद्रवी व्यक्तियों ने पार्सल एक्सप्रेस के दो यात्रियों को घसीटा और मार डाला ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दो यात्री इन परिस्थितियों में मारे गय ।

(ख) गोरखपुर के सरकारी रेलवे पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/302 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : रेलवे सम्पत्ति को लूटने और उसे क्षति पहुंचाने में कुल कितनी हानि हुई ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में रेलवे सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई । जब गाड़ी गोरखपुर और डोमिनगढ़ के स्टेशनों के बीच सिग्नल के पास खड़ी थी, तब वे लोग यात्रियों की सम्पत्ति छीन कर ले गये ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस सारे मामले की जांच की जा रही है । पुलिस की छान बीन भी चल रही है ।

Shri Yashpal Singh : Where were R. P. F. personnel, when those persons were being dragged and killed?

Dr. Ram Subhag Singh : As the hon. Member is aware, the R. P. F. is not authorised to maintain law and order. The incident occurred near the outer signal when the train was got stopped by pulling the chain.

The rioters there entered the compartments and dragged them out. The police came afterwards and a case was registered.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the Railway authorites are not aware that the rioters could play such a mischief ? If so, the reasons for which the police were not called in advance and no help was rendered to them by the Railway men?

Dr. Ram Subhag Singh : As I have stated the train was between two stations and the Railway authorities at Gorakhpur might be aware of it. That is why they arrested 97 persons there immediately, but because of a mob mentality developed there this incident occurred.

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात का पता लगाया गया है कि इन व्यक्तियों को मारने और लूटने में आर्थिक लाभ के अतिरिक्त वास्तविक ध्येय और ही कुछ था ? इसका अन्य भी कोई कारण था ?

डा० राम सुभग सिंह : इस में आर्थिक लाभ निहित होने का कोई प्रश्न नहीं था । यह घटना नगर में और कहीं घटी थी और इस का स्वरूप भी भिन्न था । इस बारे में जो सूचना मेरे पास है वह मैं नहीं देना चाहता चूंकि इसकी जांच जारी है ।

Shri Gulshan : Such Railway incidents take place either at the railway stations or between the two railway stations. What arrangements have been made by the Railways to prevent the recurrence of such incidents in future?

Dr. Ram Subhagh Singh : Such incidents do not occur in every area and this incident also is first of its type after my taking over the charge. Maintenance of law and order in the Railways comes under the jurisdiction of the State Governments and Railway Police also works under the control of the State Government.

Dr. Ram Subhag Singh : If Railway Protection Force alongwith the railway police also undertake vigorous patrolling, only then these incidents can be checked.

Shrimati Sahodra Bai Rai : The train which goes to Bhopal, Bina, Sagar, Katni, Billaspur or Sagar Bina *via* Katni is stopped by passengers by pulling of the chains and thousands of people get down there. A number of pick pocketeers also get down there. May I know whether Government has any proposal to check this practice?

Dr. Ram Subhag Singh : We shall try to take suitable steps in consultation with the hon. member.

Shri Sheo Narain : I want to know what special steps Government propose to take to put an end to the practice of stopping the train at odd hours by pulling of chains.

Dr. Ram Subhag Singh : It is essential to make changes in the rules for the prevention of such incidents but it becomes difficult to implement it. What we can do is to remove the chains to prevent such incidents but sometimes it can result in tragic consiquences.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Often there are disputes for seats in trains between the travelling public and if a conductor comes to their help he is also involved in the dispute. May I know whether Government would like to take special steps to prevent this ?

Mr. Speaker : When I had permitted Shrimati Sahodrabai Rai to put such questions. I therefore cannot allow Shri Kachhavaiya to do so.

कच्चे माल के डिपो

*543. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे उद्योगपतियों के लिये दिल्ली में एक कच्चे माल का डिपो स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे डिपो देश के अन्य भागों में भी खोले जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने और किन किन स्थानों पर हैं?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) से (घ) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन की प्रार्थना पर लघु उद्योग के एककों की सुविधा के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा दिल्ली में कच्चे माल की एक डिपो खोली जा रही है। इस डिपो पर निम्नलिखित आयातित और स्वदेशी माल उपलब्ध हो सकेगा ।

1. तांबा
2. जस्ता
3. सीसा

4. स्पात

5. एल्यूमिनियम वायर रोड

6. टिन

7. चिलियन नाइट्रेट

8. कास्टिक सोडा

9. लौह तथा स्पात की चीजें ।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन से खरीदा हुआ आयातित माल और स्वदेशी उत्पादकों से प्राप्त स्वदेशी माल उद्योग निदेशक दिल्ली द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर लघु उद्योगों में बांट दिया जाएगा। यह सामान आमतौर से डिपो में रखा जाएगा तथा कोटा-प्रमाण पत्र के आधार पर वितरित किया जाएगा ।

(ग) तथा (घ) विभिन्न राज्यों में सम्बंधित सरकारों द्वारा कच्चे माल की डिपो स्थापित की गई है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि नये एककों को लाईसैंस देने की बजाय वर्तमान एककों में उत्पादन को बढ़ाने के लिये कच्चे माल के बैंक बनाने का जो निर्णय किया गया है वह औद्योगिक नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इस से नीति का कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तव में लघु उद्योग के क्षेत्र में कच्चे माल को प्राप्त करने को कठिनाइयों का सामना था । लगभग सभी राज्य सरकारों ने ऐसी तैयारी स्वयं कर ली है । दिल्ली प्रशासन की प्रार्थना पर दिल्ली के लिये यह काम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर से किया गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : वक्तव्य से यह प्रतीत हुआ है कि यह डिपो विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सभी राज्यों ने यह डिपो खोले हैं यदि नहीं तो वे राज्य कौन से हैं जहां ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नागालैंड के अलावा सभी राज्यों ने यह डिपो खोले हैं । दिल्ली में एक ऐसा डिपो खुलने वाला है । गोआ, दमन और दियू के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है । मनीपूर के लिये कोई नहीं है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि इस में पटना भी शामिल है ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : पटना इस में शामिल है ।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार के डिपुओं को, स्वदेशी और आयातित माल जो कि बहुत कम प्राप्त है, और जिस की लघु उद्योगों को आवश्यकता पड़ती है, राज्य व्यापार निगम से मिल रहा है ।

उद्योग तथा संभरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मन्त्री (श्री वि० ना० सिन्हा): इस में केवल राज्य व्यापार निगम का कोई प्रश्न नहीं है। यह डिपो हर सम्भव साधन से, दुर्लभ कच्चा माल और ऐसी दूसरी चीजें, प्राप्त करते हैं और वे इन आयात लाईसेंसों द्वारा जो कि उन को दिये जाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : वक्तव्य में ऐसा कहा गया है कि :

"निम्नलिखित प्रकार का आयाततिं और स्वदेशी कच्चा माल इन डिपुओं पर उपलब्ध होगा ।"

इस वाक्य में भविष्य में होने वाले काम की ओर संकेत है मैं यह जानना चाहता हूं कि अब क्या किया जा रहा है ।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अभी यह कार्यवाही दिल्ली राज्य के उद्योगों के निदेशक द्वारा की जा रही है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रदेश सरकारें इस बात की शिकायत कर रही हैं कि उन को नियंत्रित और अनियंत्रित इंजीनियरिंग की कच्चे माल की चीजें विशेषकर लघु उद्योगों के लिये प्राप्त नहीं होती हैं और यदि हां तो क्या यह जो डिपो खोले गये हैं इन में वह कच्चा माल उन को प्राप्त हो सकेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि लघु उद्योगों को कच्चे माल की तथा आयातित और दुर्लभ माल की कमी का अनुभव हुआ है । यह डिपो इन चीजों के प्रदाय को बढ़ाने के लिये नहीं हैं क्योंकि आमतौर पर इन चीजों का प्रदाय विदेशी मुद्रा की स्थिति के कारण सीमित है परन्तु यह डिपो उन की सुविधा के लिये खोले जा रहे हैं ताकि समय पर चीजें मिल सकें और जो कुछ इन डिपुओं में प्राप्त हो उस का वितरण उचित ढंग से हो सके ।

Circular Railway in Calcutta

+

*544 **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri P. C. Borooah :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hem Barua :
Shri Bibhuti Misra :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bagri :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Indrajit Gupta :
Shrimati Renuka Ray :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri Raghunath Singh :
Shri Dinen Bhattacharyya :
Dr. Ranen Sen :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The progress made towards the implementation of the scheme to construct a Circular Railway in Calcutta which was under consideration of Government;

(b) The reasons for the delay in implementing the scheme; and

(c) When the Circular Railway in Calcutta is likely to start functioning?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) to (c). No decision to construct the Circular Railway has so far been taken. The Planning Commission is setting up an Expert Committee to examine the transport problem and its solution for the Metropolitan city of Calcutta. The same Committee will later on make a similar examination for the cities of Bombay, Delhi and Madras. This Committee will, *inter-alia*, examine the need, feasibility and financial implications of a Circular Railway or any other alternative means of transport, to meet the requirements of traffic in the city of Calcutta.

Shri M. L. Dwivedi : Sometimes back in reply to a question the Ministry of Railways told in Lok Sabha that the question of Constructing a Circular Railway or under ground railway was under consideration of the Government. May I know that how far this answer, that the decision has not yet been taken, is connected with the previous answer?

Shri Sham Nath : Last time it was said that the whole matter is being considered. Afterwards it was decided by the Planning Commission to establish a study team to examine the transport problem in Calcutta and other big cities. After the receipt of the report only it will be possible for the Railway to take a decision in this regard.

Shri M. L. Dwivedi : Whether the Calcutta Corporation and West Bengal Government were consulted at the time of putting this question before the Planning Commission, if not, why?

Shri Sham Nath : It was the desire of the West Bengal Government that a Committee may be established which may examine the whole matter. It was immediately decided by the Planning Commission that a Study team may be set up which may examine all aspects of the problems and make necessary recommendations.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो समिति नियुक्त की जायेगी सभी नगरों में वृत्तकार और अंडर ग्राउंड रेलवे के व्यौरे की जांच करेगी ?

श्री शाम नाथ : यह स्टडी टीम पहले कलकत्ता की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं और उस के विभिन्त पहलुओं की जांच करेगी । इस के पश्चात वह दुसरे तीन बड़े नगरों की परिवहन समस्याओं के प्रश्न को लेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : पिछले प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि वृत्तकार या अन्डर ग्राउंड रेलवे बनाने में मुख्य रुकावट वित्त की है और कि क्या इस से धनराशि में लाभ हो सकेगा । क्या मैं जान सकता हूँ कि योजना आयोग को समस्या का यह पहलु बताया गया है या बताया जा रहा है या दूसरी समस्याएं उन को बताई जा रही हैं ।

श्री श्याम नाथ : बेशक इस प्रस्ताव में वित्त की एक रूकावट थी परन्तु स्टडी टीम इस सारे प्रश्न पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें पेश करेगी और सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या यह समिति केवल एक पहलु पर जिस का कि पहले सुझाव दिया गया था, विचार करेगी या इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

श्री शाम नाथ : यह सब पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अपनी सिफारिशें पेश करेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं माननीय को याद दिला सकता हूँ कि समाचार पत्र में छपा है कि 14 जुलाई को उन्होंने कलकत्ता में यह कहा है

"वृत्तकार रेलवे अवश्य बननी है । नहीं तो इस नगर में परिवहन समस्या प्रभावपूर्ण ढंग से हल नहीं की जा सकती । हो सकता है यह व्यय योजना से बाहर हो परन्तु इस परियोजना की जरूरत का रुपया जुटाना ही पड़ेगा ।

जिससे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता निगम और भारत सरकार संबंधित है । इसके लिये केवल रेलवे ही मूल रूप से उत्तरदायी नहीं है । जहां तक निर्माण का सम्भन्ध है सम्भवतः रेलवे का अपना भाग होगा क्योंकि यह रेलवे का कार्य है ।

जहां तक दूसरे पहलुओं का सम्बन्ध है अर्थात् पूंजी परिव्यय, इस का संचालन परिव्यय, यदि इस में हानि होगी तो इस को कैसे पूरा किया जायेगा या परिवहन समस्या को सुधारने का केवल यही एक मार्ग है या कुछ दुसरे मार्ग भी हैं जैसा कि अन्डर ग्राउंड रेलवे यह सब बाते विचारनीय हैं ।

जहां तक दूसरे नगरों का सम्बन्ध है यह इस लिये नहीं कि इस समिति को इस समस्या के लिये कहा गया है परन्तु यह इस लिये कि कलकत्ता के बाद यह अति गम्भीर और विकट समस्या है और यदि आवश्यकता हुई और दुसरे नगरों ने चाहा तो यह समिति वहां भी जायेगी और उस समय तक इस ने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने उत्तर में कहा है कि वक्तव्य काफी हद तक ठीक है उस में उन्होंने कहा था कि वृत्तकार रेलवे बननी ही है तो इस में यह प्रश्न कहां से उत्पन्न होता है कि इस समस्या को हल करने का यही एक मार्ग था और कि इस समस्या को हल करने के वैकल्पिक मार्ग नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि समिति इन सब बातों पर विचार कर सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु यहां उन्होंने कहा है कि यह वृत्तकार रेलवे अवश्य बनानी है।

श्री स०का० पाटील : वह उद्धरण ठीक था मैं इस को फिर कहता हूं कि इस को बनना ही है। परन्तु इस के अतिरिक्त परिवहन समस्या को हल करने के दुसरे मार्ग भी हो सकते हैं वृत्तकार रेलवे का ही केवल एक मार्ग नहीं है।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि सरकार ने लाभ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये ही जनता की आवश्यकताओं से लाभ के पहलुओं को महत्व दिया है यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि सभी सार्वजनिक उपक्रम लाभ पर चल रहे हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो इस मामले में अर्थात कलकत्ता के लिये लाभ तथा वृत्तकार रेलवे में लाभ के पहलुओं पर क्यों जोर दिया जा रहा है।

श्री स० का० पाटील : यह लाभ का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम को स्वयं-भुगतान करने वाला होना चाहिये। यह केवल लाभ की ही बात नहीं है।

श्री हेम बरूआ : वह कहते है कि इस को स्वयं भुगतान करने वाला होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में और भी ऐसी परियोजनायें है जिन से कोई लाभ नहीं होता है इस लिये इस परियोजना को भी उन में शामिल कर लिया जाये यद्यपि यह एक लाभ देने वाली परियोजना न हो।

श्री हेम बरूआ : उन्होने लाभ को जनता की आवश्यकता पर प्राथमिकता दी है। कलकत्ता में वृत्तकार रेलवे सार्वजनिक आवश्यकता की चीज है। परन्तु वे कहते हैं कि इस को स्वयं भुगतान वाली या ऐसी ही कोई चीज होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कलकत्ता में सार्वजनिक आवश्यकता से लाभ के पहलु को इस समस्या में प्राथमिकता देगी ?

श्री स० का० पाटील : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। यदि इस में कोई हानि होगी तो इस बात पर विचार करना होगा कि इस को कौन और किस प्रकार से पूरा किया जाये। मैं नहीं समझ सकता कि इस में क्या गलत है।

श्री हम बरूआ : तो आप हानि को स्वीकार करते हैं ?

Shri Bibhuti Mishra : The hon. minister has just now told that the question of underground railway alongwith the circular railway is also being considered. I would like to know whether the difference in expendituer on both these railways has been calculated?

If there is more expenditure on the construction of underground railway the upper layer of the land will be saved by it. Therefore may I know whether the Government is considering this proposal sympathetically?

Shri Sham Nath : That is why a Study team has been appointed to find out which will be better.

Shri Yashpal Singh : May I know why this committee is appointed when there has already been a railway board and ministry. This Committee will make the allowance and delay the matter still further. May I know what is being done for the conveyance of those lakhs of people who stand to wait for hours until this circular railway comes into existence?

Shri S. K. Patil: There is a railway board, railway ministry and above all Parliament. Ever then technical things have to be seen by some one.

श्री प्रिय गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपमन्त्री जो उत्तर दे रहे है वह मन्त्री महोदय के उत्तर के विपरीत है। इस लिये उन को बताना चाहिये कि ठीक कौन सा उत्तर है। हम समझ नहीं सके हैं।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : कलकत्ता में परिवहन समस्या की बड़ी देर से जांच हो रही है। इस से पहले भी कई बार इस समस्या की जांच और अध्ययन हो चुका है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के निर्देश पद पहले नियुक्त की गई समितियों से किस प्रकार भिन्न होंगे?

श्री शामनाथ : उन समितियों ने परिवहन के दुसरे साधनों को हाथ में लेने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुये इस समस्या पर विचार नहीं किया था। यह समिति इस प्रयोजन को सम्मुख रख करके नियुक्त की गई है कि वह सुझाव दे कि "ओवर हैड रेलवे, अन्डर ग्राउंड रेलवे और वृत्तकार रेलवे" में कौन सी रेलवे अच्छी होगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस अध्ययन दल के कौन कौन से सदस्य हैं और इस को रिपोर्ट पेश करने में कितनी देर लगेगी? क्या इस के लिये कोई समय सीमा नियत की गई है।

श्री शामनाथ : इस अध्ययन दल के सदस्य अभी नियुक्त नहीं किये गये हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : आप ने कहा था कि सदस्य नियुक्त किये जा चुके हैं।

श्री शामनाथ : नहीं, श्रीमान्, मैंने ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : लगता तो यही था कि अध्ययन दल नियुक्त किया जा चुका है।

श्री स० का० पाटील : इस को नियुक्त करने का उत्तरदायित्व योजना आयोग पर है।

श्री अ० प्र० शर्मा : प्रश्न का दुसरा भाग यह था कि क्या कोई समय-सीमा नियत की गई है।

श्री स० का० पाटील : इस प्रकार के कामों में समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती यह एक जटिल समस्या है और हमें इस में अनावश्यक शीघ्रता नहीं करनी चाहिये।

Shri Sheo Naraian : Mr. Speaker. We are coming from the border of Nepal. When our Prime Minister was Railway Minister we have been told that a railway line will be provided upto Gonda *via* Gorakhpur, Shahjanwa, Bansi but it has not yet been provided as yet. May I know whether Government is proposing to take up this matter in the Fourth Five Year Plan?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government is considering to construct such railway in other big cities like Calcutta?

Mr. Speaker : It has already been answered.

अमरीका को कपड़े तथा दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

*545. श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क राज्य वाणिज्य विभाग का दो सदस्यों का एक दल हाल में भारत आया था और यह कहा था कि भारतीय कपड़े तथा दस्तकारी वस्तुओं के लिए अमरीकी बाज़ार का पूर्ण तथा समुचित लाभ नहीं उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

न्यूयार्क राज्य वाणिज्य विभाग द्वारा भेजे गये एक दो सदस्यीय दल ने मई 1965 में भारत का दौरा, कुछ मंत्रियों और भारत सरकार के कुछ अधिकारियों को यह बतलाने के लिये किया कि न्यूयार्क राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य प्रभाग किस प्रकार से कार्य करता है। बातचीत के दौरान दल ने यह बतलाया कि सं० रा० अमरीका में भारतीय वस्त्रों, पीतल और पुरातत्व वस्तुओं की खपत के लिये बहुत अधिक अवसर हैं, बशर्ते कि ये वस्तुएं अमरीकी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई और भेजी जायें।

2. भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री अमरीकी बाजारों में बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। भारत के दस्तकारी और हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम को सं०रा० अमरीका जैसे अपरम्परागत बाजारों में हमारी हथकरघा वस्त्रों के व्यापार का विकास करने का दायित्व सौंपा गया है। निगम ने अपना एक कार्यालय न्यूयार्क में खोला है। इसके द्वारा अमरीका में हथकरघा और "ब्लीडिंग मद्रास" वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिये एक गहन प्रचार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

3. हमारे सूती वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिये भी सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे है। अमरीका की सरकार द्वारा भारत से कुछ वर्गों के सूती वस्त्र आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, परन्तु अमरीकी सरकार को यह प्रतिबन्ध ढीले कर देने के लिये समझाने बुझाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। एक भारतीय वस्त्र प्रतिनिधि मण्डल ने अभी हाल ही में भारत-अमरीका वस्त्र करार के लिये अमरीकी सरकार के अधिकारियों से वार्ता करने के लिये सं०रा० अमरीका की यात्रा की है। इसके परिणामस्वरूप, अमरीकी सरकार ने भारत को कुछ प्रतिबन्धित वर्गों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अन्तर-वर्गीय छूट देने के सम्बन्ध में सहमति दे दी है। प्रतिबन्ध के अन्तर्गत न आने वाली वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : I have read the statement several times but I could not find out how much exports have been increased due to the coming of these persons and how much additional foreign exchange we have obtained?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : All these things have been given in the statement. As far as export is concerned it has increased from 147 crores in the last three and a half years to 186 crores in the current year with the United States.

Shri Yashpal Singh : May I know the contribution of the Khadi Gramodyog in it?

Shri Manubhai Shah : It is a good contribution. But a thing about which Hon. Member has asked a question does not come under the Khadi Gramodyog. It comes under Handicrafts, Silk fabrics and Handlooms.

Shri R.S. Pandey : I have seen in our establishment in New Yark that our cloth, particularly printed poplin and Handloom fabrics are liked very much and are popular there. May I know whether more show rooms will be opened there to promote their sales and we may earn more foreign exchange?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है हम ने वहां पर एक "सोना दी गोल्ड" के नाम से व्यापार केन्द्र खोला है। अभी साढ़े तीन महीने हुये हम ने न्यूयार्क में एक केन्द्र खोला है और उस ने हथकरघा कपड़ों, दस्तकारी की वस्तुओं और सिल्क के कपड़ों में दो करोड़ का व्यापार कर लिया है।

श्री बासप्पा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि न्यूयार्क में ब्लीडिंग मद्रास के कपड़े की बड़ी मांग है क्या मैं जान सकता हूं कि न्यूयार्क में हमारे कार्यालय के स्थापित होने के बाद इस कपड़े की बिक्री बढ़ी है और यदि हां तो किस हद तक ?

श्री सें० वे० रामस्वामी : पिछले वर्ष हम ने 2.5 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया था इस वर्ष यह 3 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है इस के पिछले वर्ष के आंकड़ों से बढ़ जाने की सम्भावना है।

श्री दी० चं० शर्मा : वे कहते हैं कि उन को भारतीय कपड़े और तांबे की बनी हुई पुरातत्व वस्तुओं के निर्यात में एक खास स्थान प्राप्त होने वाला है। क्या मैं जान सकता हूं इन पुरातत्व वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया जायेगा और तांबे का सामान बनाने वालों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वे अमरीकी बाजार की आवश्यकता के अनुसार चीजों का उत्पादन कर सकें।

श्री सें० वे० रामस्वामी : दस्तकारी और हथकरघा निर्यात निगम एक विशेषज्ञ निकाय है। वे विभिन्न केन्द्रों में जाते है और इस का अध्ययन करते हैं कि उन को किस चीज की आवश्यकता है। उन्होने ऐसा सुझाव दिया है जिस से कि वे सब आवश्यक चीजें संग्रहण केन्द्रों से प्राप्त कर सकते हैं। वे ठीक ढंग से निर्यात कर रहे हैं। तीन करोड़ रुपये के लगभग केवल दस्तकारी की वस्तुओं को निर्यात किया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हुं कि पुरातत्व से मंत्री महोदय का क्या अभिप्राय है। क्या वे हमारी सब पुरातत्व वस्तुओ को बाहर भेज रहे है।

श्री मनुभाई शाह : प्राचीन वस्तुओं से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो भारत के प्राचीन वस्तुओं के अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं। शिक्षा मन्त्रालय के अधीन एक बोर्ड है जो कि इन वस्तुओं को देखता है और घोषणा करता है कि कुछ वस्तुयें निर्यात की जा सकती हैं जो या तो फालतू हैं या जिन का बदल भारत में मिल सकता है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है हमारा मन्त्रालय उस की बहुत कदर करता है और ऐसी प्राचीन वस्तुओं को, जो कि हमारे देश में बहुत मिलती है या जिन पर हमारे इतिहास की छाप है, निर्यात करने का प्रयत्न नही करते हैं।

श्री प्र०के० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि न्यूयार्क विश्व मेले में भारत के स्टाल ने भारतीय कपड़े और दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में बढ़ावे के लिये किसी प्रकार का सहयोग दिया है और यदि हां तो किस हद तक ?

श्री मनुभाई शाह : दुर्भाग्यवश अमरीका के बाजार में स्थिति यह है कि वहां पर लम्बे समय के लिये कपड़ के समझौते हैं और वहां की सरकार ने सब देशों का जिन में भारत, पाकिस्तान, जापान और हांगकांग भी शामिल हैं कोटा नियत कर रखा है और हमारा कोटा 370.50 लाख गज का है और अब हम इस को बढ़ाने के लिये बातचीत कर रहे हैं।

श्री प्र० के० देव : मेरा प्रश्न यह था कि हमारे स्टाल ने कपड़े के निर्यात को बढ़ाने में कहां तक सहयोग दिया है ।

श्री मनुभाई शाह : जब वहां पर कोटे का निर्बंधन है तो हम इस से कैसे बढ़ सकते हैं।

श्री वारियर : बाजार में नये खोले गये डिपो की बिक्री के अनुसार ब्लीडिंग मद्रास कपड़े के अलावा और किस हथकरघा वस्तु की न्यूयार्क में अच्छी बिक्री हुई है।

श्री सें० वे० रामस्वामी : पंजाब और यु०पी० से बिस्तरे की चादरे, 'पिलो कवर' इत्यादि ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कपड़ के किन वर्गों पर यह निर्बन्धन लगाये गये हैं और इन को नर्म करने या हटाने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है या होने की आशा है।

श्री मनुभाई शाह : हम ने अपने विचार पूरी तरह से अमरीका सरकार को बता दिये हैं और वे अल्प-विकसित देशो की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को अच्छी तरह जानते हैं। हम आशा करते हैं कि लम्बे समय के वस्त्र समझौते की निग्रहण खण्ड को या तो बिल्कुल हटा दिया जायेगा या उस को नर्म कर दिया जायगा। इस का क्या परिणाम होगा मैं इस की पूर्वधारणा नहीं कर सकता। हम इस के लिये उच्चतम स्तर पर बातचीत कर रहे हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कपड़े के निर्बन्धित वर्ग कौन कौन से हैं।

श्री मनुभाई शाह : इस में बहुत से किस्म के कपड़े हैं यदि माननीय सदस्य इस का ब्यौरा जानना चाहते है तो मैं उन को बताता हूं कि वे पोपलीन इत्यादि कपड़े है परन्तु अभी इस के ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Bhagwat Jha Azad : It has been said in the statement that the New York State Commerce Department has sent a two-man team to visit India and that they have shown their eagerness for the import of the Indian Cotton Cloth. But it has also been said in the statement that Government of America has imposed certain restrictions on the Indian cotton cloth. I would like to know that at what stage our Hon. Minister is making negotiations with them, what are the reasons for the restraint and by what time these will be possibly removed?

Shri Manubhai Shah : The Hon. Member will come to know by seeing the question that this team did not come for mill made cotton textiles. It came for handicrafts, hand looms etc. for which there is no restriction.

श्री श्यामलाल सर्राफ़ : हाल के बढ़े हुए कपड़े के निर्यात तथा विशेषरूप से हथकरघो की तृतीय योजना की स्थिति तथा चौथी योजना के प्रस्तावों का ध्यान रखते हुए, सरकार ने पहले के अमरीका के साथ हुए ठेकों को जारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य चौथी योजना के लिये हथकरघे के विकास तथा निर्यात सम्बन्धी सदस्य थे। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय उस की रिपोर्ट पर विचार कर रहा है। । यह कार्य भी उसी मन्त्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है और हमारा मंत्रालय तो उन वस्तुओं के निर्यात का कार्य करता है। मेरे विचार में उन सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा।

श्री मुथिया : क्या मद्रास मे हथकरघे की वस्तुएँ बहुत जमा हो गई हैं ?

श्री सें० वे० रामस्वामी : जहां तक "ब्लीडिंग मद्रास" का सम्बन्ध है वह जमा नहीं हुआ है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका में हथकरघे की वस्तुएं लोकप्रिय हो रही है, क्या इस उद्योग के लोक प्रसिद्ध संस्थानों जैसे हैदराबाद वालों को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; यदि हां, तो कितनी ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न शायद सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय से पूछना चाहिये परन्तु मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार हथकरघे के उत्पादन और विकास पर्याप्त सहायता दे रही हैं।

Shri M. L. Diwedi : The statement shows.

कि अमरीका सरकार कई वस्तुओं में 10 प्रतिशत और ढील देने को सहमत है ।

I want to know those categories and whether those restraints would be removed.

श्री मनुभाई शाह : यह एक लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको वह सूची दे सकता हूं ।

Shri K. N. Tiwary : As the small parties export handicrafts, they cannot maintain its quality. This is one of the reasons for poor exports to U.S.A. I want to know whether Government is considering the setting up of an organisation to ensure and maintain the quality of handicrafts and pool them at one place?

Shri Manubhai Shah : It is correct that there is difficulty in standardising the products of small units. We do pre-shipping inspection and try to have quality control. U. P. Government has introduced 'Q' mark scheme. It is working successfully. Punjab is also following suit. We are taking many other steps to bring about improvement.

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has said that handloom cloth is exported to U. S. A. from U. P. and Punjab. I want to know the region of U.P. from where such cloth is exported and is liked in U.S.A.

Mr. Speaker : It would be difficult to count villages and districts.

Shri Manubhai Shah : Every one knows the places from where handloom cloth is exported. The constituency of Hon. Member is in that area.

Mr. Speaker : Hon. Member should enquire about his area.

Shri Sarjoo Pandey : District Azamgarh.

Shri Manubhai Shah : These places are Banaras, Moradabad, Lucknow, Ghazipur and Aligarh.

Mr. Speaker : Hon. Minister should say Azamgarh as well.

Shri Manubhai Shah : Azamgarh is also one.

Shri Brij Raj Singh : It is with great difficulty that this name has come.

रूरकेला के पास कच्चे लोह का कारखाना

+
*546. **श्री म० रं० कृष्ण :** **श्री राम सेवक :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री फ० गो० सेन :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री हेडा : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के निकट 300,000 टन कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के बारे में बिड़ला के एक उपक्रम, मैसर्स इंडिया फैरो मैंगनीज मेन्यूफक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने अमरीका सरकार से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ;

(ग) क्या भारत सरकार ने बिड़ला उपक्रम द्वारा प्रस्तावित डील की अनुमति दे दी है; और

(घ) इस पर कुल कितनी व्यय होगा और उसमें कितना विदेशी मुद्रा होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : मैसर्स इंडिया फेरो मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (जो बिरला की एक फर्म हैं) भारत सरकार ने बिहार में 300,000 टन वार्षिक क्षमता का कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के लिए इंटेंट-पत्र दिया है। यह कारखाना निजी क्षेत्र में होगा। इंटेंट-पत्र में एक शर्त यह है कि विदेशी सहयोग की शर्तें ऐसी होनी चाहिएं जो सरकार को स्वीकार्य हों। ऐसी सूचना मिली है कि कम्पनी संयुक्त राज्य अमरीका और नार्वे की कुछ गर-सरकारी पार्टियों और संस्थाओं जैसे वाशिंगटन की आइ०एफ०सी० संयुक्त राज्य अमरीका की कैसर और नार्वे की इलेक्ट्रो-कैमिस्क से विदेशी मुद्रा तथा तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के उपायों पर विचार कर रही है। औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनको परिनिरीक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शर्तें भारत सरकार की स्वीकार्य शर्तों के अनुरूप हैं।

(घ) इस कम्पनी ने अभी तक विदेशी मुद्रा की लागत के पक्के प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किये हैं।

श्री म० रं० कृष्ण : 25 लाख टन कच्चा लोहा तैयार कराने के लिये सरकार ने कई गैर-सरकारी लोगों को लाइसेंस दिये थे। इन में से कितने लोगों ने कारखाने स्थापित नहीं किये और मांग की पूर्ति के लिये क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों के विस्तार के बारे में कोई योजना तैयार की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां, कमी को पूरा करने के लिये हम भिलाई, दुर्गापुर पर अतिरिक्त भट्टियां स्थापित कर रहे हैं। इस के अलावा हम यह भी मालूम कर रहे हैं कि कितने शीघ्रता से कारखाने स्थापित करने के समर्थ हैं।

श्री म० रं० कृष्ण : कुछ समय पहले यह बताया गया था कि भिलाई और इस्पात कारखानों में कच्चा लोहा बहुत पड़ा है। क्या कच्चे लोहे की मांग और उपयोग बढ़ गये है और इसी लिये सरकार ने बिड़ला को नया लाइसेंस देने का निर्णय किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : वास्तव में इस समय 20 लाख टन की मांग है और चौथी योजना के अन्त तक यह 35 लाख या 40 लाख टन हो जायगी। हमारा गर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 25 लाख टन होगा। इसी लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस दिये गये हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 31 मार्च, 1964 को आशा पत्र जारी किया गया था। उस समय कच्चे लोहे की बड़ी कमी थी। और भी लाइसेंस जारी किये गये थे परन्तु खेद की बात है कि उत्पादन जारी नहीं हुआ।

Shri Yashpal Singh : As per Minister's statement they have not been able to set up factories. Is it hoped that those will be given licenses will be able to do the needful ? May I know as to when we shall be self-sufficient in this regard?

Shri P. C. Sethi : We are trying to be self-sufficient during fourth Plan period. It depends on the number of plants going into production.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कच्चे लोहे के छोटे उत्पादकों को अपना माल बेचने में कठिनाई हो रही है क्यों कि बाज़ार में आयात हुआ और हिन्दुस्तान स्टील का कच्चा लोहा होता है ? क्या इन लोगों से सारा कच्चा लोहा प्राप्त कर लेगी और अपनी इच्छा अनुसार उसका वितरण करेगी ? वह प्रतियोगिता के समर्थ नहीं है।

श्री संजीव रेड्डी : कमी के कारण हमने रूस से एक लाख टन कच्चे लोहे का आयात किया था। देसी कच्चे लोहे का मूल्य 300 रुपये प्रति टन है और आयात किये हुए का लगभग 390 रुपये टन। छोटे एकक इसे 400 रूपये टन के दर पर बेचे रहे हैं। इस लिये वे प्रतियोगिता के समर्थ नहीं हैं। जब अजमेर और बम्बई के एककों के दरों में 100 रुपये का अन्तर है। अधिक स्टाक होने के कारण हमने नियन्त्रण हटा दिया है और मूल्य तथा वितरण पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों को लाइसेंस दिया गया है और उस की शर्तें क्या है ? क्या अवधि भी एक शर्त है ?

श्री प्र० चं० सेठी : 15 या 16 लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं। उन की कुल क्षमता लगभग 25 लाख टन होगी।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन गैर-सरकारी लोगों का विदेशों से सहयोग का कोई समझौता था ; यदि हां तो इस देश ने क्यों माल दिया है और अन्य देशों ने उन गैर-सरकारी कम्पनियों की सहायता नहीं की है ?

श्री संजीव रेड्डी : गैर-सरकारी कारखाने अपना प्रबन्ध स्वयं कर रहे हैं। जैसे गोआ के डेम्पो और चौगुले के अपने सहयोगी हैं। सरकार तो केवल शर्तों को देखती है, यदि वे ठीक हों तो सरकार अनुमोदन कर देती है।

ऐल्यूमिनियम प्रतिस्थापन (सबस्टीट्यूशन) कार्यक्रम

*547. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्तन बनाने तथा अन्य औद्योगिक कामों में पीतल और जस्ते के स्थान पर ऐल्यूमिनियम का प्रयोग करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता और सहयोग से चलाये जा रहे ऐल्यूमिनियम प्रतिस्थापन (सबस्टीट्यूशन) कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसकी आर्थिक व्यवस्था संबंधी अध्ययन के परिणाम उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : यू०एन०टी०ए०बी० कार्यक्रम के अन्तर्गत बर्तनों के निर्माण में तांबे और जस्ते के उपयोग के स्थान पर किसी अन्य चीज़ का प्रयोग करने के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय उद्योग की सहायता के हेतु एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं। परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादकों के लिए नए किस्म के मोटी सतह के ऐल्युमिनियम के ऐसे बर्तनों के डिजाइन बनाना और उनका विकास करना सम्भव हो सका है जो हमारे यहां आम तौर से व्यवहार में आने वाली तेज़ आंच को सहन कर सकें। आशा है कि इन बर्तनों का उत्पादन-मूल्य सामान्य किस्म के ऐल्यूमिनियम के बर्तनों से अधिक नहीं होगा। यह उम्मीद की जाती है कि पीतल के बर्तनों के स्थान पर एक इन नए प्रकार के प्रयोग से तांबे और जस्ते के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में काफ़ी बचत होगी।

श्री श्रीनारायण दास : क्या पीतल और जस्ते की वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो इस कार्यक्रम से कितनी विदेशी मुद्रा बचायी जायेगी ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनीयरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : श्रीमान, बिना पूर्व सूचना के यह जानकारी देना बहुत कठिन है। बर्तन सामान्यतः रद्दी माल से बनाये जाते है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या भारतीय प्रविधिज्ञ भी ऐसे विशेषज्ञों के साथ संबद्ध हैं ?

श्री विबुधेंद्र मिश्र : वास्तव में ये विशेषज्ञ भारतीय औद्योगिक उपक्रमों में आये थे और उन के सहयोग से यह किया जा रहा है ।

श्री प्रियगुप्त : इस उद्योग में प्रतिस्थापन आ जाने से इस लघु उद्योग बिहार, पश्चिमी बंगाल और उडीसा में कितने मजदूर विस्थापित हो जायेंगे ? सरकार के विचार में उन लोगों को और रोज़गार दिलाने और नया काम सीखने में कितना समय लगेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कोशिश यह है कि काम में लगे लोगों को विस्थापित न किया जाये और धातके स्थान पर ऐल्यमिनियम को लाया जाये ।

श्री प्रियगुप्त : श्रीमान, मेरी बात ऐसे नहीं थी। जब धात बदल जायेगी और बर्तन बदल जायेंगे और वे सस्ते ऐल्यूमिनियम के बनने लगेंगे तो परिणामस्वरूप जो लोग इस कार्य में लगे हुए है बेरोज़गार हो जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं सरकार ऐसे लोगों के लिये क्या करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, क्या वह उत्तर चाहते है या नही?

श्री प्रियगुप्त : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तब आप को बैठना चाहिये।

श्री त्रि० ना० सिंह: बर्तन बनाने वाले गढ़ाई और ढ़लाई दोनों तरीकों से काम करते हैं। ऐल्यू-मिनियम दोनों तरीकों के लिये ठीक होगा।

कोयला एकत्रीकरण स्थल (डम्प)

+

*549. **श्री स० चं० सामन्त** :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला एकत्रीकरण स्थल (डम्प) बनाने के कार्यक्रम में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने उपभोक्ता केंद्रों में थोक व्यापारियों की एक स्थानापन्न योजना का सुझाव दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या इस सम्बंध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : राशि-पात स्थापित करने की योजना ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कठिनाइयों के कारण प्रगति नहीं की है;

(1) राशि-पातों के स्थापित रखने के ऊपरी खर्च के कारण कोयले के फुटकर दामों का बढ़ जाना,

(2) राशि-पात स्थान तथा पहुंच-मार्गों की अपर्याप्तता,

(3) राज्य सरकारों की राशि-पात स्थानों पहुंच-स्थानों को विकसित करने के लिये धन व्यय करने की असमर्थता,

(4) दोहरे हस्तन तथा संग्रहीत करने के कारण कोयले की श्रेणी में गिरावट और कमी आना।

(ग) जी हां।

(घ) और (ड़) : कोयला राशि-पात की योजना को थोकविक्रय की प्रणाली में बदल देने के सुझाव पर राज्य सरकारों तथा दुसरे सम्बधित अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया है। जांच से पता चला है कि राशि-पात की भांति इस योजना में भी कठिनाइयां है और राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं हैं। तथापि इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री स० चं० सामन्त : विश्व बैंक के दल ने क्या सुझाव दिये थे और क्या किसी सुझाव पर कार्यवाही भी की गई है ?

श्री तिम्मय्या : उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि कोयला एकत्रीकरण योजना को छोड़ दिया जाये और थोक के व्यापारियों के तरीके जारी किया जाये। सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया।

श्री स० चं० सामन्त : इन योजनाओं के बारे में योजना आयोग की क्या राय है ?

श्री तिम्मय्या : योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि हमें ऐसे एकत्रीकरणों के बनाने और देखभाल के लिये राज्यों सरकारों की सहायता करनी चाहियें।

इस बील में विश्व बैंक का सुझाव प्राप्त हो गया और योजना आयोग के सुझाव पर विचार नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITENN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

*548. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964-65 में उत्तर रेलवे के विभिन्न सेक्शनों पर बिना टिकट यात्रा के 30 लाख से भी अधिक मामले पकड़े गये हैं ;

(ख) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1963-64 में बिना टिकट सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गयी थी लेकिन 1964-65 में यह बढ़ती रोक दी गयी है।

(ग) एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें उन उपायों का ब्यौरा दिया गया है, जो बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए अपनाये गये हैं। [**पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4815/65**] । रेल प्रशासनों द्वारा रोकथाम के इन उपायों पर और कड़ाई से अमल किया जा रहा है।

इस्पात कारखानों का विस्तार

*550. **श्री दाजी :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमति विमला देवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और रूरकेला के सरकारी इस्पात कारखानों का विस्तार करने की योजनायें अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) और (ख) : यह फैसला किया गया था कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का 1 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड की क्षमता से क्रमशः 1.6 और 1.8 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड की क्षमता तक विस्तार किया जाएगा। ये योजनाएं इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं।

राउरकेला के और अधिक विस्तार के लिए प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सैन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो ने अपने हाथ में लिया है। जहां तक दुर्गापुर का प्रश्न है, उन्होंने इसके 3.4 मिलियन टक तक और अधिक विस्तार के लिए पहले ही प्रायोजना प्रतिवेदन दे दिया है जिस पर अब विचार किया जा रहा है।

चाय वित्त निगम

551. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 30 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय वित्त निगम बनाने की योजना को अन्तिम रूप देने के लिये इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा निगम के ज्ञापन प्रारूप तथा अन्तर्नियमों की जांच कर ली गयी है और निगम की स्थापना से सम्बद्ध अन्य कार्रवाइयां चालू हैं।

भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ विलय

*552. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेमराज :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ विलय करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब, तथा ऐसे विलय के क्या मुख्य कारण है ; और

(ग) भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, वरिष्ठता और वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : नहीं, महोदय। भारतीय खान ब्यूरो की अन्वेषण शाखा जिसमें पूर्वेक्षण, खान, तथा व्यधन विभाग शामिल हैं, उसे भारतीय भौमिकी विभाग के प्रशासन के अधिकार में बदल देने का विचार है। भारतीय खान ब्यूरो खनिज संरक्षण तथा विकास अधिनियमों के अधिन काम करता रहेगा। उस पर खनिजों के आंकड़े इकट्ठे करने, खनिज अर्थव्यवस्था तथा आयस्क प्रशाधन प्रयोगशालाओं का दायित्व होगा।

भारतीय भौमिकी विभाग खनिज निक्षेपों का प्रारम्भिक निर्धारण करने के लिए भूमापन तथा अन्वेषणात्मक व्यधन कार्य करता है। बाद में भारतीय खान ब्यूरो पर निक्षेप वाले क्षेत्रों की श्रेणी तथा विस्तार की विस्तृत पड़ताल की जिम्मेवारी है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि पूर्वेक्षण कार्य का दो अवस्थाओं में विभाग---प्रारम्भिक तथा विस्तृत अन्वेषण की---होने से अतिच्छादन तथा देरी होती थी। पृष्ठभूमि के ज्ञान की सतत् प्राप्ति, विशेषज्ञता तथा कार्य नियंत्रण और खनिज निक्षेपों के अन्वेषण को तेज करने के लिए विचार करने पर यह उपयुक्त समझा गया है कि सर्वेक्षण के समस्त कार्य का भार एक ही संस्था को सौंपा जाय। भारतीय खान ब्यूरो से भारतीय भौमिकी विभाग में इस काम को भेजने के लिए प्रशासन सम्बन्धी विस्तारों पर कार्य हो रहा है।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, ज्येष्ठता, तथा वेतन में कोई तबदीली करने का विचार नहीं है।

टिस्को और इस्को को दिये गये ऋण

*553. **श्री ह० च० सोय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 26 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिस्को और इसको (बर्नपुर) द्वारा ऋणों की अदायगी का मामला सलाह के लिये प्रशुल्क आयोग को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन बातों पर सलाह मांगी गयी हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। कुछ और बातचीत हुई है और दोनों कम्पनियों ने अदायगी के बारे में कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। आशा है इन समझौतों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। प्रस्तावों में यह कहा गया है कि विशेष अग्रिमधनों के लगभग 50 प्रतिशत का एक अथवा दो महीनों के अन्दर अन्दर ही भुगतान कर दिया जाये और शेष ब्याज सहित निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट कर के हिसाब से किस्तों में चुकाया जाये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन का निर्यात

*554. **श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा :**
महाराजकुमार विजय आनन्द:
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भारत के हाथों से द्रुतगति से निकलता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं। हमारी जूट से बनी वस्तुओं का निर्यात निरन्तर और सन्तोषजनक रूप में बढ़ रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान से मछली का आयात

*555. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ला० वारूपाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 30 जून, 1965 से पूर्वी पाकिस्तान से मछली के आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित मछली निगम स्थापित होने से पहले ही प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान से मछली न आने के कारण कलकत्ता के मछली बाजार में मछली की अत्यधिक कमी हो गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) : जी हां। 1 जुलाई, 1965 से, विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण। किन्तु सरकार सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत सीमित परिमाण में आयात करने की अनुमति दे रही है। मछली संभरण की समस्या सुलझाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक मछली विपणन निगम की स्थापना की गई है।

बौक्साइट की खोज

*556. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य क्षेत्र में बौक्साइट का पता लगा है जिससे उस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): दण्डकारण्य क्षेत्र में स्फोदिज के निक्षेपों का बहुत समय से पता है तथा उनका बस्तर, कोरापुत और कालाहानी जिलों में उपलब्ध होना विदित है। पहले दो जिलों में इसकी सम्पत्ति कम मात्रा में हैं। कालाहानी के निक्षेपों में चांदगिरी पहाड़ी इलाके में ये कुछ अधिक हैं। परन्तु इस क्षेत्र में प्राप्त कुल सम्पत्ति से पता चला है कि ये स्फोदिज से एल्यूमिना उत्पादन करने के लिए किसी मितव्ययी उद्योग एकक की स्थापना करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

*557. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार की योजना के अधीन बड़े एककों जैसे कोक ओवन, धमन भट्टियां तथा स्क्रैप मिल चालू करने की समय-सूची का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : कोक ओवन इकाई में देशीय सुमेल-इस्पात की अपूर्ति के कारण देरी हुई है। धमन भट्टी इकाई में देरी यूनाइटेड किंगडम में ठेकेदारों के कारखाने में हड़ताल होने के कारण हुई है। स्केल्प मिल में भी कुछ देरी हुई है। यह देरी सिविल इंजीनियरी ड्राइंगस और सुमेल-इस्पात न मिलने के कारण हुई है।

(ग) ठेकेदारों को सुमेल-इस्पात प्राप्त करने हर सम्भव सहायता दी जा रही है । कठिनायों पर काबू पाने के लिये ठेकेदारों और संयंत्र अधिकारियों में नियमित रूप से बैठकें होती हैं। ठेकेदारों पर जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

भारत-रूस व्यापार करार

*558. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रा० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्रीमती मेमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मास्को में एक भारत-रूस व्यापार करार के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत में क्या प्रगति हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने श्री डी० एस० जोशी, सचिव (वाणिज्य) की अध्यक्षता में 18 अगस्त से 25 अगस्त, 1965 तक मास्को का दौरा किया। इसने सोवियत सरकार के अधिकारियों से, भारत-सोवियत व्यापार को 1964 के स्तर से बढ़ा कर 1970 में दुगना कर देने के लक्ष्य सम्बन्धी आरम्भिक वार्त्तालाप किया।

छोटी कार का निर्माण

*559. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री काशीनाथ पांड़े :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 26 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 611 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनाल्ट नामक फ्रांसीसी मोटर निगम ने भारत में छोटी कार बनाने के बारे में अपना पुनरीक्षित परियोजना-प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेंद्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटी कार का निर्माण

*560. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बालकृष्ण बासनिक :
श्री राजदेव सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेव नायर :
श्री हुकुमचंद कछवाय :
श्री बडे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने सरकार को सूचित किया है कि काफी कम लागत पर चार व्यक्तियों के बैठने योग्य छोटी कार बनाई जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मंत्री ने मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० के एक इंजीनियर श्री पी० एम० रेड्डी द्वारा विकसित कार का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि इस कार की लागत 5,000 रु० (करों के बिना) और 7,000 रु० (करों सहित) से अधिक नहीं आयेगी। इस परियोजना पर खर्च का अनुमान 23 करोड़ रु० लगाया गया है जिसमें से 15 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव यह रखा गया है कि केन्द्र तथा मैसूर राज्य अपने साधनों को एकत्र करेंगे और हास्पेट अथवा उस राज्य के किसी अन्य उपयुक्त स्थान में छोटी कार बनाने का एक कारखाना खोलेंगे। इसके विकल्प में राज्य सरकार को अपना काम आगे बढ़ाने के लिये सभी सम्भव सहायता दी जा सकती है।

(ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Issue of Third Class Tickets

*561. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Railway Board have so far considered that the third class tickets should be sold in accordance with the seats available in the third class coaches in trains and in case of need, special trains should be run;

(b) If so, the conclusions arrived at;

(c) The steps being taken to stop travelling on foot-boards which is resorted to as a result of the non-availability of accommodation in the third class coaches;

(d) Whether any survey regarding the over-crowding in third class coaches has been undertaken; and

(e) If so, the steps taken to attach more third class coaches to the trains?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh : (a) to (e). The suggestion to issue third class tickets according to the number of seats available in trains has been examined. The proposal has not been found practicable as it is not possible for each station to be advised of the extent of accommodation that may be available on a train on its arrival at a station. Ultimately, it will lead to imposition of station quotas for each train and at times of rush, such quota restrictions are likely to lead to malpractices.

2. During the periods when there is heavy rush of passenger traffic, arrangements are made to run special trains if the traffic cannot be cleared by augmenting the load of ordinary train services and if the extra traffic offered justifies running of such special trains.

3. The following steps have been taken to eliminate travelling on footboards of the trains :

(i) Exhibition at railway stations of notices and pictorial posters asking passengers to desist from travelling on footboards and depicting the danger of such travel;

(ii) General instructions to the ticket checking and station staff to prevent passengers from travelling on footboards;

(iii) Use of public address system at certain important stations warning the passengers to desist from travelling on footboards;

(iv) Raids by Government Railway Police to prevent footboard travelling of passengers.

4. Census of occupation of trains in third class is taken twice a year. Based on census results and based on the availability of coaching stock and line capacity and having regard to the movement of essential goods traffic, steps are always taken and will continue to be taken to introduce more and more new trains and to extend the runs of existing trains to meet the requirements of passenger traffic on different sections. The loads of normal train services are also augmented to the extent feasible and justified.

नकसल बाडी स्टेशन पर रेल की टक्कर

*562. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकमचंद कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री अ० व० राघवन :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जून, 1965 को सिलीगुड़ी से 23 किलोमीटर दूर नकसलबाड़ी स्टेशन पर कटिहार जाने वाली 22 डाउन गाड़ी, गिट्टी वाहक गाड़ी से टकरा गई थी ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 11-6-65 को नं० 22 डाउन सवारी गाड़ी नकसलवाड़ी स्टेशन की लाइन नं० 1 पर आ गयी और वहां पहले से खड़ी एक गिट्टी गाड़ी से आमने-सामने टकरा गयी।

(ग) और (घ) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की। उनकी रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है।

सीसे की कमी

*563. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टोरेज बैटरी निर्माताओं को मूल कच्चा माल, कच्चा सीसा, जिसके निर्यात लाइसेंस केवल बड़े और कुछ ही उद्योगपतियों को दिये जाते है, मिलने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कच्चा माल उपयोग करने वालों को कोई आयात लाइसेंस न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : स्टोरेज बैटरी उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली सीसे की कमी विश्व बाजार में इस कच्चे माल का मूल्य असाधारण रूप से बढ़ जाने के कारण है जिसकी वजह से इस उद्योग के लिए नियत की गई विदेशी मुद्रा में इसका अपेक्षाकृत कम परिमाण में आयात होता है। एक समय तो इसका मूल्य सामान्य मूल्य की तुलना में लगभग 100% बढ़ गया था। आयात स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी उत्पादकों को उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं।

(ग) मुक्त विदेशी मुद्रा मिलने में कठिनाई होने के कारण तथा सीसे के मूल्य में वृद्धि के कारण कोलम्बो प्लान के लिए यथा सम्भव अधिकाधिक नियतन किया जा रहा है। इसके अलावा एम० एम० टी० सी० तथा एस० टी० सी० द्वारा भी वस्तुविनिमय के आधार पर अधिकाधिक आयात किया जा रहा है। रद्दी बैटरियों से प्राप्त सीसे का फिर से उपयोग करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

औद्योगिक लाईसैंस

*564. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राजदेव सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस जारी न करने, अधिष्ठापित क्षमता पूरा प्रयोग करने में सहायता देने तथा जहां भी आवश्यक हो वहां वर्तमान एककों का विस्तार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) : सरकार ने नए एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस न देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। विदेशी मुद्रा की वर्तमान कमी के कारण तथा वर्तमान एककों की स्थापित क्षमता का विस्तार करके और उसके पूरे पूरे उपयोग के द्वारा विदेशी मुद्रा में अधिक किफायत होने के कारण इस प्रकार के औद्योगिक लाइसेंसों को देने के कार्य को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

*565. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेव नायर :
श्री वारियर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बासप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ व्यापार में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अफ्रीकी देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कार्य किए हैं : व्यापार करार किए गए हैं, सरकारी और गैर-सरकारी शिष्टमण्डल भेजे और निमन्त्रित किए गये हैं, इन देशों में बाजारों का सर्वेक्षण किया गया, नुमाइशों, प्रदर्शनों और प्रदर्शन कक्षों द्वारा वाणिज्यिक दृश्य प्रचार और व्यापार प्रोपेगेन्डा किया गया है तथा सम्मिलित औद्योगिक संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। कुछ मामलों में सरकारी ऋण और विलम्बित ऋण सुविधायें भी दी गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में व्यापार बोर्ड समय समय पर विचार करता है और उसके निर्णय अमल में लाये जाते हैं। इसके अलावा भारत तथा अफ्रीका के विकासशील देशों के बीच व्यापार विस्तार की संभावनाओं की छानबीन करने के लिए एक अन्तर मन्त्रालय समिति बनाई गई है।

(ख) और (ग) : जी, हां। 1964-65 में अफ्रीकी देशों को हुए हमारे निर्यात का योग 49.3 करोड़ रु० रहा, जबकि 1963-64 में यह 46.3 करोड़ रु० रहा था।

नमक का निर्यात

*566. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को विशेषकर जापान को नमक का निर्यात बढ़ाने तथा अन्य देशों में इसकी नवीन मांग उत्पन्न करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ताकि अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सभी देशों को नमक के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। इसके लिये कोई विशेष योजना नहीं है।

Machine Tool Factory in Columbia

*567. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a machine-tools factory is proposed to be set up by an Indian firm in collaboration with a local partner in Columbia ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have recently accorded their approval to an Indian party's participation to the extent of about Rs. 5 lakhs in the establishment of a plant in Columbia for the manufacture of Twist drills. The Indian contribution will be in the form of plant, machinery & materials to be exported from India.

बिराल स्टेशन पर रेलगाडी का रोका जाना

*568. **श्री प्र० चं० बरूआ :**	**डा० महादेव प्रसाद :**
श्री० स० मो० बनर्जी :	**श्री किन्दर लाल :**
श्री कृष्णपाल सिंह :	**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :	**श्री राम सेवक :**
श्री ओंकर लाल बेरवा :	**श्री फ० गो० सेन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की कटिहार जाने वाली यात्री गाड़ी को 29 जून, 1965 को बिराल में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने रोक लिया था ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी को कितने समय तक रोका गया ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : नं० 102 डाउन बिराल-बारसोई सवारी गाड़ी बिराल स्टेशन पर 28 जून, 1965 को 1 घंटा 35 मिनट तक रोकी गयी थी, न कि 29 जून, 1965 को।

(ग) इस मामले में पूर्वी पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ राज्य सरकार और राजनयिक दोनों स्तरों पर उपयुक्त कार्रवाई की गयी।

सिकन्दराबाद के पास गाड़ी का पटरी से उतर जाना

1872. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जून, 1965 को मध्य रेलवे क सिकन्दराबाद डिवीजन में माकुड़ी स्टेशन पर एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) 15-6-1965 को जब माल गाड़ी नं० 782 अप माकुड़ी स्टेशन की लूप लाइन से होकर जा रही थी तो उसका इंजन और उसके बाद के 7 माल-डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ग) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

पंजाब में रेशम-कीट-पालन उद्योग

1873. श्री दलजीत सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1964-65 और 1965-66 में अब तक पंजाब सरकार को रेशम कीट पालन उद्योग का विकास करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख): 1964-65 के वर्ष में, पंजाब सरकार को रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये 2.09 लाख रु० के ऋण और 1.93 लाख रु० के अनुदान दिये गये। 1965-66 के लिये, जो व्यय और केन्द्रीय सहायता, इस राज्य के लिये स्वीकृत की गयी है, वह इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

केन्द्रीय सहायता			
व्यय	ऋण	अनुदान	योग
4.76	1.00	2.80	3.80

अबाध व्यापार क्षेत्र

1874. श्री अ० क० गोपालन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कांडला की तरह कोचीन को अबाध व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सरकार द्वारा इस समय, कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र की भांति ही कोचीन को अबाध व्यापार क्षेत्र बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। एक छोटे अबाध व्यापार क्षेत्र के लिये, कांडला में एक प्रयोगात्मक पायलट प्रायोजना लागू हो रही है और इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर ही, सरकार इस सम्बन्ध में और आगे विचार करने की स्थिति में होगी।

केरल में उद्योग

1875. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन के जहाज निर्माण कारखाने के साथ साथ अलेप्पी जिले के तटवर्ती क्षेत्र के रूप में विकास करने के सम्बन्ध में तराकम समिति की सिफारिशें स्वीकार करली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेंद्र मिश्र): (क) और (ख) : तराकम समिति एक ऐसा निकाय है जिसकी स्थापना केरल राज्य सरकार द्वारा की गई थी। भारत सरकार यह समझती है कि केरल राज्य सरकार ने एलेप्पी जिले के तटीय क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने के बारे में तराकम समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में राज्य सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :—

(1) एलेप्पी के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक विज्ञापन संबंधी तथा कार्यान्विति समिति बना दी गई है ;

(2) कार्यान्विति समिति तथा ग्रामीण उद्योग परियोजना समिति के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिये ग्रामीण उद्योग परियोजना, एलेप्पी के परियोजना अधिकारी का नाम-निर्देशन विज्ञापन संबंधी तथा कार्यान्विति समिति के सचिव के पद पर कर दिया गया है ;

(3) राज्य सरकार का विचार अरूर क्षेत्र का विकास करने के लिये इस क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके विकसित भूमि वहां उन उद्यमियों को देने का है जो शिपयार्ड तथा तेल शोधन से संबंधित सहायक उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इस भूमि का अभिग्रहण करने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 10.00 लाख रु० की व्यवस्था की जा चुकी है ;

(4) ग्रामीण उद्योग परियोजना, केरल ने अरूर में एक रसायनिक औद्योगिक बस्ती बसाई है जिसमें लगभग 10 कारखानों का निर्माण पूरा होने को है। इसके लिये परियोजना से वित्तीय सहायता दी जायेगी। राज्य सरकार ने उस 5 एकड़ भूमि के अतिरिक्त, जो वहां बहुत बड़ी संख्या में कारखाने खोलने के लिये प्राप्त आवेदकों को देने के लिये ली जा चुकी है, 10 एकड़ और भूमि का अभिग्रहण करने के लिये मंजूरी दे दी है।

केरल का औद्योगिक विकास

1876. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में केरल राज्य के कोजीकोड जिले के औद्योगिक विकास के लिये कितनी रकम नियत की गई थी ;

(ख) उस वर्ष में कितनी रकम व्यय की गई थी ;

(ग) क्या कोई राशि व्यपगत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : 1964-65 में केरल राज्य के कोजीकोड जिले के औद्योगिक विकास के लिए 29.267 लाख रु० की राशि का नियतन किया गया। इस नियतन में से उस वर्ष 21.104 लाख रु० की राशि खर्च की गई तथा शेष 8.163 लाख रु० की राशि को खत्म कर दिया गया।

8.163 लाख रु० की जो राशि समाप्त हो गई उसे 1964-65 के बजट हैड "96 औद्योगिक विकास पूंजीगत व्यय" की 4,12,500 रु० की अन्य व्यापारिक संस्थाओं में विनियोग (ii) परियोजनाएं जो पंचवर्षीय योजना—13-केरल सोप एण्ड आयल लि० के अन्तर्गत आती हैं। 1964-65, में 4,12,500 रु० की राशि "क्यू ऋण तथा अग्रिम भुगतान—1—निजी पार्टियों को स्थानीय राशि इत्यादि (एच) विविध ऋण तथा अग्रिम भुगतान (xxx) परियोजनाएं जो पंचवर्षीय योजना-54-केरल सोप्स एण्ड आयल लि० के अन्तर्गत आती हैं तथा 10,400 रु० जिनका नियतन ग्रामोद्योगों के लिए किया गया" के लिए नियत किया गया था। तीसरी योजना की 1964-65 के लिए परियोजनाएं तैयार करते समय कोजीकोड में तीन व्यापारिक सरकारी संस्थाएं (केरल सोप इंस्टिट्यूट कालीकट, गवर्नमेंट आयल फैक्टरी कालीकट तथा गवर्नमेंट हाइड्रोजैनेशन फैक्टरी कालीकट) थी। इन तीन में से पहली दो की अलग परियोजनाएं थी जिन्हें तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया था। लेकिन 24-2-1964 से इन तीनों को मिलाकर "केरल सोप्स एण्ड आयल्स लि०" के नाम से एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के रूप में एक कर दिया गया तथा इस प्रकार 24-2-1964 से इनका सीधे सरकार द्वारा प्रबन्ध समाप्त हो गया। 1964-65 में बजट में दर्शाया गया संदर्भ उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये था जिन्हें उस समय बनाया गया था जबकि यह सीधे रूप से सरकारी प्रबन्ध में थी। लेकिन क्योंकि कम्पनी उनका उपयोग नहीं कर सकी अत: इसमें से कुछ राशि समाप्त हो गई। खादी ग्रामोद्योग की 10,400 रु० की राशि में से 8,150 रु० की राशि का उपयोग नहीं किया

जा सका। जो रकम खर्च नहीं की गई उसे राज्य सरकार को देने के लिए कार्यवाही की गई है। 1964-65 के बजट में बतलाई गई संख्या में सहकारी समितियों का संगठन इस लिए नहीं हो सका क्योंकि शिल्पियों के लिए इसी प्रकार की सहकारी समितियां दस्तकारी योजना के अन्तर्गत जिले के विभिन्न स्थानों में पहले ही काम कर रही थी।

1964-65 में कोजीकोड़ जिले के औद्योगिक विकास के लिए नियतन और व्यय का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4816/65।**]

केरल में भूमि अर्जन

1877. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में एर्नाकुलम जिले के कलामस्सी स्थान में औद्योगिक प्रयोजन के लिये बहुत बड़ी भूमि अर्जित की जा रही है ;

(ख) क्या मुआवजा की दर कम होने तथा भुगतान में विलम्ब होने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं। केवल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० कालामासी के लिए प्राप्त की गई 900 एकड़ जमीन के अलावा कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को प्राप्त करने का काम प्रगति पर है जैसे इंडो-नारवेजियन प्रायोजना के लिए 78 एकड़ तथा वायर रोप फैक्टरी के लिए 35 एकड़ जमीन।

(ख) तथा (ग) : केरल सरकार को कम मुआवजें के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें मामलों में स्वामित्व में कोई गड़बड़ नहीं है तथा उनके अन्य दावेदार नहीं है उनके भुगतान में वस्तुतः कोई देरी नहीं की जाती। लेकिन जिनमें स्वामित्व के लिए झगड़ा है या जहां उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है उनमें देरी अवश्यसंभावी है। मुआवजे का भुगतान केरल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत बाजार भाव स्थान तथा अन्य संम्बधित बातों को देखते हुए किया जाता है। यदि मुआवजा लेने वाले मुआवजे की रकम से संतुष्ट नहीं है तो वह भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास दीवानी अदालत में दावा करने के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए स्वतन्त्र है।

कच्चे लोहे की भट्टियां

1878. श्री अ० क० गोपालन : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कच्चा लोहा ढालने की कितनी भट्टियां हैं ;

(ख) क्या सरकार मैसूर राज्य में कच्चा लोहा ढालने की बिजली की नई भट्टी स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस भट्टी की क्या क्षमता होगी ; और

(घ) इस कारखाने की स्थापना पर क्या लागत आयगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 31।

(ख) जी, हां। मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को जो राज्य सरकार का कारखाना है कच्चे लोहे की अपनी वर्तमान क्षमता का 120,000 टन प्रति वर्ष तक विस्तार करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

(ग) कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिये 200 टन की दैनिक क्षमता की दो विद्युत भट्टियां स्थापित करने का विचार है।

(घ) विस्तार की लागत पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

रांची-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतार जाना

1879. श्री राम हरख यादव :

श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जुलाई, 1965 की सुबह को कलकत्ता से लगभग 40 मील दूर गौतम-धारा और बड़वादाग स्टेशनों के बीच रांची-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गये; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और जन तथा धन की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी हां। दुर्घटना शाम को लगभग 7 बजकर 12 मिनट पर हुई।

(ख) 2-7-65 को जब नं० 84 डाउन एक्सप्रेस गौतमधारा और बड़वादाग स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो गाड़ी के इंजन का टेंडर और इंजन से छठी से लेकर 11 वीं तक 6 बोगियां पटरी से उतर गयी।

इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रेल सम्पत्ति को लगभग 3,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

ऊंची श्रेणी के सवारी डिब्बों के अटेन्डेंटों के लिए प्रशिक्षण

1880. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का विचार रेलवे में ऊंची श्रेणी के सवारी डिब्बों के अटेन्डैन्टों के लाभ के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे-वार कितने अटेन्डैन्ट हैं तथा पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वास्तविक प्रशिक्षण के आरम्भ तथा समाप्त होने का क्या समय है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

दिल्ली-पठानकोट और अमृतसर-शिमला सेक्सनों पर तीसरी श्रेणी के शयन-यान

1881. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और पठानकोट के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस तथा श्रीनगर एक्सप्रेस गाड़ियों में और अमृतसर–शिमला मेल में तीसरी श्रेणी के शयन-यानों की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : नं० 59/60 श्रीनगर एक्सप्रेस गाड़ियों में अगस्त, 1962 से तीसरे दर्जे का दो टायर वाला शयन-यान पहले से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अनुसार अगस्त, 1965 से नं० 59/60 श्रीनगर एक्सप्रेस नं० 45/56 पठानकोट–दिल्ली जनता एक्सप्रेस और नं० 35/36 शिमला डाक गाड़ियों में भी अंशत: तीन टायर वाला एक-एक शयन-यान चलाया जा रहा है।

नं० 45/46 पठानकोट-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में भी तीसरे दर्जे का दो टायर वाला एक शयन-यान अगस्त, 1965 से चलाया जा रहा है। दो टायर वाले अधिक शयन-यान उपलब्ध हो जाने पर नं० 35/36 शिमला डाक गाड़ियों में भी तीसरे दर्जे का दो टायर वाला एक शयन-यान चलाने का विचार है।

उत्तरी रेलवे में अपराध

1882. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे संरक्षण दल ने, विशेषत: उत्तर रेलवे में, चलती रेल-गाड़ियों, माल गोदामों तथा स्टेशन यार्डों पर होने वाले अपराधों को रोकने में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी सफलता प्राप्त की है ; और

(ख) इस अभियान में कितना खर्च आया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4817/65**।]

किशनगंज से रोहतक तक रेलवे लाइन को दोहरा करना

1883. श्री जगदेव सिंह सिद्धांन्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली-किशनगंज और रोहतक सैक्शन पर तेजी से बढ़ते हुए यात्री तथा माल यातायात सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिल्ली–किशनगंज से रोहतक तक दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : तीसरी योजना के अन्त तक या चौथी योजना के शुरू में जितना यातायात होने की सम्भावना है, उसे देखते हुए दिल्ली और किशनगंज के बीच 67 किलोमीटर लम्बे पूरे खंड पर दोहरी लाइन बिछाना जरूरी नहीं है। लेकिन दिल्ली क्षेत्र में बढ़े हुए उपनगरी यातायात को सम्हालने के उद्देश्य से दिल्ली–किशनगंज और शकूरबस्ती के बीच 7 किलोमीटर में दोहरी लाइन बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

दावों का भुगतान

1884. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न बातों के कितने तथा किस प्रकार के दावों का एक वर्ष से भी अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है,

(एक) किस्म,

(दो) मूल्य भिन्नता, और

(तीन) करार की शर्तों का उल्लंघन ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री के० रघूरामय्या) : एक वर्ष से ऊपर के मूगतान के लिए रहे हुये दावों की संख्या और स्वभाग निम्न लिखित हैं :—

किस्म . . .	6
मूल्य भिन्नता	324*
करार की शर्तों का उल्लंघन . .	1,057
कुल	1,387

इसमें निम्न मामले भी सम्मिलित हैं :—

(1) एक वर्ष से अधिक पूर्व संभरण पूरा हो गया परन्तु एक वर्ष से कम की अवधि में दावों का अधिमान किया गया 141

(2) एक वर्ष से अधिक पूर्व संभरण पूरा हो गया परन्तु अभी तक दावों का अधिमान नहीं किया गया 35

चामराजनगर-कोल्लेगल रेल लाइन

1885. **श्री सिद्धय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1928 में मैसूर राज्य रेलवे का मैसूर जिले में चामराजनगर से कोल्लेगल तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस रेलवे लाइन को बनाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शामनाथ) (क) जी हां। :

(ख) मैसूर राज्य सरकारने चौथी योजना में इस लाइन के बनाने का अनुरोध नहीं किया है। चूंकि चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए बहुत ही सीमित रकम मिलने की सम्भावना है, इसलिये इस लाइन को रेलवे की चौथी योजना में शामिल करने के आसार बहुत कम हैं।

Industries in Maharashtra

1886. **Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government for the setting up of Industries in the Maharashtra State during 1965;

(b) the amount spent by the State Government so far; and

(c) the number of industrial units set up in Maharashtra during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Calcutta-Bombay Janta Express Train

1887. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to introduce a Janta Express railway train service at least bi-weekly between Calcutta and Bombay *via* Nagpur ; and

(b) if so, the date from which these train services will be introduced ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). The introduction of an additional train between Howrah and Bombay *via* Nagpur is not feasible, at present, for want of spare line capacity on certain sections on this route. As and when additional line capacity becomes available there, the question of running an additional train between Bombay and Howrah *via* Nagpur will be duly considered.

बम्बई-भुसावल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1888. श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :
[श्री कांबले :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बम्बई–भुसावल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसपर कितना व्यय होगा; और

(ग) विद्युतीकरण के इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बम्बई से इगतपुरी खंड का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है और इगतपुरी–भुसावल खंड का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

(ख) इगतपुरी-भुसावल खंड के विद्युतीकरण पर 18.12 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) आशा है इगतपुरी-भुसावल खंड के विद्युतीकरण का काम मार्च 1967 तक पूरा हो जायेगा।

नाइजीरिया में तेल मिल

1889. श्री मुरली मनोहर :
[श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया में एक तेल मिल के विस्तार के लिये एक भारतीय कम्पनी अपना सहयोग देगी; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) नाइजीरिया स्थित तेल के एक वर्तमान मिल के विस्तार के लिये भारतीय सहयोग की मुख्य शर्तें इस प्रकार होगी :—

(1) भारतीय पार्टी 20,000 पौंड मूल्य के ईक्विटी शेयर लेगी और इनकी अदायगी संयन्त्र, मशीनें, संरचना, हिस्से और फाल्तू पुर्जे (भारत से निर्यात करके) और प्रविधिक सेवायें और इनसे सम्बद्ध खर्चों के रूप में करेगी ;

(2) भारतीय कम्पनी इस कार्य के लिये बनाई जाने वाली नवीन नाइजीरियायी कम्पनी के प्रविधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेगी ;

(3) भारतीय सहयोगकर्त्ता द्वारा नाइजीरिया की इस प्रायोजना में मशीनों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,00,000 पौंड के एक ऋण की व्यवस्था भी की गयी है।

पंजाब की मंडियों से अनाज की ढुलाई के लिये वैगनों की कमी

1890. श्री हेम राज : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की मंडियों से अनाज को ढोने के लिये वैगनों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) और (ख) : जी, नहीं। पहली अप्रैल से 31 अगस्त, 1965 चौड़ी पटरी पर 11,966 वैगनें और छोटी पटरी पर 4,242 वैगनें पर पंजाब राज्य के स्टेशनों से अनाज ढोया गया था। 31 अगस्त 1965 को जो बकाया इंडैंट थे वे चालू तारीखों के थे।

जापान को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1891. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के लौह मिश्रित धातु उद्योग के लिये मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात करने के लिये जापान के साथ कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : ऐसा कोई सामान्य करार जापान से नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत उसके लौह मिश्र उद्योग के लिये बड़ी मात्रा में मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात किया जाये, किन्तु भारत के खनिज और धातु व्यापार निगम लि० द्वारा भारत से जापान को मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने के लिये अलग अलग कुछ संविदा किये गये हैं। इन संविदाओं के अंतर्गत चालू वर्ष में 70 लाख रु० से अधिक मूल्य के 60,000 मी० टन से अधिक मैंगनीज अयस्क का निर्यात होने की आशा है।

ब्रिटेन को निर्यात

1892. श्री विद्याचरण शुक्ल :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने और आयात प्रतिबन्ध लगा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या नये प्रतिबन्ध लगाये हैं तथा उनका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : ब्रिटेनने अपनी भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, अक्तूबर 1964 में, अपने यहां होने वाले आयात पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत का सीमाशुल्क अधिभार लागू किया था, जो कि अप्रैल, 1965 में मूल्यानुसार 10 प्रतिशत कर दिया गया। ब्रिटेन ने इससे अधिक और कोई प्रतिबन्ध अपने आयातों पर नहीं लगाये है।

Trade with Nepal

1893. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Nepal have asked for free trade with India ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b). According to the provisions of the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit, trade between the two countries is generally free from some of the formalities relating to Customs, import and exports. However, certain sensitive goods from both countries for sales to each other require certain specific arrangements. These matters are under friendly mutual discussions.

Stolen-Railway Goods

1894. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 660 on the 5th March, 1965 and state :

(a) the progress since made in the inquiry into the stolen railway goods recovered from a businessman in Pipraich Town in Gorakhpur District; and

(b) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The case is still under investigation by the Government Railway Police Gorakhpur.

Murder of Railway official on N. E. Railway

1895. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 664 on the 5th March, 1965 and state :

(a) whether the enquiry into the murder of the railway official has been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The case is still under police investigation.

(b) Does not arise.

International Team of Trade Experts

1896. Shri Bagri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 673 on the 5th March, 1965 and state :

(a) whether the International Team of trade experts that visited India to study our export efforts has submitted its report ;

(b) if so, the main recommendations contained therein ; and

(c) whether a copy thereof will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). No, Sir. The Team has not furnished its report yet.

Manufacture of Paper from Bagasse

1897. **Shri Bagri** : **Shrimati Savitri Nigam** :
Shri S. C. Samanta : **Shri M. L. Dwivedi** :
Dr. Mahadeva Prasad : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether any scheme to set up paper mills to manufacture paper with bagasse as raw material is under consideration ;

(b) if so, the States in which these mills will be set up ; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). Yes, Sir. Some proposals for setting up bagasse-based pulp/paper/newsprint mills in Maharashtra, Andhra, U. P. and Bihar are under consideration and the matter is at exploratory stage.

(c) It is premature to give any estimates of expenditure at this stage.

विशाखापत्तनम् में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1898. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री प्र० के ० देव** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **महाराज कुमार विजय आनन्द** :
श्री मं० रं० कृष्ण : **श्री रा० बरुआ** :
श्री सोलंकी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 करोड़ रुपय की लागत का जस्ता पिघलाने का प्रस्तावित कारखाना विशाखापत्तनम् में स्थापित करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय। तथापि लगभग 10 करोड़ रूपये की लागत का अनुमान है।

(ख) पोलैण्ड की एजेंसी 'सैंट्रोजैप' के साथ एक जस्ता प्रद्रावक प्लांट स्थापित करने के लिये ठेका देने का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाने के विषय में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है। परियोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने पर प्लांट की स्थूल रूप रेखा का पता चलेगा। 30,000 मीटरी टन धातु प्रति वर्ष की क्षमता का विचार है। यह प्लाण्ट विदेश से मंगवाये गये अयस्क से प्राप्त गंधक से प्लाण्ट गंधक का तेजाब भी उत्पादन करेगा।

मोदीनगर में नाइलोन का निर्माण

1899. श्री यशपाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहयोग से मोदीनगर में नाइलोन के निर्माण के लिये एक कारखाने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर सहयोग की अनुमति दी गई ; और

(ग) क्या कारखाने के लिये कच्चा माल देश में उपलब्ध होगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) इस संयन्त्र के लिये लाइसेन्स दिया जा रहा है।

(ख) प्रायोजना की विदेशी मुद्रा लागत अमरीकी सहयोगी देंगे जिसका रूप अधिकतम 40 प्र० श० तक इक्विटी सहयोग, और अमरीका के निजी साधनों से प्राप्त निष्क्रेय अधिमान शेयर तथा दीर्घकालीन ऋण होगा।

(ग) कच्चे माल को भारत में ही बनाने का विचार है। जिस सीमा तक यह कच्चा माल देश में प्राप्त होगा उसे विदेशों से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

डीलक्स वातनुकूलित गाड़ी में तीसरी श्रेणी के डिब्बे

1900. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के प्रमुख ट्रंक मार्गों पर डीलक्स वातानुकूलित गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के डिब्बों की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मांग का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) उस मांग को पूरा करने के लिये अब तक क्या उपाय किय गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) से (ग) : वर्तमान मार्गों पर वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों की लोकप्रियता और उन दूसरे मुख्य मार्गों पर जिन पर ये गाड़ियां नहीं चलतीं, संभाव्य यातायात के आधार पर 4 अतिरिक्त वातानुकूल रेक खरीदने का विचार है। इन रेकों को एक ओर तो नयी दिल्ली और हवड़ा और दूसरी ओर नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच हफ्त में दो बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों को अधिक बार चलाने और नागपूर के रास्ते हवड़ा-बम्बई वी० टी०, बम्बई वी० टी०-मद्रास सेंट्रल और मद्रास सेंट्रल-हवड़ा मार्गों पर हफ्ते में एक बार वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के काम में लाने का विचार है।

तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद

1901. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) क्या यह सच है कि तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद् का एक भारतीय विक्री व अध्ययन दल हाल में मलेशिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) बिक्री व अध्ययन दल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–4818/65।**]

फिनलैंड के साथ व्यापार

1902. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री रा० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में फिनलैंड का एक व्यापारिक शिष्टमण्डल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी हां ।

(ख) और (ग) : दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक करार नहीं हुआ था, परन्तु फिनलैंड तथा भारत दोनों के ही शिष्टमण्डलों ने दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार के वर्तमान परिमाण और रूप का सिंहावलोकन किया तथा उसका और अधिक विकास करने के लिये आवश्यक उपायों पर विचार विनिमय किया ।

उर्वरक तथा रसायनिक उपकरण

1903. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 23 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक और रसायनिक उपकरण के लिये फैब्रीकेशन शाप स्थापित करणे के हेतु सहयोग देने के लिए सरकार को कुछ विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या उन प्रस्तावों पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : मैसर्स टैक्नो-क्राफ्ट चेकोस्लोवाकिया द्वारा अन्य वस्तुओं के अलावा खाद तथा रसायन-सामान के उत्पादन के वास्ते एक कारखाना स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक सुझाव प्राप्त हो गया है । इस सुझाव पर अभी विचार किया जा रहा है ।

सोवियत संघ को जूतों का निर्यात

1904. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ को कुछ वस्तुओं के निर्यात में, विशेष रूप से जूतों के निर्यात में पाकिस्तान भारत का प्रतिद्वन्दी बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस देश को भारत का निर्यात कुछ कम हो गया है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) और (ख) : जी, नहीं। भारत सोवियत व्यापार का विनियमन दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और भुगतान व्यवस्थाओं द्वारा किया जाता है। अधिकांश वस्तुओं के लिये निर्धारित किये गये निर्यात लक्ष्य, जिनमें जूते भी सम्मिलित हैं, लगभग पूर्ण हो गये हैं, अथवा उनके पूर्ण होने की आशा निकट भविष्य में ही की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

1905. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में एक और अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली ने मध्य प्रदेश के लिये तैयार किए गए "चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये औद्योगिक कार्यक्रम" पर अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि मध्य प्रदेश में एक दूसरा अखबारी कागज का कारखाना भी स्थापित किया जा सकता है। सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, लुग्दी/कागज/अखबारी कागज बनाने की परियोजनाएं चलाने की सम्भावनाओं का पता पहले से ही लगाया जा रहा है तथा मध्य प्रदेश के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास ने एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसकी अन्य राज्यों के लिये इसी प्रकार की रिपोर्टों के साथ जांच की जा रही है।

सहायक उद्योगों सम्बन्धी समिति

1906. श्री विद्या चरण शुक्ल : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री चांडक :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 19 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के इस सुझाव पर, कि सहायक उद्योगों संबंधी समिति की एक उपसमिति नियुक्त की जाये, विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अब मध्य प्रदेश के लिये सहायक उद्योग उप-समिति बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लुगदी तथा कागज उद्योग

1907. श्री विद्या चरण शुक्ल :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 26 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुगदी तथा कागज उद्योग के विकास के लिये उपयुक्त उपायों की सिफारिशें करने के लिये विकास परिषद ने जिन दो समितियों की स्थापना का निर्णय किया था, वे इस बीच नियुक्त कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन समितियों द्वारा कब तक अपने प्रतिवेदन देने की आशा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) : जी, हां।

(ख) से (घ) : इनमें से एक समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिनका सारांश नीचे दिया जा रहा है :—

(1) कागज़ उद्योग को दी जाने वाली वर्तमान छूट को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर खनन तथा चाय उद्योग के समान ही 40 प्रतिशत कर देनी चाहिए।

(2) लाभ में से छूट की राशि को 8 वर्ष में पूरा करने के नियम को या तो रद्द कर दिया जाय या इसकी अवधि को बढ़ा कर 16 वर्ष कर दिया जाय।

(3) कागज उद्योग के विकास के लिए कागज के मूल्यों की दरों में वृद्धि करके उन्हें परिबद्धत किया जाय।

(4) कागज मिल प्रायोजनाओं में लम्बी अवधि के आधार पर नगण्य ब्याज पर धन लगाया जाय।

(5) लागत मूल्यों में कमी करने के लिए वर्तमान मिलों को यथासम्भव अधिकाधिक विस्तार के लिए प्राथमिकता दी जाय।

दूसरी ने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है तथा इसे अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 6 महीने और लगेंगे।

ब्रिटेन से कपड़े की मशीनों का आयात

1908. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

डा० पू० ना० खां : **श्रीमति सावित्री निगम :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 9 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 821 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन से कपड़ा उद्योग की सारी मशीनें मंगाने में कितना समय लगेगा; और

(ख) क्या मशीनें आयात करने के लिये कोई समय सूची है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : प्रत्येक मिल द्वारा कपड़ा बुनने की मशीनों का आयात किये जाने की एक समय-अनुसूची है। अब तक जो संविदा किये जा चुके हैं उनके अनुसार मशीनों की अन्तिम खेप सितम्बर 1966 में भेजे जाने की आशा है। ऋण की शेष रही थोड़ी राशि के सम्बन्ध में किये गये संविदा विचाराधीन हैं।

नेवेली लिग्नाइट परियोजना

1909. श्री सुबोध हंसदा : **डा० पू० ना० खां :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात** तथा **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाइट निगम नेवेली में एक कृषि परियोजना आरम्भ कर रहा है ;

(ख) क्या इस परियोजना का काम वर्तमान अर्जित फालतू भूमि पर आरम्भ किया जायेगा अथवा इस प्रयोजन के लिए कुछ और अधिक भूमि पट्टे पर ली जायेगी;

(ग) इस परियोजना के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इस परियोजना का खर्च कौन उठायेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) : जी, महोदय ।

(ख) पूर्ण परियोजना के लिये अर्जित किये गये क्षेत्रों में से इस कार्य के लिये भूमि प्राप्त की जायगी ।

(ग) इसके प्रयोजन हैं :—

(1) दूसरे उर्वरकों के मुकाबिले में 'यूरिया' की क्षमता का प्रदर्शन करना ;

(2) दुग्ध पशुओं के लिय घास उपजाना, नगर वासियों के लिये सब्जियां, और फल तथा अनाज की उपज करना और इस प्रकार खाने की कमी को दूर करना ; तथा

(3) जिस भूमि की तुरंत आवश्यकता खनन के काम में नहीं है और जो भूमि अतिरेक है उसका सर्वोत्तम प्रयोग करना तथा भू-गर्भ से निकाले गये पानी की बड़ी मात्रा का प्रयोग करना ।

(घ) इसको उर्वरक योजनाओं तथा खेती बाड़ी के उत्पादन पर लगाई गई उत्पाद शुल्क से प्राप्त राशि से वित्त दिया जा रहा है ।

पत्थर पीसने के लिए मशीनें

1910. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता के एक व्यापारी ने पश्चिम जर्मनी के एक फर्म से चावल के बराबर तथा उसके आकार के रूप में पत्थर पीसने के लिए मशीनों की सप्लाई करने के बारे में पूछ-ताछ की है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में पूछ-ताछ की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निश्चित रूप में जान लिया गया है कि आयात व्यापार नियन्त्रण संस्था को कलकत्ते के किसी भी व्यापारी का आवेदन पत्र ऐसी मशीनें आयात करने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव इस मामले की और अधिक जांच करना आवश्यक नही समझा गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खतरे की जंजीर का खेंचा जाना

1911. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री तन सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में योजना बद्ध ढंग से खतरे की जंजीरों के खेंचे जाने के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। इस समय जो घटनाएं होती हैं, उन्हें खतरे की जंजीर खींचे जाने की योजनाबद्ध घटनाएं नहीं कहा जा सकता।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते।

Ticketless Travel on Railways

1912. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of ticketless travellers caught on the Railways from 1st January to 31st July, 1965 (Zone-wise);

(b) the estimated loss to the Railways on account of ticketless travelling during the above period; and

(c) the action being taken by Government to curb this practice ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement showing the number of ticketless passengers and passengers otherwise irregularly travelling as apprehended during the period from 1-1-1965 to 31-7-1965 is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT. 4819/65.]**.

(b) The amount of fares due from the above ticketless travellers was approximately Rs. 115 lakhs. This is the loss which would have resulted, if the persons had not been detected. There would also be some additional loss due to ticketless persons who might have escaped detection.

(c) Steps taken to combat ticketless travelling are described in the statement attached.

उत्तर प्रदेश के लिए जस्ते की नालीदार चादरें

1913. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए जस्ते की नालीदार चादरों की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) उस राज्य के लिए उक्त अवधि में कितनी चादरों का आवंटन किया गया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश को उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कुल कितनी मात्रा में चादर सप्लाई की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उत्तर प्रदेश से 1964-65 के लिए 40,000 टन के लगभग नालीदार जस्ती चादरों की मांग प्राप्त हुई थी।

(ख) प्रमुख उत्पादकों के पास पिछले बहुत से आर्डर बाकी होने के कारण 1964-65 में किसी भी राज्य को (उत्तर प्रदेश सहित) नालीदार जस्ती चादरों का कोई नया आवंटन नहीं किया गया है परन्तु उत्तर प्रदेश को विशेष कामों के लिए 149 5 टन का तदर्थ आवंटन किया गया था। फिर भी पुराने आर्डरों पर माल दिया जाता रहा।

(ग) 1964-65 में उत्तर प्रदेश को कुल 11,492 टन नालीदार जस्ती चादरें सप्लाई की गईं।

उत्तर प्रदेश के लिए अविकारी (स्टेनलैस) इस्पात

1914. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितने अविकारी इस्पात की आवश्यकता है ; और

(ख) उक्त राज्य को 1964-65 के दौरान वास्तव में कुल कितनी मात्रा में अविकारी इस्पात का आवंटन किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) बिल्कुल ठीक आवश्यकताएं तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकारने 1964-65 में बरतन बनाने के लिए आवश्यक अविकारी इस्पात को छोड़ कर, अविकारी इस्पात के आयात के लिए 59 लाख रुपय के आवंटन की मांग की थी।

(ख) 1964-65 में सब प्रकार के अविकारी इस्पात का आयात करने के लिए राज्य सरकार के लिए 76.87 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी। राज्य अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया था कि बरतन बनाने के लिए अपेक्षित इस्पात के अतिरिक्त 2.99 लाख रुपये के अविकारी इस्पात का आयात करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा राज्य को बरतन बनाने के लिए 107 टन अविकारी इस्पात की चादरों का आवंटन किया गया है।

बोकारो इस्पात कारखाना

1915. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित बोकारो इस्पात कारखाने के कारण अब तक विस्थापित अथवा संभवत: विस्थापित होने वाले परिवारों को मुआवज़ा देने का प्रबन्ध कर दिया है ;

(ख) क्या इन परिवारों को दूसरी जमीन दी जायेगी और यदि हां, तो क्या बिहार राज्य को संघ सरकार की ओर से धन देकर भूमि का विधिवत अर्जन करने का अधिकार दे दिया गया है ; और

(ग) क्या प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिये सिद्धान्त रूप में बोकारो परियोजना प्राधिकारी सहमत हो गये है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी, हां। बोकारो स्टील लिमिटेड बिहार सरकार के भूमि-अर्जन अधिकारी द्वारा विस्थापितों को मुआवज़ा दे रही है। बिहार सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। बोकारो स्टील लिमिटेड ने लगभग 1000 व्यक्तियों (एक परिवार से एक व्यक्ति से अधिक नहीं) को प्रशिक्षण देने का काम अपने ऊपर लिया है ताकि उन्हें संचालन कार्यों में नौकरी दी जा सके। प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा चलाये गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिया जायेगा।

इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

1916. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता का नियंत्रण तथा प्रबन्ध अपने हाथ में ही रखने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी को ठोस स्थायित्व आधार पर कायम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ; और

(ग) सम्पूर्ण सामान्य (इक्विटी) अंश पूंजी को सरकारी स्वामित्व में न लेने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां। इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड का नियंत्रण और प्रबन्ध 10-7-1966 तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहेगा।

(ख) और (ग) : इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

काजू बोर्ड

1917. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का कार्यालय कहां पर होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां। काजू बोर्ड का गठन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

Dislocation of Suburban Train Services in Bombay Area

1918. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Suburban Railway Services in Bombay remained suspended for nearly five hours on the morning of the 21st June, 1965 ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether any investigations have been made in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir. The train services were not suspended, but were dis-organised for about 3 hours in the morning of 21st June when the time-table schedule could not be maintained. However, during this period (7-30 to 11 hours), 36 trains were run, as against 54 scheduled services.

(b) This was due to the power supply transformer at Elphinstone Road station feeding the signals and track circuits being burnt. Due to this track circuits on all the four running lines between Lower Parel and Dadar stations on the Western Railway failed, resulting in dis-organisation of the train services.

Further investigation is being made.

मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को कोयला खनन पट्टे का दिया जाना

1920. **श्री अ० सिं० सहगल :** **श्री वाडोवा :**
श्री विद्याचरण शुक्ल : **श्री चांडक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी योजना में कोयला निकालने के लिये मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को कोयला खनन पट्टा देने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेडी) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश खनन निगम के पक्ष में सोहागपुर तेहसील में बकाही तथा बोकाही गांवों में 2438·95 एकड़ क्षेत्र से कोयला निकालने के लिए खनन पट्टा मंजूर करने के लिये एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था जिसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ।

जापानी सहयोग से बेयरिंग बनाने का संयंत्र

1921. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहयोग से बेयरिंग बनाने का संयंत्र लगाने के लिए हाल ही में करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा हाल में किसी भी करार की स्वीकृति नहीं दी गई है । फिर भी 1963 में सरकार ने रोलिंग कान्टक्ट बेयरिंग का निर्माण करने के लिए भारतीय उद्यमियों द्वारा तकनीकी जानकारी के लिए जापानी फर्म के साथ सहयोग संबंधी दो प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी थी तथा एक जापानी फर्म के सहयोग से रोलर बेयरिंग निर्माण करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

लघु उद्योग

1922. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योगों का विकास करने तथा उनकी संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में लघु उद्योग बोर्ड ने क्या सिफारिशें की हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : लघु उद्योगों के विकास का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । फिर भी केन्द्रीय सरकार तकनीकी और विपणन सेवा तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके योजना बनाने तथा विकास कार्यक्रमों का समन्वय करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । विकास संबंधी कार्यक्रमों का समन्वय करने तथा आयोजन के लिये उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में लघु उद्योग बोर्ड नामक एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है । सामान्य रूप से लघु उद्योग कार्यक्रम लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों को कार्यन्वित किये जाने का परिणाम है ।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन की औद्योगिक विस्तार सेवा अपने 16 लघु उद्योग सेवा संस्थानों के जरिये छोटे उद्यमियों और राज्य सरकारों के लिये तकनीकी परामर्श सेवा की व्यवस्था करती है। इस प्रकार का एक-एक संस्थान प्रत्येक राज्य में है जिसमें दिल्ली भी शामिल है। इनमें से पांच शाखा संस्थान ; छः विस्तार केन्द्र; तीन उत्पादन केन्द्र तथा दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं। औद्योगिक विस्तार सेवा के प्रमुख कार्य ये हैं :—(1) तकनीकी सलाहकार सेवा; (2) वर्कशाप और प्रयोगशाला सेवा; प्रबन्ध परामर्श देने वाली सेवा; (3) प्रबन्ध सम्बन्धी तथा तकनीकी प्रशिक्षण सेवा; (4) आर्थिक सेवा; (5) सूचना सेवा ; और (6) सामान्य सेवा की व्यवस्था करना। इच्छुक निर्माताओं के इस्तेमाल के लिये विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय ने नमूने की योजनायें तथा तकनीकी समाचार (बुलेटिन) भी प्रकाशित किये हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० सभी लघु एककों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनों का सम्भरण करता है और उनको वाणिज्यिक एवं विपणन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन सेवाओं में केन्द्रीय सरकार की स्टोर खरीदने वाली एजेंसियों से ठेके दिलाने में सहायता करना भी शामिल है। ओखला, राजकोट और हावड़ा स्थित आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्ध भी इसी निगम को सौंप दिया गया है।

लघु तथा मध्यम उद्योग

1923. श्रीमती रेणुका राय : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अत्यावश्यक पदार्थ बनाने वाले लघु तथा मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : पंच वर्षीय योजनाओंमें विभिन्न वर्गों के उद्योगों के लिये विशद रूप से नियत की गई प्राथमिकताओं के ढांचे के अन्दर ही लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों के विकास की नीतियां बनाई जाती है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर नकसलवाड़ी स्टेशन पर रेल दुर्घटना

1924. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुखद नकसलवाड़ी दुर्घटना में 22 डाउन यात्री गाड़ी के इंजन चालक का बचाव किये बिना ही उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था ;

(ख) क्या किसी सक्षम अधिकारी ने उसकी जांच की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके शव को कबरिस्तान में ले जाते समय न तो स्ट्रैचर का प्रयोग किया गया और न ही उसको नये कपड़े से ढका गया ; और

(घ) इस दुर्घटना सम्बन्धी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दुर्घटना के तुरंत बाद 22 डाउन सवारी गाड़ी के ड्राइवर का मृत शरीर मलबे के नीचे दबा पाया गया। ड्राइवर की तत्काल मृत्यु हो गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) सवाल नहीं उठता क्योंकि मृत शरीर को मलबे से निकालने के तुरंत बाद राज्य सरकार के पुलिस प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। पोस्टमार्टम कराने और शव को उसके निकट सम्बन्धी को सौंपने आदि से सम्बन्धित बाद की सारी कार्रवाई पुलिस प्राधिकारियों ने की।

(घ) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सविधिक जांच की। उनकी रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निरीक्षक द्वारा हत्या

1925. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम (वाडाजामदा कार्यालय) का एक क्षेत्र निरीक्षक पंद्रह वर्षीय लड़की की कथित हत्या करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि जब खान तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारी दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त किये जायें तो वे ठीक ढंग से व्यवहार करें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : यह मामला अदालत में चल रहा है। यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार निगम के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।

सिले हुए कपड़ों का सोवियत संघ को निर्यात

1926. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने, उसको भेजे गये सिले हुए कपड़े इस आधार पर लेने से इन्कार कर दिया कि वह माल नमूनों के अनुसार नहीं था, और वह माल भारत को लौटा दिया ;

(ख) यदि हां, तो वापस किये गये सिले हुए कपड़ों का कुल मूल्य कितना था ; और

(ग) यह बात किन परिस्थितियों में हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : कुछ तैयार वस्त्र, जो कि बम्बई की एक फर्म द्वारा सोवियत संघ की एक खरीद संस्था से सीधे संविदा कर के संभरित किये गये थे, मानक किस्म से गिरे हुए पाये गये। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त फर्म ने उचित मुआवजा दे कर, दोषयुक्त कमीज़ो का यह मामला निबटा लिया है। चूंकि यह संविदा एक निजी पार्टी द्वारा सीधे ही किया गया था अत: सरकार इस मामले के बीच नहीं आती है।

कच्चे लोहे की सप्लाई

1927. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में देशी स्रोतों से कितने कच्चे लोहे की सप्लाई की गई, और उसकी मांग कितनी थी ;

(ख) उसी वर्ष में कितना कच्चा लोहा आयात किया गया और कहां से ; और

(ग) देश में कच्चे लोहे की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) बिक्री के लिए 2 मिलियन टन के लगभग कच्चे लोहे की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इसके मुकाबले में 1.13 मिलियन टन कच्चा लोहा सप्लाई किया गया। इससे इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी द्वारा अपने कुल्टी के ढलाई कारखान को भेजा गया लगभग 213,000 टन कच्चा लोहा भी सम्मिलित है।

(ख) 1964-65 में देशानुसार कच्चे लोहे का आयात निम्नलिखित था :—

देश	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य रुपयों में
पश्चिमी जर्मनी	124	128,265
स्वीडन	143	128,763
यू० के०	..	111
संयुक्त राज्य अमरीका	46	49,364
हंगरी	3	11,371
सोवियत संघ	68,145	22,394,898
जोड़	68,461	22,712,722

(ग) अधिष्ठापित क्षमता 7.2 मिलियन टन के लगभग है और लाइसेंस की गई क्षमता 10.4 मिलियन टन के लगभग है। इन क्षमताओं में इस्पात कारखानों द्वारा उनका अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पादित बेसिक कच्चा लोहा भी शामिल है।

भारत के इस्पात संयन्त्रों की क्षमता

1928. **श्री सोलंकी :**

श्री प्र० के० देव :

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता तथा भावी इस्पात संयंत्रों के सम्भावित आकार का पता लगाने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ; और

(ख) क्या उस दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई अध्ययन दल नियुक्त नहीं किया गया है परन्तु इस मामले पर स्टीयरिंग ग्रुप ने विचार किया है, जो चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में लोहे और इस्पात उद्योग के विकास के लिए सरकार की सहायता करने के लिए गठित किया गया था। स्टीयरिंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

बोकारो संयंत्र के स्थान को बदलना

1929. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के संयंत्र स्थान को बदलने की मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जूतों का निर्यात

1930. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व के कितने देश भारत से जूते खरीदते हैं और जूतों की सप्लाई के लिये भारत ने कितनी कम्पनियों से करार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : लगभग 80 देश भारत से जूते खरीदते हैं। 16 देशों के साथ हुए व्यापार करारों/व्यापार व्यवस्थाओं में भारत से निर्यात होने वाली मदों में जूतों/चमड़े के सामान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

नेपाल को नमक की सप्लाई

1931. श्री रघुनाथ सिंह :

श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को नमक भेजने के बारे में कोई अन्तिम करार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल को प्रति वर्ष कितना भारतीय नमक भेजा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : भारत के राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा नेपाल के नमक व्यापार निगम लि० से, आगामी 3 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 55,000 मी० टन भारतीय नमक का संभरण करने के लिये एक संविदा हाल ही में किया गया है।

दुर्गापुर खनन मशीन कारखाना

1932. श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर खनन मशीन कारखाने में कोयला खानों के लिए मशीनें निर्माण करने का कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) क्या खनन मशीनों का आयात बन्द करने तथा कोयला खानों के यंत्रीकरण की गति दुर्गापुर में मशीनों के उत्पादन के अनुसार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) उत्पादन का कार्यक्रम सभापटल पर रखे गए विवरण के अनुसार होगा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 4820/55।]**

(ख) यद्यपि खनन मशीनों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन केवल उन्हीं खनन मशीनों का आयात किया जाएगा जो देश में उपलब्ध नहीं है। कोयला खनन मशीन प्लांट का उत्पादन-कार्यक्रम वर्तमान खानों और नई विकसित की जाने वाली खानों के यंत्रीकरण की अनुमानित गति पर आधारित है।

दुर्गापुर में इस्पात का जमा हो जाना

1933. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में बिक्री योग्य इस्पात के जमाव को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये है; और

(ख) उनका क्या परिणाम हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री(श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : विक्रेय तैयार माल का संचय केवल दो इकाइयों अर्थात् स्लीपर संयंत्र और सेक्शन मिल में हुआ है। स्लीपर संयंत्र में 1-8-1965 को 3,400 टन का स्टाक था। हिन्दुस्तान स्टील लि० इस बारे में रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत कर रही है। सेक्शन मिल में 1-8-1965 को 11,000 टन के लगभग संचयन था। यह संचयन 20 दिन के उत्पादन के बराबर है। इसका कारण था (1) दक्षिण रेलवे के स्टेशनों को माल भजने पर रेलवे द्वारा लगाया गया अस्थायी प्रतिबन्ध और (2) कुछ ग्राहकों द्वारा दिए गए आर्डरों का निलंबन। ये कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं और संचय को कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दुर्गापुर इस्पात सयंत्र के कर्मचारी

1934. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये किये गये संशोधित उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या संशोधित उपाय लागू किये जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम हुआ है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मजदूरों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक लेबर बोर्ड है जिसमें संयंत्र के प्रबन्धकवर्ग के तीन प्रतिनिधि होते हैं जिनमें से एक विभागीय अध्यक्ष होता है और मज़दूरों के तीन प्रतिनिधि होते हैं जिनमें से एक मान्यता प्राप्त यूनियन का पदधारी होता है। ऐसे मामलों पर जिनका फैसला लेबर बोर्ड में नहीं होता लेबर कमेटी में विचार किया जाता है, जिसमें प्रबन्धकवर्ग और मज़दूरों के प्रतिनिधियों की संख्या इतनी ही होती है इस समिति में कारखाने का जनरल सुपिंटेंडेंट, कर्मचारीवर्ग विभाग का अध्यक्ष और सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं।

(ख) संशोधित क्रियाविधि 1 मई, 1963 से लागू है।

(ग) संशोधित क्रियाविधि झगड़ों और मत भेदों को दूर करने में कारगर सिद्ध हुई है और इससे दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मालिक-मजूर सम्बन्धों में वास्तविक सुधार हुआ है।

ईराक को डीजल इंजनों का निर्यात

1935. **महाराजकुमार विजय आनंद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक में, जहां कि कृषि कार्यों के लिये डीजल इंजनों की बड़ी मांग है डीजल इंजनों के लिये सम्भाव्य बाजार का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इंजीनियरी निर्यात सम्बर्द्धन परिषद द्वारा इराक तथा कुछ अन्य पश्चिमी एशियायी देशों को कुछ शिष्टमंडल और अध्ययन दल भेजे गये हैं। हाल ही में हमारे बगदाद स्थित दूतावासने इराक को डीजल इंजन निर्यात करने सम्बन्धी बाजार सर्वेक्षण किये हैं।

(ख) अन्य के साथ इन प्रयत्नों के परिणाम, इराक को किये हुए डीजल इंजनों के निर्यात के निम्न आंकड़ों से जाने जा सकते हैं, जिनको एक स्थिर रूप में बढ़ता हुआ रुख दृष्टिगोचर होता है—

	परिमाण संख्या	मूल्य लाख रु० में
1962–63 .	50	0.79
1963–64 .	50	0.87
1964–65 .	187	3.73

गोदावरी नदी पर रेलवे का पूल

1936. श्री० म० ना० स्वामी :

श्री कोल्ला वैंकैया :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर रेल का पुल बनाने के लिये अन्तिम मंजूरी दे दी गई है;

(ख) पुल की लागत किस प्रकार पूरी की जायेगी; और

(ग) क्या निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : दक्षिण रेलवेने शुरू में केवल एक रेलवे पुल के लिए अनुमान तैयार किया था। 691.39 लाख रुपये के इस अनुमान को अगस्त, 1964 में मंजूरी दी गयी थी। अभी सड़क-पाटन (road decking) के काम सहित इस अनुमान को तैयार करके उस पर राज्य सरकार से मंजूरी ली जानी है। एक मोटे हिसाब से सड़क-पाटन के काम पर लगभग 215 लाख रुपया अतिरिक्त लागत आयेगी। भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय इस काम के लिए 1 करोड़ रुपये तक सहायता अनुदान देने के लिए राज़ी हो गया है बशर्ते राज्य सरकार सड़के-पाटन के काम पर आने वाली बाकी समूची लागत और उसके वार्षिक आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए तैयार हो। अभी इस सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है और उससे अनुरोध किया गया है कि अपनी स्वीकृति शीघ्र भेजे।

(ग) नींव और उपसंरचना के काम शुरू हो चुके हैं। संशोधित अभिकल्प पर आधारित रेल और सड़क गर्डरों के लिए टेण्डर आमंत्रित किये जा चुके हैं। पुल को दिसम्बर, 1968 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ढलाई घरों को कच्चे लोहे की सप्लाई

1937. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के वर्तमान ढलाई घरों की कच्चे लोहे की कुल आवश्यकता में से केवल 12 से 15 प्रतिशत तक आवश्यकता ही पूरी कर पाती है जिसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में इसका मूल्य उससे कहीं अधिक होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। इसके विपरीत सरकार ने देखा है कि कुछ अधिक मूल्य होने के कारण आयात किए गए कच्चे लोहे और निजी क्षेत्र के कारखानों द्वारा उत्पादित कुछ देशीय कच्चे लोहे की बिक्री में कठिनाई हो रही है। 20 अगस्त, 1965 से कच्चे लोहे पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिये गए हैं।

पूर्वी रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों पर रेल गाड़ियों का देर से चलना

1938. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

डा० रानेन सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के उप-नगरीय सेक्शनों पर यात्रियों ने रेल गाड़ियों के देर से चलने और उनमें स्थानों की कमी होने के संबंध में निरन्तर शिकायतें की हैं और आन्दोलन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या उपाय किये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जनवरी से जुलाई, 1965 तक की अवधि में पूर्व रेलवे पर उप नगरीय यात्रियों ने आठ बार प्रदर्शन किये, छः बार तो स्थानीय गाड़ियों के समय पर न चलने के विरोध में और दो बार इन गाड़ियों में निर्धारित संख्या में डिब्बे न लगाये जाने के विरुद्ध। इन सभी अवसरों पर, गाड़ियों के समय पर न चलने तथा उनमें निर्धारित संख्या में डिब्बे न लगाये जाने का कारण परिचालन संबंधी कठिनाइयां थीं जो काबू से बाहर थीं। जनवरी से जुलाई, 1965 तक की अवधि में, पूर्व रेलवे पर भाप और बिजली रेल इंजनों से चलने वाली स्थानीय गाड़ियों की समय की पाबंदी क्रमश 93.4 और 96.6 प्रतिशत रही।

1-10-65 से, 2 जोड़ी अतिरिक्त बिजली गाड़ियां चलायी जायेंगी—एक जोड़ी सियालदह-बैरकपुर खंड पर और एक जोड़ी सियालदह-मध्यमग्राम खंड पर। कलकत्ता क्षेत्र के बाकी खंडों पर जब बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी तो स्थिति में अधिक सुधार होने की संभावना है।

Derailment near Orwara Station on N.E. Rly.

1939. Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the night of the 30th June, 1965, some wagons of a goods train derailed near Orwara Station at a distance of about four miles from Basti Station on the North-Eastern Railway;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the extent of damage caused to the Railway property ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) The derailment took place in the early hours of 1st July, 1965 and only one wagon got derailed.

(b) The accident was due to failure of mechanical equipment.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 5,200.

उत्तर बंगाल के जिलों को कोयला ले जाने के लिये रेल के माल डिब्बे

1940. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोयला क्षेत्रों से उत्तर बंगाल के ज़िलों तक कोयले तथा साफ्ट कोक को ले जाने के लिये रेल के वैगन माल डिब्बों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शामनाथ) : उत्तर बंगाल के ज़िलों को बंगाल/बिहार के कोयला-क्षेत्रों से कोयला और साफ्ट कोक की सप्लाई अधिकतर फरक्का के रास्ते की जाती है। उत्तर बंगाल के उपभोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस मार्ग पर पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था कर ली गयी है। यह इस बात को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मई से जुलाई, 1965 तक की अवधि में उत्तर बंगाल के उपभोक्ताओं को कच्चे कोयले और ईंट पकान के कोयले के लिए 1355 माल-डिब्बे दिये गये थे, जबकि 1964 की इसी अवधि में केवल 449 माल-डिब्बे दिये गये थे।

कपड़े की किमतें

1941. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है; कि कुछ किस्मों के सूती कपड़े के वितरण और उनकी कीमतों पर निगरानी रखने के लिये इस वर्ष के आरम्भ में केन्द्र में तथा राज्यों में नागरिक सतर्कता समितियां बनाई गई थी;

(ख) क्या अब इस की स्थिति में काफी सुधार हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन किस्मों के कपड़े पर से मूल्यों तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रण को हटाने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी समितियां स्थापित की हैं ।

(ख) जी, हां। कपड़ा उपलब्ध रहने की स्थिति सब कुछ देखते हुए अत्यन्त सन्तोषजनक है।

(ग) इस समय वितरण सम्बन्धी कोई नियन्त्रण नहीं है। मिल के कपड़े की कुछ किस्मों के उत्पादन और मूल्यों का ही नियंत्रण किया जाता है। इन नियंत्रणों को हटा देने का प्रस्ताव नहीं है। जनसाधारण के लिये अत्यधिक आवश्यक कपड़े की मिलों के मूल्य उचित स्तरों पर बनाये रखने के लिये इन नियन्त्रणों का जारी रखना आवश्यक है।

Accident at Jhansi Railway Station

1942. **Shri Tan Singh :**
Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 16th July, 1965, an accident took place at Jhansi Railway Station causing death of two Lever men and injuring two others ;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the compensation paid to the sufferers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred in Jhansi Goods Yard. As a result of the accident no one was killed but four railway employees sustained injuries.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) None so far.

गुजरात में नायलान कारखाना

1944. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में भेस्तान गांव में एक बड़ा नायलान कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shortage of Non-Ferrous Metals

1945. Shri Baswant : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the extent of shortage of non-ferrous metals *viz.*, copper, zinc, lead and tin in the country;

(b) whether it is proposed to secure the assistance of any country for increasing the production of non-ferrous metals; and

(c) the time by which this shortage will be removed ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The extent of shortage of non-ferrous metals is estimated as follows :—

(In tonnes)

	Estimated demand during 1965-66	Estimated production during 1965-66	Estimated Shortage during 1965-66
Copper	138,000	9,500	128,500
Zinc	133,000	..	133,000
Lead	65,500	3,600	61,900
Tin	8,000	..	8,000

(b) Yes, Sir. Foreign assistance for increasing the production of copper and zinc have been arranged/are being sought in the following cases :

Copper: (i) At Khetri : The Khetri Copper Mines are being developed to produce 21,000 tonnes of copper per annum with French technical and financial assistance.

(ii) Rakha : The deposits are being investigated with a view to establishing a plant capable of producing 20,000—30,000 tons of copper per annum. This scheme has been posed for Soviet assistance.

(iii) At Agnigundala : The investigation is in progress.

Zinc : A project for setting up a zinc smelter with Polish assistance for producing 30,000 tonnes of zinc per annum from imported zinc concentrates at Visakhapatnam. Another zinc smelter based on imported concentrates is being constructed in the private sector at Alwaye (Kerala). The smelter will have a licensed capacity of 12,000 tonnes of zinc metal, capable of being expanded to 20,000 tonnes.

(c) It is not possible to indicate at this stage by what time the shortage of these metals will be removed.

लघु उद्योग बोर्ड

1946. श्री काजरोलकर :

श्री कपूर सिंह :

श्री गुलशन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 तथा 29 जुलाई, 1965 को भोपाल में हुई लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में छोटे उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल के वितरण के बारे में क्या निर्णय किये गये; और

(ख) 1964-65 में छोटे उद्योगों को कच्चे माल/पुर्जों का आयात करने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) बोर्ड ने सिफारिश की है कि दुर्लभ कच्चे माल पर लोकनाथन समिति की रिपोर्ट, जिसमें दुर्लभ कच्चे माल का बड़े (मध्यम को शामिल कर) तथा लघु क्षेत्रों में समान वितरण करने की विस्तार में चर्चा की गई थी, सिद्धान्त रूप में सरकार को स्वीकार कर लेनी चाहिये। देशी कच्चे माल जैसे इस्पात, अल्युमिनियम और प्लास्टिक का लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त संभरण किये जाने के बारे में सुनिश्चय करने की दृष्टि से यह सुझाव दिया गया था कि लघु क्षेत्र के लिये पहले से निश्चित किया गया उचित परिमाण लघु क्षेत्र के लिये निर्धारित कर दिया जाना चाहिये। लघु एककों को लौह तथा अलौह कच्चे माल का संभरण बढाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था और यह सूझाव दिया गया था की लघु क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ के लिये अलौह एवं इस्पात का कबाड़ उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

(ख) लघु क्षेत्र को वर्ष 1964-65 में उन कच्चे माल पुर्जों का आयात करने के लिये जिनके लिये आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अलौह धातुओं एवं लौहा और इस्पात के लिये लगभग 37.75 करोड़ रु० की कुल विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी। यह राशि वर्ष 1964 के कलेण्डर वर्ष के लिये रुपये क्षेत्र से रसायनों का आयात करने के लिये आवंटित 160 लाख रु० की राशि के अतिरिक्त है। व्यापार योजना के अन्तर्गत रुपये में भुगतान करने वाले क्षेत्र से जो 5,000 मीट्रिक टन जस्ता आयात करना नियत किया गया था वह भी लघु क्षेत्र को आवंटित कर दिया गया था।

एर्नाकुलम् (कैरल) के निकट औद्योगिक बस्तियां

1947. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम् के निकट कालामासेरी में नाविक औद्योगिक बस्ती बनाने में सहयोग करने के लिये भारत और नार्वे की सरकारों के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में यह अपनी किस्म की पहली उद्योग बस्ती होगी जिसमें अनेक किस्म के मछली पकड़ने के गेयर और 200 'हार्स पावर' की क्षमता तक के डीजल इंजन बनाये जायेंगे; और

(ग) क्या इस परियोजना के परिणामस्वरूप पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत होगी और क्या इसमें मछली पकड़ने के उद्योग का यंत्रीकरण तेजी से हो सकेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग): केरल के कालामासेरी में नावों के डीजल इंजन, मछली पकड़ने की नावें इत्यादि बनाने के लिये तथा इस व्यवसाय में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक भारत-नार्वे नौका औद्योगिक बस्ती तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस बस्ती की स्थापना करने का प्रमुख उत्तरदायित्व केरल की सरकार पर है । बस्ती का ब्योरा अभी पूरी तौर से तैयार नहीं हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास की नार्वे एजेंसी तथा भारत सरकार । केरल सरकार के बीच किये गये करार पर संयुक्ति राष्ट्र की संरक्षता में अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं ।

आन्ध्र प्रदेश को सीमेंट का दिया जाना

1948. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है कि उस का सीमेंट का वर्तमान कोटा बढ़ा कर दो लाख टन कर दिया जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख): आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने अपना सीमेंट का वर्तमान तिमाही कोटा 1,00,200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,50,000 मीट्रिक टन कर देने का निवेदन किया है ।

1965 को पहली तिमाही से आन्ध्र प्रदेश का तिमाही कोटा 69,999 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,00,200 मीट्रिक टन कर दिया गया था और इसमें और अधिक वृद्धि करने पर तभी विचार करना सम्भव हो सकेगा जबकि उपलब्ध सीमेंट में पर्याप्त वृद्धि होगी । राज्य सरकार को यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

स्वचालित विद्युत करघे

1949. **श्री राम सेवक :**

श्री फ० गो० सेन :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सामान्य तथा स्वचालित करघा निर्माताओं की क्षमता जितने करघे बनाने की है उनमें से आधे भी बेचने में कठिनाई होती है, फिर भी 1 जनवरी से 21 मार्च, 1965 तक 55,61,855 रुपये के मूल्य के सूती माल के 517 स्वचालित विद्युत् करघे आयात किये गये;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौ मिलों ने एक भारतीय निर्माता से स्वदेशी 'ब्लो रूम लाइन्स' लेना स्थगित कर दिया है; और

(ग) 1964-65 में विदेशों से कितने और कितने मूल्य के 'ब्लो रूम लाइन्स' आयात किये गये ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) यह ठीक है कि आम तथा स्वचालित करघों के उत्पादन में पूर्ण स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका । 1 जनवरी, 1965 से 31 मार्च, 1965 की अवधि में लगभग 55.6 लाख रु० के मूल्य के 570 स्वचालित करघों का इसलिये आयात किया गया क्योंकि यह देश में उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) यह विदित हुआ है कि 10 कपड़ा मिलों ने देश में निर्मित ब्लों रूम लाइनों को लेना वित्तीय कठिनाइयों तथा भवन शैडों के पूरा न होने की कठिनाई के कारण स्थगित कर दिया।

(ग) 1964–65 में 216 लाख रु० के मूल्य की 72 ब्लों रूम लाइनों का आयात किया गया।

मनुष्य के बालो का निर्यात

1950. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री कनकसबे :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अनेक देशों को मनुष्य के बालों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाता है;

(ख) यदि हां, तो भारत किन देशों को मनुष्य के बालों का निर्यात करता है; और

(ग) इस निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) भारत सें मनुष्यों के बालों का आयात करने वाले प्रमुख देशों के नामों का एक विवरण इस प्रकार है :—

(1) सं० रा० अमेरिका
(2) पश्चिमी जर्मनी
(3) फ्रान्स
(4) जापान
(5) इटली
(6) पूर्वी जर्मनी
(7) ब्रिटैन
(8) हंगेरी
(9) हांगकांग

(ग) 1964-65 में मनुष्य के बालों का निर्यात करके 31.47 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमायी गयी है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्लाट में विस्फोट

1951. श्री कनकसबे :

श्री मुहम्मद कोया:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कोक ओवन प्लांट में मई, 1965 में विस्फोट हुए थे ;

(ख) क्या विस्फोटों के कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार के पास यह विश्वास करने के कोई प्रमाण है कि यह तोड फोड़ की कार्यवाही थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 25 मई, 1965 को रात के 9.15 बजे के करीब टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उस्त्रावक और विद्युदभिवर्द्धक हाऊस के भीतरी कक्ष में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के पश्चात् उत्स्रावक हाऊस में आग लग गई और इस क्षेत्र में तीन और छोटे विस्फोट भी हुये।

(ख) विस्फोट के कारण तथा विस्फोट से हुए कुल नुकसान का अनुमान लगाने तथा ऐसे विस्फोटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये निरधिक उपाय बताने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। कम्पनी की वैज्ञानिक सेवाओं के निदेशक इस समिति के अध्यक्ष थे।

(ग) जी नहीं। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विस्फोट आकस्मिक था और भीतरी कक्ष में घिसे हुए गैस मैन से गैसे निकलने और वहां पर विस्फोटक-मिश्रण बनने के कारण हुआ था।

विदेशों में उद्योगों का स्थापित किया जाना

1953. श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा विदेशों में उद्योग तथा कारखाने स्थापित करने में 1962-63, 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में अब तक किस हद तक स्वदेशी संसाधनों का उपयोग किया गया है;

(ख) इन संसाधनों की सहायता से किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं और उसके परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ पहुंचा है; और

(ग) इस समय, जब कि देश में उत्पादन की कमी है, क्या इन मूल्यवान संसाधनों को विदेशों में लगाये जाने की अनुमति देना लाभप्रद सिद्ध हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अब तक सरकार ने विदेशों में भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा विदेशी पार्टियों के सहयोग से 31 संयुक्त औद्योगिक संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी है। चूंकि अधिकांश मामलों में हाल में ही स्वीकृति दी गई है इस लिये ये प्रायोजनाएं क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस लिये इस समय यह बताना कठिन है कि भारतीय औद्योगिकों ने इन प्रायोजनाओं में कितना निवेश किया है।

(ख) गत 27-8-65 को तारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर में सदन की मेज पर एक विवरण रखा गया था, जिसमें उन संयुक्त प्रायोजनाओं का ब्यौरा दिया गया था जो अब तक स्वीकृत की जा चुकी हैं। विदेशों में किये गये इस संयुक्त सहयोग से क्या लाभ हुए हैं इस का अभी से आकलन नहीं किया जा सकता।

(ग) विदेशों के संयुक्त संस्थानों में भारतीय सहयोग साधारणतः संयन्त्र मशीनों और सामग्री के रूप में दिया जाता है जिस का भारत से निर्यात होता है। विदेशी उद्योगों में भारतीय सहयोग के कारण भारतीय पूंजीगत वस्तुओं के लिये एक बाजार मिलने के अलावा यह प्रदर्शित करने में भी व्यवहारिक सहायता मिलती है कि हम विकासशील देशों की सेवा करने को इच्छुक हैं। इस कार्य से हमें विदेशी मुद्रा कमाने का एक नया साधन मिल जाने की भी संभावना है जोकि विदेशों में किये गये निवेश के डिविडन्ड और लाभ के रूप में होगा।

सरकारी क्षेत्र में उद्योग

1954. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में उद्योग तथा कारखाने स्थापित करने के लिये 1962-63, 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक देश के कितने संसाधनों का उपयोग किया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र): जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

छोटे पैमाने के उद्योग

1955. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पाद की खरीद सम्बन्धी प्रक्रिया का समय-समय पर किस तरह से पुनर्विलोकन किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी (विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : छोटे पमाने की औद्योगिक इकाइयों के उत्पाद की खरीद को बढ़ाने के लिये क्रय प्रक्रियाओं का निरन्तर पुनर्विलोकन किया गया है और उपाय काम में लाये गय हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण कदम जो इस विषय की दृष्टि से उठाये गये हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) खरीद प्रक्रियाओं का निरन्तर पुनर्विलोकन उद्योग विभाग के अधीन विकास आयुक्त, लघु उद्योग, तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के परामर्श से किया गया है।

(2) लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों के उद्योगों के निदेशक केन्द्रीय खरीद सलाहकार परिषद तथा प्रादेशिक खरीद सलाहकार परिषदों की समय-समय पर होने वाली मीटिं में से सहवास रखते हैं। परिषद की स्थापना सरकार को उद्योगों के विकास तथा केन्द्रीय सरकार की खरीद सम्बन्धी प्रक्रियात्मक मामलों पर सलाह देने के लिये हुई है।

(3) भारत सरकार द्वारा खरीदे हुये माल को दो ग्रुपों में बांटा गया है। उनमें से एक ग्रुप पूर्णतः छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों से खरीदे जाने वाले माल से सम्बन्ध रखता है। इस ग्रुप के मदों का निरन्तर पुनर्विलोकन लघु उद्योगों की बढ़ोतरी के साथ सम्बन्धित संघों के परामर्श से किया जाता है। दिसम्बर, 1957 में 16 मदों से आरम्भ करते हुये ऐसे मदों की संख्या अप्रैल, 1959 में 27, नवम्बर, 1961 में 46, दिसम्बर, 1961 में 63, जून, 1963 में 70 तथा जूलाई, 1965 में 72 तक बढ़ गई।

(4) बहुत से मदों में जहां प्राप्ति लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद के लिये, छोटे पैमाने के क्षेत्र तथा उद्योग के संगठित क्षेत्र दोनों से आवश्यक है, उद्योग के संगठित क्षेत्र के सम्भरण कर्ताओं को भुगतान किये गये मूल्यों की अपेक्षा अधिकतम 15 प्रतिशत तक मल्य अधिमान की आज्ञा दे दी गई है। इस से सरकार का प्रयास, मदों की संख्या बढ़ाना है जिनकी खरीद छोटे पैमाने के क्षेत्र से भी की जा सकती थी।

(5) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रतिनिधि, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और उनके प्रादेशिक खरीद संघों से सम्बध्द हैं। वे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से प्राप्त सभी इन्डैंटों की जांच करते हैं और उन मदों की जांच करते हैं जिनमें लघु उद्योगों की रुचि होती है। ऐसे मामलों में सभी छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को सीधे और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा टैंडर नोटिस जारी किये जाते हैं।

(6) सामान्यतः लघु उद्योगों से खरीदे गये मदों की सूचियां लघु उद्योग संस्थानों तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा प्रकाशित की जाती है और सभी राज्यों के उद्योगों के निदेशकों की दृष्टि में लाई जाती है।

(7) उद्योगों के राज्य निदेशक छोटे पैमानों की इकाइयों द्वारा देखने की सुविधा हेतु बार-बार मांगे जाने वाले माल के चित्रों तथा विशिष्टीकरण की लाइब्रेरी रखते हैं। इस पुस्तकालय में तभी बढ़ोतरी हो जाती है जैसे ही सरकारी माल की आवश्यकता के नये मदों की, जिनमें छोटे पैमाने की इकाइयां भी रुचि लेती हैं, जानकारी प्राप्त हो जाती है।

(8) उद्योग विभाग के अधीन लघु उद्योग बोर्ड भी समय-समय पर होने वाली अपनी मीटिंगों में खरीद प्रक्रियाओं का पुनर्विलोकन करता है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि उनके विचार-विमर्ष से सम्बन्धित रहता है।

मरमागोआ बन्दरगाह

1956. **श्री शिंकरे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में, खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सीधे लाये गये अथवा उसके द्वारा प्रतिष्ठापित निर्यातकों के माध्यम से लाये गये लोह अयस्क तथा मैंगनीज या सम्मिश्रित धातु अयस्कों को उतारने के लिये मरमागोआ पतन में कितने स्टीमर जहाज आये थे ;

(ख) क्या इनमें से किसी स्टीमर जहाज को कोई विलम्ब शुल्क देना पड़ा और यदि हां, तो स्टीमरवार, मालवाहक जहाजवार तथा निर्यातकवार कितना विलम्ब शुल्क दिया गया अथवा देना है;

(ग) क्या विलम्ब शुल्क रुपये में दिया गया अथवा विदेशी मुद्रा में और यह किसके खाते में दिखाया गया है; और

(घ) इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जनवरी से जून 1965 तक की अवधि में मारमोगोआ बन्दरगाह से 36 जहाज़ 3.69 लाख टन वह अयस्क लेकर गये जिसके संविदा खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने किए थे। 28 जहाजों में 3.55 लाख टन लोह अयस्क गया जिसके संविदा धातु तथा खनिज व्यापार निगम ने पुराने निर्यातकों की मार्फत किये थे।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जहाजों के अनुसार डेमारिज़ दिखाया गया है जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गये सीधे संविदाओं का माल ले गये। जो जहाज़ खनिज और धातु व्यापार निगम के मार्फत हुए अन्य संविदाओं का माल ले गये हैं उनकी डेमारिज़ आदि सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास उपलब्ध नहीं है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4821/65]** उसे परिवहन मन्त्रालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) धातु तथा खनिज व्यापार निगम के सीधे संविदाओं पर दिया गया या देय डेमारिज़ का योग जनवरी से जून 1965 तक की अवधि में 6.74 लाख रु० (विदेशी मुद्रा में दिये जाने वाला) और 3.39 लाख रुपयों में दिये जाने वाला रहा।

पश्चिम रेलवे पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1957. श्री छोटू भाई पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे के वर्तमान भड़ोच-सामनी-दाहेज और सामनी-जम्बूसर-विश्वामित्री छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा इस कार्य को चौथी योजना में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : जी नहीं ।

पुस्तकों का आयात

1958. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन में की गई कमी के कारण शिलिंग तथा डालर दोनों की विनिमय दर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं द्वारा किये गये निर्णय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न विक्रेता अपने माल की विनिमय दर स्वयं बढ़ा सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पुस्तकों पर मूल्य नियन्त्रण न होने के कारण, पुस्तक विक्रेताओं को आयातित पुस्तकों का उचित मूल्य लेने की स्वतन्त्रता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । अब तक इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर ट्रांसमिशन लाइन टावर

1959. श्री मुहम्मद इलियास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 के पहले सप्ताह में, दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खड़गपुर और हावड़ा के बीच 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन टावर टूट गया था, जिसके कारण कलकत्ता क्षेत्रमें 7 मई, और 14 मई, 1965 को बहुत समय तक बिजली बन्द रही;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने टावर को, जिससे उनके कार्य में बाधा पड़ रही थी, हटाने के लिये कोई प्रार्थना की थी और दामोदर घाटी निगम तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे दोनों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की; और

(ग) दोनों संस्थाओं ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि काम होते समय टावर टूटने न पाये क्या कार्यवाही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4822/65 ।]**

Attempt to loot a Railway Train between Jwalapur-Pathri Stations

1960. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Brij Raj Singh : Shri Bade : Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an attempt was made to overturn and to loot a railway train by placing stones on the railway track between Jwalapur-Pathri Stations on the Northern Railway;

(b) the damage caused to the engine and also to other compartments of the train; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) On 16-8-1965, after two trains—one Dehra Dun Express and the other Mussorie Express had safely passed the level crossing Gate between Jwalapur-Pathri Stations, a Light Engine which followed, suddenly stopped with a jerk. On examination it was found that some stones had been placed in between the track. The matter is, however, under enquiry by the police.

(b) The damage caused to the engine was negligible, as only the cow-catcher of the engine got bent by 6" with the impact. It was a Light Engine.

(c) No arrests have been made by the police so far.

Grant of Licences to Industries

1961. **Shri Onkar Lal Berwa : Shrimati Maimoona Sultan :**

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are contemplating to give licences once again to such industries for which no foreign exchange is required;

(b) if so, the number of such small scale industries which have sent applications for the grant of licences; and

(c) the time by which a decision is likely to be taken and on what basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (c). Government is giving consideration to the issue whether there is scope for further liberalisation of industrial licensing. If any decision to liberalise licensing further is taken, this will be promptly announced.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

1962. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में 1964 में उत्पादन बहुत कम हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष में उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

दरभंगा से जसीदीह तक तीसरी श्रेणी के टिकट

1963. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना के 12-8-1965 (प्रातः संस्करण) के "सर्चलाइट" समाचार पत्र के "रीडर्स" में प्रकाशित सम्पादक के नाम श्री गोपीलाल पोद्दार के पत्र की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में कहा गया है कि दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) से जसीदीह (पूर्व रेलवे) तक तीसरी श्रेणी के यात्री गाड़ी टिकट का मूल्य जसीदीह से दरभंगा तक के टिकट, के मुल्य से 25 पैसे अधिक है तथा उसके द्वारा मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर से शिकायत किये जाने पर दरभंगा से जसीदीह तक की उन की यात्रा के लिये उनसे अधिक लिये गये 25 पैसे उन्हें वापस मिल गये;

(ख) यदि हां, तो क्या दरभंगा से जसीदीह तक के टिकटों के मूल्य में अपेक्षित शुद्धि कर दी गई है; और

(ग) टिकट में यह गलती कब से हुई थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। किराये में असंगति का कारण यह था कि दरभंगा के बुकिंग क्लर्कों ने कुछ कोरे पर्ची टिकट जारी करते समय गलती से पूरी दूरी के लिए डाक/एक्सप्रेस गाड़ी का किराया ले लिया था, जबकि दरभंगा से समस्तीपुर तक साधारण किराया और समस्तीपुर से आगे जसीदीह तक की दूरी के लिये डाक/एक्सप्रेस गाड़ी का किराया लिया जाना था। दरभंगा से जसीदीह के लिये छपे हुए 'साधारण' टिकट दरभंगा स्टेशन को सप्लाई कर दिये गये हैं। साधारण एवं डाक/एक्सप्रेस टिकट सप्लाई करने के लिये भी कार्रवाई की जा रही है ताकि इस तरह की शिकायत न हो।

(ग) पिछले तीन वर्ष में इस तरह गलत किराया लेने के कारण चार बार रकम लौटानी पड़ी।

Explosion in Petrol Tank Wagon near Rani Ganj/Nimcha Station

1964. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the particulars of the assistance given by Government to the dwellers of the nearby huts which caught fire as a result of the explosion in the Petrol tank wagon near Raniganj/Nimcha Station on the Eastern Railway on the 12th August 1965;

(b) whether the inquiry into the said accident has been completed and if so, the particulars of persons found guilty of the sabotage in this connection ; and

(c) the action taken by Government against the guilty persons ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No assistance has been given so far.

(b) Yes. No one has been held responsible. The cause of fire was due to leakage in the Petrol Tank wagon through bottom discharge valve which developed as a result of vibration during run and the leaking petrol coming in contact with flying spark from coal burnt alongside track by public.

(c) Does not arise.

Export of Grapes

1965. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to export grapes to Singapore and other countries ; and

(b) if so, the amount of foreign exchange that is likely to accrue as a result of the export of grapes during 1965-66 ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No final decision has yet been taken to export grapes to Singapore and other countries although the question of promoting exports of grapes from India to foreign countries is under consideration in view of the increased production of exportable varieties of grapes in the country recently.

(b) Does not arise.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

1966. श्री ह० चं० सोय : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 30 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2865 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें नौकरी के मामले में पूर्ववर्तिता दिये जाने के फलस्वरूप रांची हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में लगाया गया है; और

(ख) कारपोरेशन की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था में अनुसूचित जातियों और अनुसूचि आदिम जातियों के कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1240 ।

(ख) 85 ।

भटनी जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट रेलगाडी का पटरी से उतर जाना

1967. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अगस्त, 1965 की रात को जब एक एक्सप्रेस माल-गाड़ी गोरखपुर-छपरा मुख्य लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर भटनी जंक्शन में प्रवेश कर रही थी, तो उस के कुछ डिब्बे पटरी से उत्तर गये और भूमि में धंस गये;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण है;

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 9,000 रुपये की क्षति का अनुमान है ।

(घ) जांच पूरी होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

रेलों में भोजन व्यवस्था

1968. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में भोजन व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय पोषाहार मंत्रणा समिति के कार्यकारी दल द्वारा हाल ही में की गई आलोचनाओं की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : यात्रियों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन देने के महत्व के प्रति रेल-प्रशासन सजग है। विभागीय खान-पान सिब्बन्दियों में तथा ठेकेदारों द्वारा भोजन पकाने और परोसने के लिये जो व्यवस्था है, उसका निरीक्षण अक्सर रेलवे के निरीक्षकों तथा अफसरों द्वारा किया जाता है। इनका निरीक्षण उन खान-पान पर्यवेक्षक समितियों के सदस्यों द्वारा भी किया जाता है जो किसी स्टेशन से लेकर क्षेत्रीय रेलवे तक के विभिन्न स्तरों पर काम करती हैं। मण्डल और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों तथा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् के सदस्य भी कभी-कभी खान-पान सिब्बंदियों का निरीक्षण करते हैं।

मेडिकल अफसरों सफाई निरीक्षकों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन खाद्य निरीक्षकों का काम लिया जाता है। वे रेलवे परिसर में दिये जाने वाले भोजन का नमूना लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। जो कर्मचारी अथवा ठेकेदार ऐसी भोजन-सामग्री बेचते हैं, जो ताजा और स्वास्थ्यप्रद नहीं होती, उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय पोषाहार सलाहकार समिति के कार्यकारी दल की रिपोर्ट में जो बातें कहीं गयी हैं, वे शहरों तथा कस्बों के होटलों, रेस्तराओं आदि जैसी खान-पान सिब्बंदियों तथा रेलवे स्टेशनों की खान-पान सिब्बंदियों पर भी समानरूप से लागू होती हैं। इस रिपोर्ट में रेलवे के बारे में जो सिफारिशें की गयी हैं उन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समुचित कार्रवाई की जायेगी।

स्कूटर तथा कार का पंजीकरण

1969. **श्री बुटा सिंह** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ी नियंत्रण आदेश के नये संशोधन के अनुसार देश में खरीद के लिये बुक कराई गई कारों तथा स्कूटरों (विभिन्न प्रकार के) की 31 अगस्त, 1965 को कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) उन व्यक्तियों के पंजीयन रद्द किये जाने पश्चात्, जिन्होंने उपरोक्त आदेश के अनुसार जमानत की राशि जमा नहीं कराई, 1 सितम्बर, 1965 को अन्तिम स्थिति क्या थी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : उन आवेदकों को, जिनका नाम 29 जून 1965 को विक्रेताओं की पुस्तकों में दर्ज हो चुका था, बैंक गारंटी के स्थान पर जो उनके द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी डाकखाने की जमानत जमा खाते की पास बुकें प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय और दे दिया गया है। डाकखानों में यह रकम जमा कराने की अन्तिम तारीख अब 26 सितम्बर, 1965 कर दी गई है। अतः कारों और स्कूटरों के लिये अनिर्णीत आर्डरों के बारे में अन्तिम स्थिति का पता उस तारीख के बाद ही चल सकेगा।

इटारसी तथा जबलपुर के बीच रेलवे लाइन का दोहरा किया जाना

1970. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर इटारसी तथा जबलपुर के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाने का काम कब पूरा हो जायेगा; और

(ख) अत्याधिक यातायात की मांग को पूरा करने के लिये इस सेक्शन पर कब अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी तक 102 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है और उसे यातायात के लिए खोला जा चुका है। आशा है, बाकी 140 किलोमीटर में दोहरी लाइन, कई चरणों में दिसम्बर, 1966 तक बनकर तैयार हो जायेंगी।

(ख) इटारसी-जबलपुर खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने से सम्बन्धित सुझाव पर उस समय विचार किया जायेगा जब इस खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो जायेगा।

इटारसी स्टेशन के पास ऊपरी पुल

1971. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन के फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण कार्य निश्चित समय अनुसूची से काफी पीछे रह गया है,

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं, और

(ग) कार्य को तेजी से पूरा करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : मौजूदा समपारों पर सड़क के ऊपर या नीचे पुलों का निर्माण रेलवे और सड़क प्राधिकारियों की मिली-जुली जिम्मेदारी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 1963-64 में इटारसी स्टेशन के उत्तर की ओर, मील सं० 463/12-13 के मौजूदा समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव किया था। पुल कहां बनाया जाय, यह प्रश्न काफ़ी अरसे तक राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ा रहा। फरवरी, 1964 में जाकर अन्तिम प्रस्ताव और अपेक्षित तकनीकी आंकड़े रेलवे को प्राप्त हुए। यह योजना 1965-66 के रेलवे कार्यक्रम में पहले से ही शामिल की जा चुकी है। पुल की सामान्य रुपरेखा राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिये और अपने हिस्से का खर्च उठाने की स्वीकृति देने के लिए अप्रैल, 1965 में भेजी गयी थी। लेकिन बार-बार याद दिलाने पर भी अभी राज्य-सरकार से खर्च की स्वीकृति नहीं मिली है।

Industries in Madhya Pradesh and Rajasthan

1972. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state the effect on the working of Industries functioning in Madhya Pradesh and Rajasthan as a result of low level of water in the Gandhi Sagar Dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : The required information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Failure of Power in Bombay

1973. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state the extent of loss in production and the amount of loss of wages to workers sustained due to the cut in power supply in Bombay city and its near-by areas sometime back ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : I am not able to follow which power cut the Hon'ble member is referring to. The calculation of the loss in production and wages in such circumstances will in any case not be easy. Quite often industries utilise such periods of compulsory shut down to get through their periodical overhauling, clearing up etc.

Empty Wagon at Kalpi Station

1974. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bishanchander Seth :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sealed wagon booked from Gwalior was found empty at Kalpi Railway Station;

(b) if so, the particulars of the articles booked in the said wagon ; and

(c) when and where those articles were taken out of that wagon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No. But a wagon sealed from Banmor, a station near Gwalior, was found at Kalpi, to be an empty wagon.

(b) Seals were put on an empty wagon by mistake. The correct wagon was correctly received at Kalpi, with all articles intact and delivered.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र में तपेदिक स्वास्थ्य निरीक्षकों को रेल सम्बन्धी रियासतें

1975. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में तपेदिक स्वास्थ्य निरीक्षकों को रेल सम्बन्धी कुछ रियायतें दिये जाने के सम्बन्ध में मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

दिल्ली में स्कूटरों का पंजीयन

1976. श्री प० ह० भील : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ी नियंत्रण आदेशों में संशोधन किये जाने के पश्चात्, जिस के द्वारा बैंक गारंटी के स्थान पर डाकघरों में बचत बैंक जमा खाते खोलने की अनिवार्यता का उपबन्ध किया गया है, दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्कूटरों के कुल कितने क्रयादेश दिये गये हैं; और

(ख) सभी ग्राहकों को, जिन्होंने क्रयादेश दिये हैं कब तक स्कूटर दे दिये जायेंगे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : 29 जून, 1965 को जिन प्रार्थियों के नाम विक्रेताओं के रजिस्ट्रों में दर्ज थे। उन्हें 30 दिन का समय पोस्ट आफिस सिक्यूरिटी डिपाजिट एकाउन्ट पास बुकें जमा करने के लिए दिया गया है। डाकखानों में यह राशि जमा करने की अन्तिम ताराख 26 सितम्बर, 1965 है। अतः दिल्ली क्षेत्र में दर्ज हुए स्कूटरों के उन आर्डरों की संख्या का जिन्हें अभी तक नहीं निपटाया गया है अनुमान इस तारीख के बाद ही हो सकता है।

मद्रास और त्रिवेन्द्रम के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

1977. श्री म० प० स्वामी :

श्री अरुणाचलम :

क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मद्रास-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस में होने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिये दक्षिण रेलवे पर मद्रास और त्रिवेन्द्रम के बीच एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस के चलाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1-10-1965 से।

तिरुनेलवेल्ली जक्शन रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

1978. श्री म० पा० स्वामी :

श्री अरुणाचलम :

क्या रेलवेमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में तरुनलवेल्ली जंक्शन के निकट एक ऊपरी पुल बनाने के लिये मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) रेल-प्रशासन किसी भी व्यस्त समपार पर ऊपरी/निचला सड़क पुल बनाने को तैयार है, बशर्ते कि उनकी योजनाएं राज्य सरकार या सड़क प्राधिकारी की ओर से आयी हों और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी लागत में अपने हिस्से की रकम देने को तैयार हों। ज्यों ही राज्य सरकार की ओर से तिरुनेलवेलि पर ऊपरी पुल बनाने की योजना आयेगी और वह आवश्यक निधि की व्यवस्था करके इस बात की सूचना देगी कि पहुंच-मार्ग बनाने का काम वह किस वर्ष तक शुरू कर सकेगी, तभी रेल-प्रशासन इस काम को शुरू कर देगा।

गोरखपुर-गोंडा लाइन पर रेलगाड़ियों की टक्कर

1979. श्री मुरली मनोहर :

श्री राम हरख यादव :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 33 अप जनता द्रुतगामी यात्री गाड़ी, 26 अगस्त, 1965 को, गोरखपुर-गोंडा मुख्य लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर सहजनवां स्टेशन में प्रवेश करते समय एक माल गाड़ी से टकरा गई,

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं,

(ग) दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए, और

(घ) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है।

(ग) कोई हताहत नहीं हुआ।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 10,000 रुपये की क्षति का अनुमान है।

कात्तर हरिहर रेलवे लाइन

1980. श्री लिंग रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने, लौहअयस्क की ढलाई सुविधाजनक बनाने के विचार से कात्तूर और हरिहर के बीच की रेलवे लाइन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) योजना पर कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां

(ख) और (ग) : होसपेट क्षेत्र से मंगलूर बन्दरगाह के रास्ते निर्यात के लिये लोह खनिज भेजने के उद्देश्य से पहले कोट्टुर-हरिहर लाइन के निर्माण का प्रस्ताव था। लेकिन भारत संघ के अंग के रूप में गोआ के आ जाने और मार्मुगोआ बन्दरगाह के मिल जाने से, अब होसपेट क्षेत्र से लोह खनिज का निर्यात स्वभावतः मार्मुगोआ बन्दरगाह के रास्ते होगा। मंगलूर बन्दरगाह से अब चिक्याकनहल्लि, चिक्कजाजूर और दूसरे निकटवर्ती क्षेत्रों का लोह खनिज भेजा जायेगा। हसन-मंगलूर लाईन इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनायी जा रही है। इस तरह कोट्टर-हरिहर लाइन का मुख्य औचित्य अब नहीं रह गया है।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास पर हमले के बारे में मैंने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार की है। अपना वक्तव्य देने के लिये मंत्री महोदय समय चाहते हैं। इसपर 3 बजे शाम को कार्यवाही आरम्भ होगी।

आज साढ़े तीन बजे प्रतिरक्षा मंत्री भी एक वक्तव्य देंगे।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चौथे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत चौथे वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसपर की गई कार्यवाही के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4807/65।**]

कोयला खान अनिधयिम आदि के अन्तर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिये कोयला बोर्ड के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4808/65।**]

(2) बोकारो स्टील लिमिटेड के संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधनों की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4809/65।**]

तकनीकी विकास के महानिदेशालय सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन (भाग 1)

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं तकनीकी विकास के महानिदेशालय संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4810/65।**]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कृत्रिम रेशमी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण) नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1965, जो दिनांक 1 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1347 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कृत्रिम रेशमी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण) नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1965 जो दिनांक 19 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1900 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4811/65।**]

(2) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 28 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2631 की एक प्रति जिसके द्वारा रबड़ बोर्ड (भविष्य निधि) नियम, 1965 में कतिपय और संशोधन किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4812/65।]**

(3) वर्ष 1963-64 के लिये चाय बोर्ड के लेखों सम्बन्धी परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4813/65।]**

गोवा, दमण और दीव सीमेंट नियंत्रण आदेश

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, गोवा, दमण और दीव सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1965 की एक प्रति, जो गोवा, दमण और दीव सरकार के दिनांक 22 मई, 1965 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4814/65।]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद-काय मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान मुझे आपकी अनुमति से यह घोषणा करनी है कि सोमवार 13, सितम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

(1) वर्ष 1961-62 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (केरल) पर आगे चर्चा और मतदान।

(2) वर्ष 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (केरल) पर आगे चर्चा और मतदान

(3) वर्ष 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(4) वर्ष 1962-63 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मागों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(5) वर्ष 1962–63 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान।

(6) वर्ष 1965–66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान।

(7) दिल्ली मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1965

(विचार तथा पारित करना)

(8) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1965

(विचार तथा पारित करना)

(9) प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पारित करना)

[श्री० सत्यनारयण सिंह]

(10) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1964 को एक संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति प्रकट करने के प्रस्ताव पर विचार।

(11) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1965

(विचार तथा पारित करना)

(12) कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक, 1965

(विचार तथा पारित करना)

(13) इलायची विधेयक, 1965

(विचार तथा पारित करना)

(14) नाविक भविष्य निधि विधेयक, 1965

(विचार तथा पारित करना)

(15) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विवार तथा पारित करना)

(16) पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा 16 अगस्त, 1965 को तेल सम्बन्धी नीति के बारे में सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य के विषय में 9 सितंबर, 1965 को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर, आगे **चर्चा, बुधवार, 15 सितम्बर, 1965 को 3 बजे म० प० पर**

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह। केवल मदें ही बताई जानी चाहिये। कोई भाषण नहीं दिये जाने चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The motion regarding Backward Classes Commission is pending for the last fourteen months. I would like to know when that would be taken up again.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस कार्य सूची के अनुसार तो हम अगले सप्ताह भी वैदेशिक-कार्य पर चर्चा नहीं कर सकेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा यह नहीं जानना चाहती कि सरकार काश्मीर के सम्बन्ध में क्या कार्य कर रही है परन्तु हमें पेकिंग रेडियो तथा अन्य क्षेत्रों से चीन द्वारा तथा देश की प्रभुसत्ता को धमकी तथा इंडोनेशिया में हाल की घटनाओं और अन्य बातों के समाचार मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आरम्भ में प्रार्थना की कि मैं लम्बे भाषणों की अनुमति नही दूंगा। माननीय सदस्यों को यही पूछना चाहिये कि अमुक विषय पर चर्चा होगी अथवा नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : हम स्थिति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं परन्तु आप निश्चय ही सहमत होंगे कि हमने अपना कत्तव्य निभाना है और हमें समूचे प्रश्न के राजनैतिक पहलू पर अवश्य चर्चा करनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (कन्द्रपाडा) : उन्होंने पिछली बार हमे सत्र की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में सूचना देने का आश्वासन दिया था परन्तु अब कुछ नहीं कहा गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे चार बातों के बारे में निवेदन करना है। पहली बात मंत्रालयों के बारे में है। आपने कहा था कि इस बारे में समय दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बताउंगा की उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई।

श्री हरि विष्णु कामत : केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पहले प्रतिवेदन पर इस सत्र में चर्चा की जानी चाहिये। न्यायाधीश (जांच) विधेयक पर जो 1964 में पुर:स्थापित किया गया था अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब इसपर चर्चा की जानी चाहिये। आपने राष्ट्रपति की नियम बताने की शक्ति की जांच करने के बारे में कहा था। मुझे आशा है कि आप सभा को उसके बारे में कुछ बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैंने अभी यह जांच नहीं की है। अब मैं यह करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I would like to know whether this Session is likely to be extended.

Mr. Speaker : Attention has already been drawn towards this point. There should not be any repetitions.

श्री कर्णी सिंहजी (बिकानेर) : श्रीमन हम में से अनेक यह समझते हैं कि इस समय वैदेशिक कार्यों अथवा काश्मीर के मामले में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री पहले ही विपक्ष के सदस्यों से परामर्श कर रहे हैं। मेरा विचार है कि इस समय यही अच्छी प्रक्रिया है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I submit that we should have such discussion here in the House which may have profound effect on the public of Pakistan and India and may ultimately cause rebellion in Pakistan. So far only our Army has gone in to operation, but in Lok Sabha no discussion has taken place. It has become imperative that the Lok Sabha discusses all aspects of Indo-Pak affair as soon as possible so that the people of both these countries realise that we intend to establish such society where Hindus and Muslims are not only equal in number but Hindus will strive to become Muslims and *vice versa*. There should be such a discussion. (*Interruptions*). The hon. Members fail to understand these things. They should feel ashamed of it. They should feel sorry that they could not occupy Lahore even one week after the hostilities had started. Had there been any discussion in Lok Sabha, Lahore must have been occupied by now.

Mr. Speaker : The hon. member may now come to the point.

Dr. Ram Manohar Lohia : I always obey the Chair, but the other hon. Members may be asked to do the same.

Mr. Speaker : It is regreted. .....

Dr. Ram Manohar Lohia : I am always afraid of you, Sir. But you should also listen to me.

Mr. Speaker : Dr. Sahib, it .....

Dr. Ram Manohar Lohia : You may not please feel annoyed. I request you to arrange a discussion here which may lead to establish good relations between Hindus and Muslims and be a model for the world as well as the people of India and Pakistan.

Mr. Speaker : Until some hon. member moves a motion, no discussion can take place here. This is what I wanted to ask Dr. Sahib to do but he said that I should not feel annoyed. I respect Dr. Sahib but he said that he was afraid of me. Perhaps I am more afraid of him. I asked him to address the Chair and nothing more than that.

Dr. Ram Manohar Lohia : You should have listened to my point.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) **:** By requesting you, we want that there should be discussion here on this matter.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : यह कहना कि अभी तक लाहोर पर कब्ज़ा नहीं किया गया है, हमारी सेनाओं पर आरोप लगाना है ।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारी सेनायें बहादुरी से लड़ रही हैं । अंन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिये ताकि हमें पता लगे कि हमारे मित्र राष्ट्र कौन-कौन से हैं ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : विधान मण्डल तथा न्यायपालिका के परस्पर सम्बन्धों पर भी क्या कोई चर्चा निकट भविष्य में की जायेगी ?

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपूर) : इस समय जो व्यवहार ब्रिटेन द्वारा किया जा रहा है वह खेदजनक है । इसलिये उस देश से तथा विशेषकर राष्ट्रमण्डल से हमारे सम्बन्धों पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : इस सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी और यह इस महीने की 24 तारीख को स्थगित हो जायेगा ।

जहां तक पिछड़े वर्ग आयोग का प्रश्न है, मैं मंत्री महोदय से बातचीत करूंगा और यदि वह सहमत हो गये तो अगले सप्ताह इस पर चर्चा होगी ।

सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता । मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा ।

जहां तक न्यायाधीश जांच विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हम उस पर इस पत्र के अन्तिम सप्ताह में चर्चा करेंगे ।

डा० लोहिया के प्रश्न का उत्तर पहले ही सभा ने दे दिया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister should give the answer himself.

Shri Satya Narayan Sinha : We are in the hands of the hon. Member.

Dr. Ram Manohar Lohia : Had this been so, the country might not have met this fate.

श्री दी० चं० शर्मा : ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिये । यह देश का अपमान है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सम्बन्ध है, सरकार उस पर इस सत्र में चर्चा नहीं करना चाहती ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह मंत्री महोदय के लिये है कि वह किसी विषय पर चर्चा की अनुमति दें अथवा न दें । इससे तो अच्छा है कि सभा को स्थगित कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : चीनी आक्रमण के दौरान हम प्रति दिन इस विषय पर चर्चा करते थे ।

श्री कर्णी सिंहजी : अब हम लड़ रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम लड़ रहे हैं, हम यह जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं । अन्तर्बाधाओं की भी सीमा होती है ।

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम) : का सभा की कार्यवाही से कुछ शब्द निकाल दिये जाने के बारे में दिया गया सूझाव स्वीकार कर लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : जो कुछ भी डा० लोहिया ने कहा है, वह निकाल दिया जाना चाहिये ।

संघ राज्य-क्षेत्र (लोक सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक—जारी

UNION TERRITORIES (DIRECT ELECTION TO THE HOUSE OF THE PEOPLE) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हाथी द्वारा 9 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"कि लोक सभा में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियत स्थानों को भरने के लिये वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया है । मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के विकास के बारे में हमने बहु से कदम उठाये हैं । सरकार इन द्वीपों के महत्व को पूर्ण रूप से समझती है । संचार व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में पर्याप्त सुधार कर दिया गया है और इस ओर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है । इन द्वीपों में संचार व्यवस्था पर लगभग एक करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है । विमान सेवा के बारे में कठिनाई यह है कि हमें रंगुन से हो कर जाना पड़ता हैं । वहां के हवाई अड्डे में आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं ।

वहां पर अधिक सड़के बनाई जा रही हैं । इस कार्य पर 267 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । कृषि को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार इन द्वीपों के हर प्रकार के विकास की ओर ठीक प्रकार से ध्यान दे रही है । जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इस समय वहां पर 104 प्राथमिक विद्यालय हैं और 8 मिडिल स्कूल है । वहां की कुल जनसंख्या 64,000 है 8,117 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।वहां पर साक्षरता 33. 6 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 24 प्रतिशत है । उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है । स्थानीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं । जहां तक तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध है वहां के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते है तथा पुस्तकें भी मुफ्त दी जाती है ।

शिक्षा के माध्यम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है । 104 प्राथमिक स्कलों में से 40 में बंगाली शिक्षा का माध्यम है । वहां पर सभी लोग हिन्दी और बंगाली बोलते है । चाहे वे केरल के ही क्यों न हो । वहां के लोगों में एकता की भावना बहुत है । वहां के लोगों की मातृभाषा को भी प्रोत्साहन देना है ।

वहां पर हमारी नौसेना का भी एक अड्डा है । उन द्वीपों का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखना सब प्रकार से उचित ही है । वहां पर एक राज्य सरकार हो,एक विधान मंडल हो यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती । यह एक छोटासा स्थान है और उन के संसाधन सीमित हैं । हां केन्द्रीय सरकार उन की सहायता कर सकती है । वहां पर हम ने नगर पंचायतें बना दी हैं और सलाहकार समितियां बना दी हैं । एक समिति गृह-कार्य मन्त्रालय को सलाह देती है और एक वहां के उच्चायुक्त को सलाह देती है । वहां सभी लोग एक परिवार की भांति रहते हैं और कार्य करते हैं । मैं स्वयं वहां एक सप्ताह रहा हूं । हमें उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी है ।

[श्री० हाथी]

जहां तक वहां के निवासियों के प्रशासन आदि में भाग लेने का सम्बन्ध है, वे सभी समितियों के सदस्य हैं। वे जानते हैं और महसूस करते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। हमें उन द्वीपों को बंगाल या किसी अन्य राज्य के साथ मिलाने के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये। दादरा और नगर हवेली की आवश्यकताओं के पूर्ति के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

इन द्वीपों के नामों को बदलने का प्रश्न एक पृथक प्रश्न है। इस समय तो हम वहां के लोगों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

यह कहा गया है कि खण्ड 6 जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि वर्तमान सदस्य आगामी चुनाव तक सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे, आवश्यक नहीं है क्यों कि खण्ड में भी यह व्यवस्था है कि आगामी आम चुनाव में लोक सभा के लिये सदस्य चुने जायेंगे। परन्तु इस समय विचारणीय बात यह है कि हम लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 4 में संशोधन कर रहे है जिसमें मनोनीत करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यदि इस बीच में कोई स्थान रिक्त हो तो उस के लिये इस खण्ड को शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक सभा में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियत स्थानों को भरने के लिये वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा तत्सबन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। इसका कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 2 तथा ३ विधेयक में जोड दिये गये।/ *Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

खण्ड 4 (1950 के अधिनियम 43 का संशोधन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): इस बारे में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि दिल्ली और अन्दमान तथा निकोबार संघराज्य है। इन के बारे राज्य सरकार के होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस बारे में संघराज्य के प्रशासन को राज्य सरकार समझा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 4 to 6 were added to the Bill.*

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये। /*The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

"That the Bill be passed"

श्री मा० श्री० अणे (नागपूर) : श्री कामत के भाषण ने यह प्रमाणित कर दिया है कि विधेयक के मसौदे ठीक प्रकार से तैयार नही किये जाते। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि गोआ, दमन, दीव को पृथक एकक नहीं समझना चाहिये। सरकार को लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

"That the Bill be passed"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक

GOLD (CONTROL) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हितों के लिये सोने और आभूषणों तथा सोने की अन्य वस्तुओं के उत्पादन, सम्भरण, वितरण, प्रयोग तथा रखने और उनको व्यापार पर नियन्त्रण करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक में राज्यसभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।

अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में, शब्द "पंद्रहवें" के स्थान पर शब्द "सोलहवें" रखा जाये।

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पंक्ति 5 में अंक "1964" के स्थान अंक "1965" रखा जाये।"

यह विधेयक लोक सभा ने 24 दिसम्बर, 1964 को पारित किया था। राज्य सभा ने इसमें ये संशोधन किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हितों के लिये सोने और आभुषणों तथा सोने की अन्य वस्तुओं के उत्पादन, सम्भरण, वितरण, प्रयोग तथा रखने और उनके व्यापार पर नियन्त्रण करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किय गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।

अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में शब्द "पंद्रहव" के स्थान पर "सोलहवें" रख दिया जाये।

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पंक्ति 5, में अंक "1964" के स्थान पर अंक "1965" रखा जाये।"

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : यह विधेयक पुनः इस सभा के समक्ष आया है। इस विधयक को पारित ही नहीं करना चाहिये था। मैं कहना चाहता हुं कि यह एक गलत विधेयक है। एसा कहा गया था कि इस विधेयक के पास होने के फलस्वरूप सोने के भाव कम हो जायेंगे। परन्तु ऐसा हुआ नहीं, है। इस विधेयक को पास नहीं करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मसानी की बात का समर्थन करता हूं। इस विधेयक से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को इस सभा द्वारा और राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अब इसमें केवल 1964 के स्थानपर 1965 करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : एक वर्ष का अन्तर बहुत होता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : देश में संकट-काल है। स्वर्ण नियंत्रण का क्या हुआ ? स्वर्ण-कारों का पुनर्वास नहीं किया गया। इतना ही नहीं कलकत्ता में "संदेश" मिठाई बनाने वाले 15 से 20 हजार तक लोग बेरोजगार हो गये है। इस विधेयक को वापस लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हितों के लिये सोने और आभूषणों तथा सोने की अन्य वस्तुओं के उत्पादन, सम्भरण, वितरण, प्रयोग तथा रखने और उनके व्यापार पर नियंत्रण करने तथा तत्संबंधी विषय की व्यवस्था करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

"अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में शब्द "पन्द्रहवें" के स्थान पर शब्द सोलहवें रखा जाये।

खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5, में अंक 1964 के स्थान पर अंक "1965" रखा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को पृथक पृथक मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :—

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में शब्द "पन्द्रहवें" के स्थानपर शब्द "सोलहवें" रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री मी० रू० मसानी : खंड 1 में संशोधन पर हमारा एक संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको मतदान के लिए नहीं रख सकता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

खण्ड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5, में अंक "1964" के स्थान पर अंक "1965" रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

बीमा (संशोधन) विधेयक

INSURANCE (AMENDMENT BILL)

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीमा अधिनियम, 1938 में अग्रेसर संशोधनों करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार बीमा नियंत्रक के लिये किसी प्रार्थी को, यदि वह अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की औपचारिक आवश्यकता पूरी करता हो, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। अधिनियम में नियंत्रक को, किसी प्रार्थी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले, उसकी वित्तीय स्थिति और सामान्य प्रन्बध के सम्बन्ध में अपने आपको संतुष्ट कर लेने की व्यवस्था नहीं है।

यदि बीमे का व्यवसाय करने वालों की संख्या उससे अधिक हो जाये जितने इस व्यवसाय में लगे होने चाहिये तो इससे अवांछित प्रवृत्ति पनपेगी और फलस्वरूप बीमा कम्पनियों की स्थिरता को खतरा होगा। अतः विधेयक में यह व्यवस्था है कि बीमा नियंत्रक किसी प्रार्थी के रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात पर विचार करे कि क्या वर्तमान संख्या में वृद्धि की गुंजायश अथवा आवश्यकता है। इससे नियंत्रक को कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। यह भी व्यवस्था की गयी है कि नियंत्रक द्वारा रजिस्ट्रेशन करने से मना करने पर सरकार से अपील की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मैं प्रथम बार विधान पेश करने के लिये वित्त उपमंत्री को बधाई देता हूं। यह विधेयक गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। भारतीय बीमा (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार अनधिकृत रूप से सरकारी राजस्व के रूप में लाभ का 5 प्रतिशत लेती रही है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध निर्णय दिया और अब इसको भूतलक्षी प्रभाव से कानूनी रूप देने के लिये यह विधेयक रखा जा रहा है। यह अच्छा होता यदि सरकार आर्थिक संकट के समय अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिये जीवन बीमा निगम के लाभ से एक प्रकार का राजस्व प्राप्त करती। हम यह बात कहते रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के सभी निगम, चाहे वे औद्योगिक हों या वित्तीय, सरकार को काफी लाभ पैदा कर के दें ताकि सरकार को इन संस्थाओं के लाभ से एक आय का साधन हो। यह अच्छा हो यदि यह विधेयक आगामी काल से लागू किया जाए। इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना बड़ा गलत है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले तीन या चार मूल्यांकन के दौरान अपनी निधि में कितनी धनराशि डाली है।

धारा 28 क के दूसरे संशोधन की, जो अतिरिक्त खण्ड है व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है। इस में बताया गया है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा के अतिरिक्त किसी व्यापार से लाभ होता है.....

श्री दी० चं० शर्मा : आप किस विधेयक पर बोल रहे है ?

श्री अल्वारेस : जीवन बीमा निगम विधेयक पर।

श्री रामेश्वर साहू : यह विधेयक बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : बीमे का दोनों से सम्बन्ध है। एक में जीवन शामिल है और दूसरे में कोई जीवन नहीं है। जो कुछ हुआ है, क्या उसको भाषण का अंश माना जाए ?

श्री अल्वारेस : जी, नहीं। इसको कार्यवाही से हटाया जा सकता है।

श्री वारियर (त्रिचूर): इस प्रकार के संशोधन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का है। कुछ समय पहले तत्कालीन वित्त उप मंत्री ने कहा था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है और शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चौथी योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व यह उपयुक्त अवसर है जब कि सरकार संसाधनों को ढूंढने का प्रयत्न करे। जब जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमने समझा कि इससे गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में संसाधनों का सन्तुलन समान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि जीवन बीमा निगम ठीक से कार्य करता तो ऐसा हो सकता था। सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने में शर्म आ रही है। जब सरकार के अपने हाथ में सामान्य बीमा में अग्नि विभाग का 75 प्रतिशत व्यवसाय है और वह कार्य चार बड़ी गैरसरकारी कम्पनियों को दिया जाता है। तो सरकार इस काम को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती। सामान्य बीमा के क्षेत्र में पहले ही एकाधिकार की प्रवृत्ति है। हर वर्ष कम्पनियों की संख्या घट रही है हालांकि अर्थ व्यवस्था का विकास हो रहा है और सामान्य बीमा में सुधार हो रहा है।

फिर प्रश्न छूट में प्रतियोगिता का है। इस प्रतियोगिता के कारण केवल छोटी छोटी कम्पनियाँ ही नहीं बल्कि भारतीय बीमा कम्पनियों में निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारी भी विदेशी बीमा कम्पनियों में जा रहे हैं। आंकडों से पता चलता है कि सामान्य बीमा में लाभ और लाभप्रदता बहुत है।

दूसरी बात यह है कि अब भी विदेशी कम्पनियों को समुद्री बीमा से बहुत लाभ हो रहा है और भारत को इसका उपयुक्त अंश नहीं मिल रहा है।

अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को टाल नहीं सकती। बीमा व्यापार में, जो लगभग पूर्णतः गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है, व्याप्त बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न के बजाय इस पहलू पर उचित सोच विचार के लिये यह उपयुक्त अवसर है। राष्ट्र के हितों को व्यापक रूप से ध्यान में रखते हुए तथा बीमा कराने वाले लोगों के हित में सरकार को इस समय अन्तिम निर्णय करना चाहिये तथा सामान्य बीमा को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और इस कार्य को जीवन बीमा निगम को सौंप देना चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को उनके भाषण के लिये बधाई देता हूं।

समझ में नहीं आता कि सरकार की नीति क्या है। सरकार ने जीवन बीमा का तो राष्ट्रीयकरण किया है लेकिन सामान्य बीमा का नहीं। इसका मतलब है कि हाथी तो निकल गया और पूंछ रह गयी। बीमा को देश में एकीकृत तथा समेकित व्यापार समझा जाना चाहिये और इसके लिए एक ही नियंत्रण अधिकरण होना चाहिए। सरकार ने सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण करने में बहुत विलम्ब कर दिया है और इस कार्य को जितना शीघ्र किया जाए उतना ही अच्छा होगा।

बीमे की एकत्र के प्रीमियम का 75 प्रतिशत अंश सरकार देती है। सरकार यह पैसा अन्य व्यक्तियों को क्यों दे रही है ? समझ में नहीं आता कि यह कैसी आर्थिक नीति है।

कुछ दिन हुए सामान्य बीमा-क्षेत्र में काम करने वाले कुछ व्यक्ति मेरे पास आये और उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया जिसमें भेदभाव, लम्बित पदोन्नति, अलाभप्रद कार्य और अल्प वेतन के उल्लेख थे। सामान्य बीमा व्यवसाय में लगे देशवासियों के हित में, सरकार के हित में, समेकित नियंत्रण के हित में हमें सामान्य बीमा को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये हम विदेशों से तो धन मांग रहे हैं लेकिन हमें अपने देश में ही धन जुटाने में शर्म लगती है। यदि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो उपमंत्री महोदय का नाम बीमा जगत में अमर हो जायगा।

यह विधेयक बड़ा अच्छा है। इसमें बताया गया है कि बोगस कम्पनियां नहीं बननी चाहिये। लेकिन इसको पेश करने की क्या आवश्यकता हुई लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या हम सामान्य बीमा कम्पनियों को बिना उचित पूंजी, बिना उचित लेखे और बीमाधारिओं की मांग पूर्ण करने के लिये समुचित पूंजी के सामान्य बीमा करने के लिये लाइसेंस देते रहे हैं। सरकार को चाहिये कि वह बुराई को आरम्भ में ही दबा दे। यदि सरकार बुराई को शुरू में ही दबा देना चाहती है तो उसे सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये। आज की यही मांग है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की यही मांग है। यदि सरकार सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं करती तो वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करती।

श्री कृ०ल० मोरे (हतकंगले) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की इतनी कोई जल्दी नहीं थी। उपमंत्री महोदय ने ऐसे कोई दृष्टांत नहीं दिये हैं जिनमें बीमा कम्पनियों ने बीमा कराने वालों के हितों के विपरीत कार्य किया हो। इसके विपरीत 1963 के आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि सामान्य बीमा के व्यवसाय में सराहनीय प्रगति हुई है। केवल तीन कम्पनियों को रद्द किया गया और वह भी इसलिये कि इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं कराया।

नियंत्रक को दी जाने वाली शक्ति बहुत ही अस्पष्ट है और इसकी उचित परिभाषा भी नहीं की गई है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड़ा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस उपबन्ध में यह व्यवस्था है कि नियंत्रक के लिये स्वतः किसी विदेशी बीमा कम्पनी को खंड 2 (क) में निहित बातों से स्वयं को संतुष्ट किये बिना लाइसेंस देना अनिवार्य नहीं होगा। पहले उसको यह अधिकार नहीं था और आवेदक को लाइसेंस स्वतः ही मिल जाता था। लेकिन अब नियंत्रक को तथ्यों पर विचार करने का अधिकार होगा और यदि वह संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें रजिष्ट्रेशन करने से इन्कार कर देने का अधिकार होगा।

पता नहीं कि राष्ट्रीयकरण की बात बारबार क्यों उठाई जाती है। सामान्य बीमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे स्वतः ही पैसा मिलने लगे। इससे बड़ा जोखिम है और यदि कुछ पालिसियां सावधानी से नहीं दी जाती तो लाभ के बजाय कम्पनी को हानि उठानी पड़ सकती है। सरकारी बीमा कम्पनियों द्वारा भी कुछ सामान्य बीमे का व्यवसाय किया जा रहा है। अतः सरकार के लिये सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः जहां कई कम्पनियां होती हैं, वे आपस में ऐसी व्यवस्था करती हैं जिससे कुछ प्रतिशत के आधार पर जोखिम कई अन्य कम्पनियों को उठाना पड़ती है। अतः मैं समझता हूं कि कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है और सरकार को उससे अधिक कार्य नहीं संभालना चाहिए जितने का वह ठीक प्रबन्ध कर सकती है। यदि वह ऐसा करती है तो उसे जोखिम उठानी पडेगी। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह संशोधन आवश्यक है। लेकिन क्या सामान्य बीमा कम्पनियों में जो बुराई घर कर गई है उसे दूर करने का यही तरीका है ?

[स० मो० बनर्जी]

अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिये सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण किया जाना आवश्यक है। 1964 में 24 कम्पनियों को होनेवाला लाभ कर लगने से पूर्व 487 लाख रुपये था। कर लगने के बाद 1964 में लाभ 272 रुपये रहा जबकि 1963 में यह 162 लाख रुपये था। श्री हिम्मतसिंहका कहना है कि यह काम जोखिम का है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करते समय भी यही तर्क दिये गये थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद क्या इससे हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है? मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम से हमें सर्वाधिक वित्तीय सहायता मिलती है।

"रूबी इंश्योरेंस" और "न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस" कम्पनियों का इतिहास हम सब जानते हैं। वहां पर काफी गोलमाल है। क्या हमें उन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये। यही उचित समय है जबकि हमें राष्ट्र के हितों में सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये। चाहे हमें इससे आय 4 या 5 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक न हो लेकिन सामान्य बीमा कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की शोचनीय दशा को देखत हुए यह आवश्यक है। वहां पर कोई सेवा की शर्तें नहीं हैं। यह बात इस संशोधन में नहीं आती लेकिन सभा की भावना पर ध्यान देना चाहिये। सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों द्वारा सरकार को दिये गये ज्ञापन से पता चलता है कि बीमा कम्पनियों के लाभ में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। फिर भी हमारे मित्र श्री हिम्मतसिंहका कहते हैं कि यदि सरकार उन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करेगी तो उसको जोखिम उठानी पड़ेगी। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय भी कुछ वर्गों ने यही आवाज उठायी थी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि यदि सरकार वास्तव में समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही है तो उसे इस बारे में साहस से और दृढ़तासे निर्णय करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि समूचा देश उसका समर्थन करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यदि हम तत्काल राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते तो सामान्य बीमा क्षेत्र के नियंत्रण के लिए एक व्यापक विधान पेश किया जाय।

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Speaker, Sir, I am not against the provisions of this Bill. What we have to ensure is that the powers which are being given to the Controller should be exercised in the manner we contemplate. Today we notice that the powers given to the officers are misused. At a time when we have launched the anti-corruption drive and appointed Vigilance Commission, it is very necessary that the powers given under this Bill should be properly exercised.

The point which I want to emphasize is that the insurance is not being popularised in the rural areas. There are certain notions in the orthodox people which go against insurance and we have to make strong efforts to convince those people about the new ideas.

Through the Five Year Plans Government have generated new confidence and love for life among the people. Regarding the nationalization of general insurance it is argued that there are great difficulties in its way. I say it is a matter of confidence and if Government inculcates that it will not be difficult to overcome all the hurdles.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The people inside and ouside the country had entertained ideas that these *dhotiwalas* and *topiwalas* cannot run the Government. But we have proved our strength and valour in our recent encounter with Pakistan. The main object of the life insurance is this very strength which we have exhibited to Pakistan.

I want that the general insurance should also be nationalized. It will go a long way in making our country healthy and prosper. The money earned by Government this way can be utilized in financing the 4th Five Year Plan.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपूर) : जहां तक इस विधेयक के उपबंधों का संबंध हमें उनके विरुद्ध नही हैं, आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिकारियों को जो विवेक की शक्ति दी जाती है, वे उनको व्यापारियों के पक्ष में प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार इस विधेयक में जो विवेक की शक्ति दी गई है क्रियान्वित के समय उसका उचित प्रयोग नहीं किया जायेगा । इस विधेयक के अनुसार नई कम्पनी को कुछ शर्तों को पुरा करना होगा और नियन्त्रक को अपने आप को संतुष्ट करना होगा कि ये शर्तों पूरी की गई हैं । इस समय क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं वे नियन्त्रक पर दबाव डालेंगे और इस प्रकार जो विवेक शक्ति नियन्त्रक को दी गई है उसका उचित प्रयोग नहीं हो सकेगा । इसका एक ही हल है और वह यह कि देश के सभी बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीकरण किया जाये । इस संशोधन से कोई काम नहीं चलेगा । सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण किया जाना अत्यावश्यक है । कुछ लोगों के हाथ में जो एकाधिपत्य है हमें उसको समाप्त करना चाहिये । जब तक अधिक क्षेत्र में व्यापारियों की शक्ति रहेगी तब तक वे अधिकारीयों पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे ।

Shri Bhagwat Jha Aazad (Bhagalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the amendment brought in this Bill, but I entertain the fear that this amendment will not be able to implement the intentions behind the amendment.

There is great need for the nationalization of the general insurance. The hon. Finance Minister fully knows it and yet I do not know what useful purpose this amendment will serve when full changeover is required. It has been established that the monopolists of this country are sucking the blood of the 90 percent people. Unless nationalization is done in the vital sectors we will not be able to make our country prosper.

The Mahalanobis Committee had said in its report that there is concentration of economic and political power in this country in the hands of a few people. The second part of that report has not come so far. It only shows that the business magnates of this country are exerting great pressure upon the Ministers. The first part of the report which has appeared has clearly shown how six banks with a capital of only 20 crores of rupees are having monopoly over thousands of crores of rupees of this country.

If the Government wants to remove the economic disparity, if they want the decentralization of economic and political power, if they want to utilize all the resources for the 4th Plan, the only solution for this is that Government should nationalize all the vital sectors of our economy. If we want to mobilize the resources for the 4th Plan we will have to nationalize the general insurance, the banks and all that. Nationalization is the prerequisite of the planned development and socialistic pattern of society.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : इस विधेयक द्वारा नई सामान्य बीमा कम्पनियां चालू करने के लिये प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को जांच करने की शक्ति दी जा रही है । इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । मैं मानता हूं कि इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है, परन्तु सामान्य बीमा की दिशा में यह एक अच्छा कदम है ।

जहां तक सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है यह एक ऐसा मामला है जिसपर काफी सोचविचार की आवश्यकता है । सामान्य बीमा में जीवन बीमा जितना लम्बा चोड़ा काम नहीं है । वास्तव में यह एक प्रकार का व्यापार है जिसमें कुछ खतरा भी है । दुर्घटनाओं के बीमे में मुनाफा नहीं के बराबर है और खतरा बहुत अधिक है ।

[श्री ति० त० कृष्णम्माचारी]

जहां तक समुद्रीय बीमे का संबंध है इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां काम कर रही हैं, और क्या राष्ट्रीयकरण द्वारा हमें विदेशी व्यापार मिल सकेगा यह विचार करने की बात है। जिस देश से जहाज माल लेकर चलता है वह स्वभावतः इसके लिये आग्रह करता है कि बिमा उसी देश में किया जाये। अतः इस मामले पर काफी विचार करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीयकरण चाहता है, परन्तु जब किसी संस्थान का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो संसद सदस्यों और समितियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर उसकी आलोचना की जाती है। यदि आप एक बालक को पैदा करें और फिर कहें कि इसको खाना मत दो, इसको बढ़ने मत दो तो उस बालक को पैदा करने का क्या फायदा ?

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : Criticism is made to remove the defects.

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : आप ऐसे लोगों के हाथ में सरकारी क्षेत्र का काम सौंपते हैं जिनकी उसमें रूचि नहीं है।

श्री ति० त० कृष्णम्माचारी : उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र का जो मुनाफा है वह सारा उनके कर्मचारियों में बांटा देना चाहिये। केवल करों से तो सरकार का काम नहीं चलता।

महलनबीस समिति के प्रतिवेदन के बारे में स्थिति यह है कि उस समिति में एक बड़ी संख्या में बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठे हो गये हैं और बुद्धिमान व्यक्ति कभी सम्मत नहीं होते। मैं आशा करता हूं कि प्रतिवेदन शीघ्र ही आ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, 1938 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ति० त० कृष्णम्माचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) 1961-62
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1965-66

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (KERALA) 1961-62
AND
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA) 1965-66

वर्ष 1961-62 के लिये केरल राज्य सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
9.	राज्यों के प्रमुख, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी . .	1,27,752
13.	न्याय प्रशासन	58,539
15.	पुलिस	2,53,053
23.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	31,84,725
33.	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, स्थानीय विकास कार्य और विस्तार केन्द्र . . .	9,03,946
34.	सिविल निर्माण-कार्य	22,87,277
41.	वनों पर पूंजी परिव्यय	4,759
42.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	65,41,640
43.	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . . .	1,37,319
47.	सिविल निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	4,98,373
50.	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	20,442

केरल राज्य सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
9	5	श्री वारियर	500 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों को मद्रास राज्य में लागू स्तर तक लाने के लिये राज्य को सहायता देने की आवश्यकता । . .	100
15	6	श्री वारियर	पुलिस कर्मचारियों को और अधिक वर्दियां देने तथा उन्हें निश्चित तिथियों पर देने की आवश्यकता ।	100
15	7	श्री वारियर	पुलिस कांस्टेबलों को और अधिक रिहायशी क्वार्टर देने की आवश्यकता । . . .	100
15	8	श्री वारियर	पुलिस चौकियों में पुलिस कर्मचारियों के लिये विश्राम-स्थल बनाने की आवश्यकता । . .	100
33	9	श्री वारियर	राज्य के राजपथों और गांवों की सड़कों की दुर्दशा ।	100
33	10	श्री वारियर	निर्धारित समय में खंड और जिला विकास कार्यों को पूरा करने में असफलता । . . .	100
43	11	श्री वारियर	केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था न करना ।	100

वर्ष 1965–66 के लिये केरल राज्य सम्बन्धी अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
9.	राज्यों के प्रमुख, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी .	53,400
10.	जिला प्रशासन और विविध .	20,000
12.	जेलें . . .	28,900
23.	मीन-क्षेत्र	6,01,100
43.	लोक-स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . .	1,50,000
47.	लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	5,50,000
53.	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	200
55.	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . .	45,00,000

केरल राज्य सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव रखे गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
9	2	श्री वारियर	अनुसचिवीय भ्रष्टाचार दूर करने की व्यवस्था का विस्तार करने की आवश्यकता। . .	100
10	3	श्री वारियर	कोचीन में तेल शोधनशाला के समीप उर्वरक तथा पेट्रो-रसायनिक कारखानों की स्थापना में शीघ्रता करने की आवश्यकता। . . .	100
12	4	श्री वारियर	निरुद्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता।	100
12	5	श्री वारियर	पैरोल पर रिहाई की और अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता।	100
12	6	श्री वारियर	निरुद्ध व्यक्तियों के सम्बन्धियों को जितनी बार अपेक्षित हो, भेंट करने की अनुमति देने की आवश्यकता। .	100

केरल राज्य संम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव रखे गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
12	7	श्री वारियर	राजनैतिक निरुद्ध व्यक्तियों के लिय कम-से-कम 100 रुपये मासिक परिवार भत्ता निश्चित करने की आवश्यकता ।	100
23	9	श्री वारियर	राष्ट्रीय महत्व के बुनियादी उद्योग के रूप में मीन क्षेत्रों का विकास करने के लिये एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता । . .	100
23	10	श्री वारियर	विभिन्न प्राचीन मत्स्यपालन केन्द्रों में मत्स्यपालन-बन्दरगाहों का विकास । . . .	100
23	11	श्री वारियर	मछूओं की और अधिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । . . .	100
23	12	श्री वारियर	सभी मत्स्यपालन बन्दरगाहों और मत्स्यपालन केन्द्रों में शीत भंडागार की सुविधायें कायम करने की आवश्यकता ।	100
23	13	श्री वारियर	केरल में नाइलोन का जाल तैयार करने वाला एकक स्थापित करने की आवश्यकता । . .	100
23	14	श्री वारियर	समुद्री डीज़ल इंजीन तैयार करने का एक कारखाना खोलने की आवश्यकता । . . .	100
47	16	श्री वारियर	केरल राज्य में, विशेषकर अल्लेप्पी ज़िले में पुरक्कड में, प्रभावी समुद्र कटाव निरोधक निर्माण कार्य करने की आवश्यकता । . . .	100
47	17	श्री वारियर	समुद्र कटाव निरोधक निर्माण करने के लिये अपेक्षित समस्त राशि के संघ सरकार द्वारा किये जाने की आवश्यकता ।	100
53	18	श्री वारियर	चावल के राशन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता । .	100
53	19	श्री वारियर	केरल में समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को अतरिक्त राशन देने की आवश्यकता । . .	100
53	20	श्री वारियर	राशन के चावल का दाम घटाने की आवश्यकता । .	100
53	21	श्री वारियर	केरल राज्य में बिना विलम्ब के कानूनी राशन-व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता । . .	100
53	22	श्री वारियर	15 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को केरल चावल और धान (वसूली कर) आदेश, 1964 से मुक्त करने की आवश्यकता । . . .	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी मांगे तथा कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : सरकार ने भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये एक सतर्कता आयोग की जो स्थापना की है इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आयोग भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकेगा क्योंकि यह एक सरकारी विभाग का ही अंग है, चाहे आयुक्त कितना ही ईमानदार और सचा क्यों न हो। इस समस्या को हल करने के लिये तो एक ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था की जानी चाहिये जो न्यायपालिका की तरह अथवा इससे भी अधिक स्वतंत्र हो और जिस पर सत्ताधारियों का कोई किसी प्रकार का दबाव न पड़ सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार के प्रति नही परन्तु विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये। हम इस बात को स्वीकार नही कर सकते कि यह आयोग सरकारी विभाग का ही एक अंग हो। परन्तु अभी हमें यह देखना चाहिये कि यह आयोग क्या सुधार करता है और तत्पश्चात् हमें अपने सुझाव देने चाहिये।

मांग संख्या 10 के संम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि इस में "पेट्रो-रसायनिक कारखानों का समूह" शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु मुझे आशंका है कि कोचीन में तेल शोधनशाला के निकट पेट्रो-रसायनिक कारखानों का कोई समूह स्थापित किया जा रहा है। चूंकि यह कार्य "फैक्ट" को ही सौंपा गया है अतः हमारा यह विश्वास है कि यह इस शोधनशाला के उत्पादों पर आधारित एक और उर्वरक कारखाना ही होगा। यह कोई इतना बड़ा संस्थान नही होगा कि जो इस शोधनशाला के उत्पादों और सभी संसाधनों का उपयोग कर सके। अतः सरकर से मेरा निवेदन है कि जब कोचीन शोधनशाला को चालू किया जाये तो इस के साथ साथ वह सभी पैट्रो-रसायनिक कारखाने भी स्थापित किये जाने चाहिये जिनकी आवश्यकता है ताकि केरल राज्य में औद्योगिक विस्तार किया जा सके जिस की बहुत आवश्यकता है।

अनुपूरक मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में जो तथाकथित साम्यवादी नजरबन्द हैं या तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए अथवा उन पर मुकदमे चलाये जाने चाहिये। यह हमारी समझ में नही आता है कि उनको इस लोकतंत्रीय अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है, जिसका उपयोग कोई भी नागरिक कर सकता है, चाहे वह डाकू हो अथवा कोई और अपराधी। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इन नज़रबंदों में अधिकांश लोग तो संसद के सदस्य ही हैं जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये चुन के भेजा है। परन्तु सरकार ने उन्हें नज़रबन्द कर के जनता को, जिन्होंने उन्हे चुन कर भेजा था, एक प्रकार का दंड दे दिया है क्योंकि संसद में उनका अब कोई प्रतिनिधि नही है। अखिरकार सरकार इन लोगों को इस अधिकार से कब तक वंचित रखेगी। इसकी कोई सीमा भी तो होनी चाहिये। जब तक इस मामले का निर्णय नहीं किया जाता तब तक उन्हे कम-से-कम संसद में तो बैठने दिया जाये ताकि वह लोग अपने मतदाताओं की इच्छायें तथा शिकायतें सभा के समक्ष रख सकें और उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। श्री गोपालन आजकल यहीं दिल्ली में है अतः उन्हें सभा की बैठकों में उपस्थित होने दिया जाना चाहिये। जब न्यायालय उन्हे यहां दिल्ली में बुला सकता है तो यह सभा उन्हें बैठकों में उपस्थित होने के लिये क्यों नहीं कह सकती है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

यह एक खेदजनक बात है कि जब चौथी योजना बनाई जा रही है केरल में कोई प्रतिनिधि सरकार नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है कि वहां पर राजनैतिक अस्थिरता है। परन्तु मेरे विचार में, राजनैतिक अस्थिरता का कारण योजनाओं की अस्थिरता है। केरल में मत्स्यपालन उद्योग को ही लीजिये, वहां पर जितनी क्षमता है उसके दसवें भाग का भी उपयोग नही किया जा रहा है। हमें इस उद्योग का विकास राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिये। हमें इस उद्योग में 50 से 60 करोड़ रुपये लगा कर सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये जिससे संयुक्त राज्य अमरीका, जापान अथवा स्केण्डेनेवियन देशों की तरह यहां भी इस उद्योग का पूरा विकास किया जा सके। यह उद्योग तेल शोधन शाला अथवा पैट्रो-रसायनिक कारखानों जैसे अन्य कई उद्योगों से कही लाभदायक रहेगी इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इससे सारे तटीय क्षेत्र का औद्योगिक

विकास भी हो जायेगा और लोगों को वहां पर सभी प्रकार की सुविधायें भी प्राप्त हो सकेंगी। परन्तु खेद इस बात का है कि जब भी हम सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव रखते हैं तो सरकार इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं होती है। निःसन्देह सरकार को अन्य बातों पर विचार करना होता है परन्तु यह तो राष्ट्रीय दौलत का एक प्रश्न है जोकि प्रकृति ने हमें दी है परन्तु हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। अतः चौथी योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार को यह उद्योग अपने हाथ में ले लेना चहिये ताकि इससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, केरल से आये समाचारों से पता चलता है कि वहां पर खाद्य स्थिती बिल्कुल संतोषजनक नहीं है हालांकि वहां पर उत्पादिकता देश भर में अधिकतम है। इस के बावजूद भी वहां पर खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है तो इसका कारण क्या है? इसका वास्तविक कारण यह है कि वहां पर लोगों को खाद्यान्न की अपेक्षा नकदी फसलों से अधिक लाभ होता है। अतः वे लोग नकदी फसलें उगा कर अनाज बाहर से मंगाने के लिये काफी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं और यदि वे लोग अनाज की खेती करना आरम्भ कर दें तो वे पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILL AND RESOLUTIONS

सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अ० शंकर आल्वा (मंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 8 सितंबर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 8 सितंबर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : DEVELOPMENT OF FAMINE AREAS

उपाध्यक्ष महोदय : पहला संकल्प श्री मच्छराजू के नाम में है और उन्होंने श्री पें० वेंकटासुब्बया को यह संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं :

[श्री पें० वेंकटासुब्बय्या]

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि, भारत के चिरकालिक अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढावा देने की दृष्टि से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था सहित एक अकाल-ग्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकार स्थापित किया जाये।"

इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विद्यमान अभाव की स्थिती की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। समय समय पर हमारे देश में अकाल पडते रहे हैं और इसका मुख्य कारण देश का वर्षा पर निर्भर होना है। भारत में लगभग ३ करोड लोगों पर इसका प्रभाव पडता है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश में अकाल की स्थिती दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे यद्यपि सरकार इसके लिये प्रयत्नशील रही है परन्तु आवश्यकता एक ऐसे प्राधिकार की है जो विशेष रुपसे यह काम अपने हाथ में लेकर देश को अकाल मुक्त कर सके। मेरा आशय मरुभूमि के लिये बने विकास प्राधिकार की तरह का ही एक प्राधिकार बनाये जाने से है। गोदावरी और कृष्णा नदियों पर बांध बनाने की योजनायें भी ब्रिटीश शासन काल से ही अकाल दूर करने के उद्देश्य को सामने रख कर बनी थी। दुर्भाग्यवश अकाल जैसी स्थिति अधिकतर दक्षिण में अर्थात् मद्रास, आंध्र, मैसूर तथा महाराष्ट्र और उत्तर में राजस्थान, गुजरात तथा दक्षिणी बिहार आदि राज्यों में उत्पन्न होती रहती है। हर दो वर्ष पश्चात् वहां अकाल पड़ता है और रायलसीमा क्षेत्र में तो अकाल का प्रकोप मुख्य रुप से सबसे अधिक होता है। यद्यपि गत तीन योजनाओं में सरकार ने इस ओर हर संभव प्रयत्न किया है परन्तू कोई व्यापक तथा प्रभावी योजना नहीं बनायी गई। अकाल आयोग, सिंचाई तथा रायलसीमा के विकास संबंधी प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है परन्तु प्रभावी कार्यवाही शेष है ताकि इन क्षेत्रों को अकाल मुक्त किया जा सके। सौभाग्य से इन क्षेत्रों में खनिज भण्डार काफी मात्रा में हैं। वहां उद्योग स्थापित करके वहा के जनता को रोजगार दिलाने में सहायता की जा सकती है। सिंचाई के लिये वहां तालाब भी बने हुये हैं परन्तु उन का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा; सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। यह कार्य एक प्राधिकार द्वारा पूरे करवाये जा सकते हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है कि सरकार यह संकल्प स्वीकार करके एक पृथक प्राधिकार बनाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस पर दो संशोधन हैं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मूल संकल्प तथा यह दो संशोधन सभा के समक्ष हैं। इसके लिये 2 घंटे का समय निश्चित है। माननीय सदस्य अपना भाषण 7 अथवा 8 मिनट तक ही सीमित रखें।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : यद्यपि सरकार द्वारा अकाल पड़ने पर सहायता दी जाती है परन्तु अब तक अकाल के मूल कारण दूर करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही इसके लिये पृथक रुप से धन की व्यवस्था की गई है। कटिहार क्षेत्र में अकाल पड़ने के 2 मुख्य कारण हैं। एक है वर्षा का पर्याप्त मात्रा में न होने से सूखा पड़ना और दूसरा है बाढ़। बिहार राज्य में 170 लाख रुपये मल्लिओर बांध के निर्माण के लिये विधान सभा द्वारा स्वीकृत किये गये थे परन्तु इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि इस बांध का निर्माण कार्य आरम्भ हो जाता तो आज कुछ आशा हो सकती थी कि इसके पूरा होने पर लाखों लोग भूखों मरने से बच जायेंगे। इसी कारण बेरोज़गारी भी गम्भीर रुप धारण करती जा रही है। बाढ़ और सूखा ने वहा के कृषि मज़दूरों को बेकार रहने पर बाध्य कर रखा है। खेद है कि गत 17 वर्षों में वहां सड़कों का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मैं माननीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री एवं खाद्य मंत्री से अपील करता हूं कि जब तक यह संकल्प पारित नहीं हो जाता तब तक वे अपनी ओर से हर संम्भव प्रयत्न करें और इस क्षेत्र को अगामी बाढ़ से बचायें।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करने के साथ ही यह अनुरोध करता हूं कि सरकार सारे देश का एक सर्वेक्षण करवाये ताकि उन क्षेत्रों को परिसीमित अथवा पता लगाया जा सके जहां अकाल आये दिन पड़ता रहता है। इस संकल्प का मनोरथ रोग का उपचार करना न होकर उन कारणों की रोकथाम करना है जिन से यह रोग उत्पन्न होता है। मेरे स्थानापन्न संकल्प का मनोरथ मूल संकल्प में प्रस्तावित प्राधिकार के कार्य को अधिक प्रभावी बनाना है क्योंकि मेरे संकल्प में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का परिसीमित किये जाने का अनुरोध किया गया है। मेरा अनुरोध है कि एक समिति नियुक्त कर दी जाये जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करके अपने सुझाव दे और यह भी बतायें कि क्या इस मनोरथ की प्राप्ति के लिये ऐसे प्राधिकार की आवश्यकता है अथवा नहीं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरा स्थानापन्न संकल्प मान लिया जाये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate Shri Matchraju for his Resolution which is before the House just now. My submission is that though the Food and Agriculture Ministry is headed by a very able person, yet I feel that if the energies of all the 45 crores of Indians are harnessed we can not only become self sufficient but produce for more than double the population of the country. The difficulty lies is not finding a proper solution of the problem. The fault also lies in the appointment of I.A.S. officers at the implementation level who have no practical background of agriculture. Farmers are told that they are not concerned with meetings held in connection with grow more food. Cow-dung etc. is not being properly utilised as manure. Boards and committees will not solve the food problem. The farmer should be given all the opportunity and facilities to prove his worth. Our rivers remain untamed and therefore useless.

The money being wasted on useless activities should be profitably invested on agricultural schemes. Russia's Budget is equally divided for children's education, Agriculture and Defence.

I would in the end request the hon. Minister to do something practical which is practicable also.

श्री हे० बी० कौजलगी (बलगांव) : मैं श्री पें० वेंकटासुब्बया द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का स्वागत करता हूं। हमारे देश के सभी भागों में किसी न किसी समय खाद्यानों कमी की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो कुछ भी किया गया है वह अस्थायी रूप से सहायता देने के बारे में था। इससे लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं हुई है।

इस संकल्प में मांग की गई है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यवाही की जाये और वहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा किया जाये।

मेरे क्षेत्र के लोगों को अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारने इस पर विचार किया था परन्तु यदि इसे केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा। केन्द्र सरकार को उदारता दिखानी चाहिये और स्थायी समाधान ढूंढना चाहिये। अकालग्रस्त क्षेत्रों में सब से पहले सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। और चौथी योजना में इसके लिये विशेष प्रबन्ध होना चाहिये।

इन क्षेत्रों में उद्योगों कीं स्थापना में भी प्राथमिकता मिलनी चाहिये। यहां पर लघु उद्योग लगाये जाने चाहियें।

Shri Sarjoo Pandey (Rarra) : Sir, I support this Resolution. Government has not been able to fulfil its promises. Ministers have been making misleading statements. They prove on the basis of statistics that there is no problem but there is no improvement in the lot of people. These problem should be tackled on non-party basis.

[Shri Sarjoo Pandey]

In my area there is always famine condition there. These are eastern districts of U. P. As Shri Yashpal Singh has said Government is spending money on useless items. Numerous officers have been appointed. They are doing no useful work. Government funds should be utilised for small irrigation schemes. This will help in increasing the food output.

Awards of 'Krishi Pandit' are given to the favourites of officials. Those persons do not deserve this at all. Famine condition has become very acute in my area. People are compelled to take other things than food stuffs.

We are passing through very critical times. There is restlessness everywhere. People are agitating for essential things. In such circumstances bureaucrats are taking undue advantage. They do not pay proper attention to problems being faced by the people. Thus there is no solution for poor masse's difficulties.

Government should pay proper attention to these problems. I hope Government will accept this resolution and bring forward a Bill incorporating main features of this resolution.

श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैंने दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में कार्य किया है और वहां की स्थिति से अवगत हूं। मैं जानता हूँ कि लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस लिये एक संस्था बनानी चाहिये जो इस समस्या के समाधान पर ठीक प्रकार से विचार कर सके। हमारे देश में कई बार दुर्भिक्ष फैला है सरकार ने इस बारे में एक संहिता तैयार किया था। परन्तु वह अब पुरानी बात हो गई है। और वह केवल अस्थायी व्यवस्था थी। हमें इस सम्बन्ध में स्थायी प्रबन्ध करना चाहिये।

भारत में केवल 20 प्रति शत भूमि के लिये सिंचाई का प्रबंध है। इसमें वृद्धि होनी चाहिये। जब सिंचाई योजनायें बनाई जायें तो दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। मेरे जिले में हर तीसरे या पांचवें वर्ष खाद्य पदार्थों के बारे में स्थिति खराब हो जाती है। इस बारे में अवश्य कुछ होना चाहिये उस क्षेत्र में यदि सिंचाई व्यवस्था के सुधारने और उद्योगों की स्थापना पर एक करोड़ रुपये खर्च कर दिया जाये तो बहुत प्रगति हो सकती है। दुर्भिक्ष से छुटकारा पा लिया जायेगा। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये और चौथी योजना में इस के लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Deputy-Speaker, to day the whole country is facing a situation of famine and scarcity due to wrong policies of the Government. It appears that a situation has developed when one part of the country or the other will be facing the situation of famine or scarcity in future also. Therefore, I think, under the circumstances, the Resolution before the House is very timely and the hon. Ministers of Food and Agriculture and Irrigation and Power shall pay attention to it. It is, however, doubtfull whether the setting up of a Development Authority will be much usefull in solving the problem when three five Years Plans could not prove much successful in this direction. The whole problem is, therefore, reduced to the question of approach and framing a definite policy to overcome the situation of famine and scarcity in the country.

If we go into the problem we will come to know that the causes of famines or scarcity are floods and draughts. The problem of draughts can be solved by bringing under irrigation as much land as possible. As we know some of the areas have become prone to floods because while constructing roads, railway lines or canals under the plans a comprehensive aspect was not taken into consideration.

We have been talking of socialism for the last eighteen years but the gap between the incomes of the rich and the poor is constantly increasing. We are not implementing our plans properly. Nearly 30 per cent of our resources are dissipated due to corruption or wasteful expenditure while irrigation and other schemes cannot be sponsored or implemented due to shortage of funds. If a crash programme of irrigation is undertaken by the Government we can provide irrigation facilities all over the country within five years. More resources can be made available if disparities in incomes of different income groups is reduced and a ceiling of Rs. 1,000 per month is put on incomes.

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Deputy-Speaker, I rise to support the Resolution under discussion. It is unfortunate that in spite of best efforts being made by the Government and even after the execution of three Five Year Plans poverty stares the people in the face. In all the States, there are certain areas where scarcity is a permanent feature. No doubt, our National income has increased during the last years but the wealth produced during the five year plans has concentrated in the hands of a few people. This is absolutely an unsatisfactory state of affairs. Socialism has no meaning without a proper distribution of wealth produced in the country. So long as it is not done, scarcity conditions will continue to prevail in the country.

The Government could not provide irrigation facilities to the cultivators. Pressure on land is constantly increasing as there are no other avenues of employment in rural areas. Pressure on land should be relieved by starting small scale and cottage industries in the country-side. Special emphasis should be laid on small irrigation works.

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नही है जो चिरकाल से अकालग्रस्त हो क्योंकि आधुनिक परिवहन साधन उपलब्ध होनेसे तथा केन्द्रीय योजना के परिणाम स्वरूप अनाज एक स्थान से दुसरे स्थान पर शीघ्र पहुंचाया जा सकता है । कुछ ऐसे स्थान अवश्य हैं जहां वर्षा बहुत कम होने के कारण उत्पादन कम होता है जिन्हें दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्र कहा जा सकता है ।

देश में कुछ क्षेत्र अभावग्रस्त हैं । इन क्षेत्रों में गरीब लोक रहते है । इन क्षेत्रों में यदि वर्षा न हो तो वहां पर अनाज का उत्पादन नहीं होता है । इसके परिणाम स्वरूप वहां के लोगों कि दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है सरकार ने इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वहां लोग अनाज की कमी के कारण न मरने पायें ।

हमारा देश विकासोन्मुख है । अत: हमें अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करने चाहिये इसके लिये हमें कुछ क्षेत्रों का चुनाव करना चाहिये क्योंकि हमें न केवल किसी क्षेत्र विशेष की अपितु समूचे देश की अनाज की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए उत्पादन करना चाहिये । इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र के लिये कोई सिंचाई पर योजना बनाई जाती है तो वह सारे देश के हितको ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहिये । सरकार को किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

प्रस्तावित प्राधिकार के बन जाने से किसी क्षेत्र को दुर्भिक्ष का सामना न करना पड़े । इसे प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता तथा दुर्भिक्ष की संभावना से पहले ही कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिये ताकि समय पर प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

[श्री० बाकर अली मिर्जा ।]

तेलंगना, रायल सीमा, मैसूर आदि में अभावग्रस्त क्षेत्र है जहा तुंगभद्रा परियोजना उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिये बनाई गई थी। वहां पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था करने के लिये निर्माणाधीन परियोजनायें को पूरी की जानी चाहिये। हमें बाध आदि का निर्माण करते समय दुर्भिक्षपीड़ित क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हमें अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करना चाहिए। इसके लिये सरकार को उपयुक्त योजना तैयार करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : देश में अनेक भाग ऐसे है जो प्राय: दुर्भिक्षपीड़ित रहते है या उन्हें तीसरे चौथे वर्ष दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है। इन मे अधिकांश भागों में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ जाते है। प्राचीन काल में लोग दुर्भिक्ष पड़ने पर रोज़गार कि खोज़ में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। इस प्रकार उन्हें बनजारों का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। किन्तु आज स्थिति में काफी सुधार हो गया है क्योंकि राज्यों ने इस सम्बन्ध में कई उपाय किये है किन्तु उपाय अस्थाई हैं उनसे समस्या का स्थायी हल नही निकल सकता। सामुदायिक विकास परियोजनाओं से इस सम्बन्ध में कुछ सहायता मिली है किन्तु दुर्भाग्य की बात है इन परियोजनाओं मे समन्वय नही है। अत: यदि सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के लिये कोई केन्द्रीय प्राधिकार होगा तो वह समस्या हल करने में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। यह प्राधिकार विभिन्न विभागोंमें समन्वय स्थापित करेगा।

रायल सीमा में स्थिति बहुत खराब थी किन्तु उसमें अब कुछ सुधार हो गया है। इसी प्रकार के कुछ क्षेत्र मैसूर राज्य में भी है। सरकार को इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कोई भी क्षेत्र उपेक्षित नहीं रहना चाहिये। केन्द्रीय प्राधिकार को उपेक्षित तथा दुर्भिक्षपीड़ित रहने वाले क्षेत्रों के लिये दीर्घकालीन उपाय करने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Deputy Speaker, water is essential to increase the production. It is unfortunate that the Government have not been able to utilise the water available from the rivers. Government are providing fertilizers to the farmer to increase the production but fertilizers cannot alone produce more. In some areas of Bundel-Khund, there is a great scarcity of water. Men and cattle drink the water from the same pond. Government should realise this unfortunate state of affairs in the country and make some arrangements to provide water there.

Government should not import foodgrains from United States in exchange of gold of the country but purchase the available stocks from the farmers in the country. Water should be made available in the droughts areas for irrigation as well as drinking purposes so that production of foodgrains can be increased. It is also necessary that the officers appointed in the Blocks should be persons who have interest in the works entrusted to them.

Inadequate means of transport are great obstacles in increasing production because the farmer cannot bring their produce in the market in time when he can get adequate price for them. Therefore, the Government should take steps to provide adequate means of transport in rural areas.

Shri K. N. Tiwary (Bagha) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in view of increasing defence expenditure we are not able to spend as much on the production of foodgrains as we wanted.

No doubt the production has increased during the last 15 or 16 years and for that purpose the money spent on irrigation etc. has not been wasted.

It is wrong to suggest that we should not import foodgrains from outside. I think that apart from Australia, Canada, America and France, there is no country in the world which is not importing foodgrains. Even after 49 years of independence, Russia has imported 6 million tonnes of wheat from Canada.

Production of foodgrains cannot be increased at once. It is not an easy job. It is not at all possible to check certain unforeseen calamities such as drought and other such reasons.

In India the production has increased much during 1964-65. Even then there is shortage of foodgrains. I think the present shortage is due to controls and zonal system. Controls lead to hoarding and this is encouraging disintegration of the country. My submission is that controls should be removed as soon as possible and zonal system should be removed at least for coarse grains.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Mr. Speaker, Sir, a development authority should be set up for my area. Man-made Famine conditions are regular features in North Bihar. Every facility is there but the rate of electricity is very high. It is 27 Paise per unit there while at other places it is 9 Paise per unit. It is said that they would be given subsidy when they apply for it. It is very strange. To bring uniformity in the whole country the rates of electricity charged in North Bihar should be reduced so that poor farmers can make use of it. The famine in North Bihar is due to Government policy.

It is necessary that enough funds should be made available to the development authority to be appointed for famine areas so that it can take effective steps to do away with famine conditions. The yshould submit their report after minute study of the areas so that you can render help there.

North Bihar is a predominantly agricultural area. There the *per capita* income is Rs. 80 per annum as against Rs. 300 per annum in other parts of the country. Such areas should be developed so that people can come at per with peoples in other parts of the country. In Darbhanga and Chhpra areas the income of people is not more than 12 or 13 Paise. A development authority should be appointed for such areas.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जकार्ता में भारतीय दूतावास पर हमला

Ransacking of the Indian Embassy at Jakarta

Shri Madhu Limaye : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public importance :

"Attacking on Indian Embassy at Jakarta by Indonesian Public on the 9th September, 1965."

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार को 9 सितम्बर, 1965, की प्रात: इस घटना की रिपोर्ट मिली, लगभग 700 इन्डोनेशियाई व्यक्तियों की एक भीड़ जकार्ता स्थित भारतीय राजदूतावास की इमारत के निकट पहुंचा और उसने अन्धाधुन्ध तौर पर तथा बिना देखे-भाले दूतावास के सम्पत्ति की, जिसमें फाइलें, फर्नीचर तथा कार्यालय का सामान शामिल है, तोडफोड तथा विनाश करने में जुट गया। इस उपद्रवी भीड ने राजदूत की सरकारी कार को और दूतावास की एक अन्य कार को चकनाचूर कर दिया तथा एक अन्य कार को आग लगा दी। उन्होंने महात्मा गांधी, राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के फोटो को भी तोड़-फोड कर नष्ट कर दिया। इस भीड ने राष्ट्रीय झंडे को भी नीच उतार दिया। लगभग 100 व्यक्तियों की एक भीड भारतीय सूचना कार्यालय की ओर गयी तथा वहां इंडोनेशिया का झंडा फहरा दिया। उन्होंने भारतीय राज्य चिन्ह को भी निकाल दिया और प्रदर्शन-खिडकियों पर लाल रंग पोत दिया। इमारत पर नारे लिख दिये गये जिसमें उस पर इन्डोनेशिया की सम्पत्ति के रूप में दावा किया गया था। हमारे जन-सम्पर्क अधिकारी तथा सूचना विभाग कर्मचारियों को इमारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया और जन-सम्पर्क अधिकारी से कहा, "भारत वापस जाओ।"

जकार्ता स्थित हमारे राजदूत ने बताया कि वह इस पर कडा विरोध प्रकट कर रहे हैं। व्यापक रूप से पहुंचायी गयी हानि के लिये हम क्षतिपूर्ति का भी दावा कर रहे हैं। इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री की ओर से इन्डोनेशिया के सरकाराध्यक्ष भारतीय राजदूत से मिले और उन्होंने इस घटना के प्रति खेद प्रकट किया। उन्होने भारतीय झंडे को, जिसे भीड दूतावास से उतार कर ले गई थी, वापस दे दिया। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि सरकार को इस घटना के बारे में किसी भी प्रकार कोई पूर्व जानकारी थी। दिल्ली स्थित इन्डोनेशिया के राजदूत को आज प्रात: वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि सरकार इस घटना को बहुत गम्भीर समझती है।

सभा को पता है कि इंडोनेशिया और भारत के लोगों में बडे निकट के सम्पर्क रहे हैं। इन्डोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में इंडोशिनेया तथा भारत ने बहुत ही सहयोग से कार्य किया था, सरकार को दु:ख है कि इन्डोनेशिया सरकार ने हमारे दूतावास पर ऐसा आक्रमण होने दिया जो कि कूट-नीतिक मिशनों के संरक्षण की सभी मान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के विरुद्ध है।

Shri Madhu Limaye : It is India who have helped Indonesia in her freedom-struggle. I want to know the reasons of bad relations of India with countries like Indonesia and Cambodia and the steps being taken by the Government to improve the situation.

Mr. Speaker : This does not come within the calling attention notice as such I am not allowing it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : कल की घटना पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे विद्रोही प्रदर्शनों का ही परिणाम है। इन प्रदर्शनों का मतलब है कि हमने ही पाकिस्तान पर हमला किया है। समाचार पत्र भी यही कहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सरकारी या गैर-सरकारी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस विवाद के बारे में इन्डोनेशिया को वास्तविक स्थिति समझाने के लिये कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है कोई कदम उठाए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने के बारे में वास्तविक स्थिति के बारे में हमारे राजदूत ने समय समय पर वहां की सरकार, वहां के मंत्रियों और वहां की जनता और विदेशी कार्यालय से बातचीत की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठियों जम्मू तथा काश्मीर में आये और किस प्रकार छाम्ब क्षेत्र में भारी आक्रमण हुआ। लेकिन लगता है कि यह प्रतिक्रिया वहां पर जनता के एक वर्ग की विशेषत: साम्यवादी दल की है और यह प्रदर्शन उनके ही द्वारा आयोजित लगता है।

Shri Bagri : Mr. Speaker, Sir, when India helped a lot in the freedom struggle of Indonesia, then what are the causes, in the assessment of the Government, which have led to this estrangement between India and Indonesia?

श्री स्वर्ण सिंह : कई बार इन्डोनेशियाई यों ने बताया है कि खेल-कूद के बारे में सोंधी कांड के बाद और बाद में मलेशियाको मान्यता दिये जाने के बाद स्थिति बिगडी। सामान्यत: इंडोनेशियाईयो नें यही कहा है। इस बारे हमने अपना रवैया स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। हम नहीं समझते कि उनके इस प्रकार विद्रोही रवैया अपनाने का कोई औचित्य है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उडीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक को इंडोनेशिया भेजा गया था क्योंकि वह श्री सुकर्ण के बडे पुराने मित्र हैं, क्या वह वापस आ गये हैं, क्या उन्होंने सम्बन्ध सुधारने के बारे में कोई वार्ता की है और क्या उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे साथी ने एक अन्य दिन इसका उत्तर दे दिया था। उन्होंने बताया था कि सरकार को इसका पता है कि वह वहां गैर-सरकारी तौर पर गए थे।

श्री अल्वारेस : पाकिस्तान-चीन-इंडोनेशिया में भारत विरोधी गठजोड और इसके राजनीतिक और सैनिक परिणामों को देखते हुए सरकार इंडोनेशिया द्वारा मुकाबले की संभावित घटना का सामना करने के लिये कोई प्रति-उपाय कर रही है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो एक काल्पनिक सुझाव है। मैं सभी कल्पनाओं का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह प्रश्न बडा सीधा है। इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं है। चीन ने भारत को धमकी का नोट दिया है। इंडोनेशिया हम पर आक्रमण करने का आरोप लगा रहा है और आक्रांत को सहायता का वचन दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कल्पना कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंडोनेशिया के पाकिस्तान के साथ मिलने और हमसे अलग होने पर हम क्या कार्यवाही करेंगे, यह एक भिन्न बात है।

श्री अल्वारेस : हमारी नीति हिन्दी चीनी भाई भाई की थी और जब मेरे दल के सदस्यों ने इस सभा में किसी संभावित विवाद की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो हमें लडाई भडकाने वाला कहा गया। मैं इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता। मैने केवल इतना कहा था कि इस विस्फोटक स्थिति में इंडोनेशिया उन देशों से अलग हो जाएगा जिनके साथ उसका मेल नहीं खाता यहां पर उन्होंने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का पक्ष लिया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहा कही हमारे हितों का सम्बन्ध है, हम अपने हितों के संरक्षण के लिये सभी सम्भव कदम उठा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह केवल पहली बार ही नही हूं कि इंडोनेशियाई भीड ने जकार्ता स्थित हमारे दूतावास पर हमला किया हो। जब हमने मलेशिया का नैतिक समर्थन किया था तो तब भी उन्होंने हमारे राजदूतावास पर हमला किया था। क्या मैं जान एकता हूं कि क्या हमारी सरकार इडोनेशियाई सरकार को यह बताने को तैयार है कि यदि जकार्ता स्थित हमारे राजदूतावास पर इस प्रकार बर्बरतापूर्ण हमले जारी रहे तो भारत में जनता दिल्ली स्थित इंडोनेशियाई राजदूतावास पर हमला करेगी ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : इस जंगलीपन के पीछे इंडोनेशियाई सरकार का हाथ स्पष्ट नजर आता है क्यों कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्रीने कहा है कि वे इस प्रकार विरोधी प्रकट करने के आदी है। यदि ऐसा है तो इंडोनेशिया में हमारे राजदूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सर्वमान्य परम्पराओं के अन्तर्गत काम करने वाले किसी भी कूटनीतिक मिशन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उस देश की सरकार पर है जिस देश में वे प्रतिनिधि भेजे गये हों। इस मामलेपर इंडोनेशिया सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

श्री हेम बरुआ : इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चाहिये।

श्री नाथ पाई : क्या उनको पता नही है कि श्री सुबन्द्रियो ने भीड को बधाई दी और कहा "आपने बडा अच्छा काम किया है"?

श्री हेमू बारुआ : इससे सरकार की सहमति का पता चलता है।

Shri Ram Sevak Yadav : As the Hon'ble Minister of External Affairs has said that the main cause was some incident about sports. If so, the relations could have been improved. I want to know the main cause of Indonesia, who was once our friend, taking side of Pakistan?

Mr. Speaker : Each country sees his own interests.

श्री भानु प्रकाश सिंह : जकार्ता में इस प्रकार का प्रदर्शन आपत्तिजनक है। लेकिन इससे ज्यादा आपत्तिजनक इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का वक्तव्य है। क्या सरकार यह नही समझती कि यह उपद्रव पूर्व-नियोजित था और क्या जकार्ता स्थित हमारे राजदूत ने अपने सामयिक प्रतिवेदनों में भारत सरकार को इंडोनेशियाई सरकार के बदलते हुए रवैये के बारे में सूचित किया था और हमारे विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के साथ बिगडते हुए सम्बन्धों को सुधारने के लिय क्या कदम उठाये। भारत और इंडोनेशिया के बीच सम्बन्ध और बिगडने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बता चुका हुँ कि वहां पर भीड का रवैया बडा आपत्तिजनक था। प्रदर्शन कारियों को बधाई देने के बारे में हमें अपने मिशन से अभी सरकारी कागजात नहीं मिले हैं। वास्तव में इस घटना के बाद वहां के स्वागताध्यक्ष हमारे राजदूत के पास गये और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री की ओर से खेद प्रकट किया।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को इंडोनशिया के चीन और पाकिस्तान के साथ मिल कर भारत के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्यवाही के बारे में विश्वास है और यदि हां, तो क्या सरकारने इंडोनेशिया सरकार को यह चेतावनी दे दी है कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को दी जाने वाली कोई भी सहायता को, शस्त्रों अथवा व्यक्तियों के रूप में, इस सरकार द्वारा, इस देश की जनता द्वारा भारत के विरुद्ध आक्रमण की कार्यवाही समझा जायगा और उसका, उसी रूप में सामना किया जाएगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया है तो पाकिस्तान को शस्त्र देने वाले अथवा उसकी सहायता करने वाले किसी भी देश का कार्य विद्रोहात्मक समझा जाएगा।

श्री प्र० के० देव : यदि इंडोनेशियय के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त करना संभव नहीं है तो क्या यह अपने राजदूत को वापस बुलाने और वहां पर कार्यावाहक राजदूत रखने के लिये उपयुक्त समय नहीं है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह केवल एक सुझाव है।

श्री कपूर सिंह : क्या जकार्ता में हुई इस घटना से इंडोनेशियाई जनता के किसी सामान्य निश्चित रवैया का पता नहीं चलता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें इसमें इंडोनेशियाई जनता को शामील नहीं करना चाहिये।

श्री सोलंकी (कैरा) : क्या इस घटना के पीछे चीन सरकार का कोइ हाथ है।

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे मे मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : केवल हमारे राजदूतावास मे ही नहीं बल्कि हमारे सूचना केन्द्र में, भारतीय दुकानदारों और वहां पर रहने वाले भारतीयों के साथ भी गडबड की गयी है... क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार वहां पर राजदूतावास में या व्यापारियों के रूप में काम करने वाले भारतीयों के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और यदि सरकार उनका संरक्षण नहीं कर सकती तो मेरा निवेदन है कि उनको इंडोनेशिया छोडने को कहा जाय ?

श्री कपूर सिंह : दुकानदारों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बता चुका हूं कि हमारे राजदूतावास के सदस्यों के संरक्षण के लिये वहां कि सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने अभी तक यह नहीं कहा कि वे जिम्मेवार नहीं है और इसीलिये हमें उस सरकार को जिम्मेवार ठहराना चाहिये। सरकार के जरीए के अलावा उनके संरक्षण का और कोई मार्ग नहीं है और मैंने अभी यह आशा नहीं त्यागी है कि इस बारे में इंडोनेशिया सरकार अन्त - र्राष्ट्रीय मान्यताओं का पालन करेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अदोनी) : इंडोनेशिया हमारे देश से घृणा करता है और इसका उन्होंने हमारे राजदूतावास को क्षति पहुचा कर और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की बेइज्जती करके प्रदर्शन किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बारे में हर संभव कदम उठाएगी और इंडोनेशिया सरकार को यह बतायेगी कि यदि उन्होंने ठीक से व्यवहार न किया तो इस सरकार को भी बदले की कार्यवाही करने को विवश होना पडेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं "बदले की" शब्द इस्तेमाल करने में हिचकता हूं।

Shri Sheo Narain : They have not left even our national flag.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In view of our embassy being attacked time and again, I want to know whether Government are taking steps to improve deteriorating relations with those countries or closing down their mission there. Whether there is Chinese hand behind this incident or not?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका तो मैं उत्तर दे चुका हूं कि चिनी हाथ इसमें है या नही। जहां तक दूतावास को बन्द करने का सवाल है, माननीय सदस्य ने कोई नई बात नहीं कही है।

Mr. Speaker : Is there any question of closing down our mission there?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इसका भी उत्तर दे चुका हूं।

Shri R. S. Pandey : The attention of the Minister of External Affairs has been drawn to the fact that Radio Djakarta is making publicity against India and the leaders there are appealing to other countries for helping Pakistan. In view of this are we considering to break our diplomatic relations with Indonesia?

श्री स्वर्ण सिंह : वही प्रश्न फिर दोहराया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : The Govt. herself knows that the policy of lodging protests has failed. In view of this may I know the concrete steps being taken by Government in this respect.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दे चुका हूं।

सैनिक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEFENCE OPERATIONS

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं सभा को पाकिस्तान द्वारा हमारे राज्यक्षेत्रपर किये गये आक्रमण से निपटने के लिये हमारे द्वारा किये गये उपायों के बारे में कुछ बताना चाहुंगा।

जम्मू-सियालकोट क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं के साथ, जो हमारी बढ़ती हुई सेनाओं के रोकने के लिये बहुत अधिक मात्रा में शस्त्रास्त्र लायी थीं, भारी युद्ध हुआ है। इस के बावजूद भी हम काफी आगे बढ़ गये हैं और शत्रु को बहुत सी क्षति पहुंचाने के पश्चात हम अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। हमारे सैनिकोंने यहां पर स्थल युद्ध में कोई 28 टैंक नष्ट किये हैं और हमने बहुत से सैनिकों को बन्दी बना लिया है। इस युद्ध में हमें शस्त्रास्त्रों की काफी क्षति हुई है परन्तु यह पाकिस्तान को हुई क्षति की तुलना में बहुत कम है।

डेरा बाबा नामक क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा पुल उडाये जाने के बावजूद भी हमारे दस्ते नदी के दुसरी ओर बढ़ गये हैं। अब वहां पर दोनों ओर से भारी गोलाबारी हो रही है।

वागाह क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा किये गये जवाबी हमलों को पछाड दिया गया है।

खलरा क्षेत्र में हमारी प्रगति संतोषजनक है।

कसूर क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा टैंकों के साथ बड़े भारी हमले किये जाने के कारण हमें कुछ अग्रिम मोर्चों से पीछे हटाना पड़ा है। 9 सितम्बर को हुई इस मुठभेड में हमारे थल सैनिकों ने एक दिन में कोई 23 टैंक नष्ट किये। पाकिस्तान ने फीरोजपूर के निकट हमारी सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों पर भारी गोलाबारी की है परन्तु हम अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। फिरोजपुर नगर में भी कुछ गोले गिरे हैं।

सुलेमानकी क्षेत्र में सभी पाकिस्तानी हमले पछाड दिये गये है और केवल एक मुठभेडके पश्चात ही हमने 70 पाकिस्तानी सैनिकों के शव गिने हैं।

जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के बारे में कोई विशेष सूचना नही है परन्तु वहां पर रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है।

जौड़ियां क्षेत्र में आगे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुंछ की ओर से हमारे सैनिक उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने कुछ और चौकियों पर पुनः कब्जा कर लिया है।

शत्रु ने जामनगर हवाई अड्डे पर हमला कर दीया है और द्वारका बन्दरगाह पर भी गोलाबारी की है जिससे उस क्षेत्र में प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही का किया जाना आवश्यक हो गया है।

हमारी वायु सेनाने हमारी स्थल सेना की सहायता के लिय कार्य जारी रखा है और वह पश्चिमी पाकिस्तानी में उन हवाई अड्डों को काफी क्षति पहुंचा रही है जहां से शत्रु द्वारा हमारे राज्य क्षेत्र पर हमले किये जाते रहे हैं। हवाई हमले में हमारी सेना ने एक गाड़ी को आग लगा दी जोकि 23 पैटन टैंक अग्रिम मोर्चो पर ले जा रही थी और उससे उनको भारी क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 10 और टैंक नष्ट किये गये।

सरगोधा तथा अन्य हवाई अड्डों पर हमारे विमानों ने हमले किये जिससे शत्रु के नीचे खड़े विमानों, उनके प्रतिष्ठानों तथा विमान पट्टियों को क्षति पहंची। कोई विशेष हवाई लड़ाई नहीं हुई है। परन्तु हमारा एक हंटर विमान नष्ट हो गया है और एक मिस्टरे विमान को क्षति पहुंची और उसे मजबूर हो कर हमारे राज्य क्षेत्र में नीचे उतरना पड़ा। पाकिस्तान हमारे हवाई अड्डों पर विशेषकर हलवाड़ा, आदमपुर तथा पठानकोट के हवाई अड्डों पर आक्रमण करता रहा है परन्तु वह हमें कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचा सका हैं। भूमि से गोलाबारी द्वारा एक पाकिस्तानी एफ-86 विमान जम्मू में गिराया गया और इसी प्रकार एक पाकिस्तानी बी-57 बमवर्षक को अमृतसर में गिराया गया।

संघर्ष को बढ़ाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी परन्तु सैनिक दृष्टि से छम्ब क्षेत्र में, पाकिस्तान द्वारा किये गये भारी हमले को रोकने के लिये हमें कारगर उपाय करने पड़े। समूचे रूप से हम अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं। हमन पाकिस्तानी सेना को कई क्षेत्रों में रोके रखा है और पाकिस्तान द्वारा किये गये जवाबी हमलों को पछाड दिया है तथा हमारे सैनिक अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। प्रमासान की लडाई जारी है और हमारे जवान और वायु सेना बडी शूरवीरता से शत्रुसेना का सामना कर रही है।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कुल मिलाकर हमारा जो प्रयोजन है वह सीमित-सा है और वह है पाकिस्तान द्वारा हमारे राज्यक्षेत्रों पर किये गये हमलों को रोकना। हम आशा करते है कि पाकिस्तान महसूस करेगा कि, हम भारत को काश्मीर जिसका एक भाग है, प्रादेशिक अखण्डता में हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। हम संघर्ष के क्षेत्र को बढ़ाना नहीं चाहते हैं परन्तु यह पाकिस्तान है जिसने पूर्वी पाकिस्तान-भारत सीमा पर गोलाबारी करना आरम्भ कर दिया है। हमें इस बात का पता नहीं है कि वे क्या करना चाहते हैं परन्तु हम प्रत्येक स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं।

पाकिस्तान जम्मू, रणबीरसिंहपुरा जोड़ियां, अमृतसर, फिरोजपुर आदि में असैनिक ठिकानों पर गोलाबारी करता रहा है और इससे असैनिक माल और जान की काफी क्षति हुई है। पाकिस्तान द्वारा विदेशों में किये जा रहे इस विद्वेशपूर्ण प्रचार के बावजूद कि हमने रावलपिण्डी तथा कराची में असैनिक क्षेत्रों पर गोलाबारी की है, हमने ऐसी कोई कार्यवाही नही की है। हम केवल उनके हवाई अड्डों पर ही हवाई हमले करते रहे हैं जहां से वे हम पर आक्रमण करते रहे हैं। यह पाकिस्तान है जो अनुचित तरीके अपना रहा है जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि हमारे विमान चालकों ने एक पाकिस्तान एफ्-86 विमान पर भारतीय वायु सेना के चिन्ह देखे हैं। हमें आशा है कि पाकिस्तान अब भी इन झूठी बातों को करना छोड देगा जोकि वह उस समय से कर रहा है जबसे उसने जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सशस्त्र लोगों को भेस बदल कर भेजा है।

अकालग्रस्त क्षेत्रों के विकास के बारें में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : DEVELOPMENT OF FAMINE AREAS—*Contd.*

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले इस संकल्प के प्रस्तावक को बता देना चाहता हूं कि मैं इन उद्देश्यों को पूरी तरह से समझता हूं जिनकी पूर्ति के लिये यह संकल्प रखा गया है और मुझे इन से पूर्ण सहानुभूति है।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

कमी वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिये हमें प्रभावी कार्यवाही करनी होगी जिससे वहां के लोगों को अकाल, महामारी और भुखमरी से बचाया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हम उन क्षेत्रों के विकास के लिये सिंचाई परियोजनाओं, संचार तथा औद्योगीकरण के बारे में उपाय करते रहे हैं ताकि लोगों को स्थायी रूप से राहत मिले। मैं मानता हूं कि जो कुछ किया गया है वह पर्याप्त नहीं है परन्तु मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पिछली तीन योजनाओं में हमने उन क्षेत्रों में कई सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की हैं जिससे वहां के लोगों को स्थायी रूप से राहत मिली है और उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भी हुआ है। अब वह बात नहीं रही है जो पहले कही जाती थी कि अकाल, महामारी और बाढ़ तो प्राकृतिक आपत्तियां हैं और इन से नहीं बचा जा सकता, हम अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इन आपत्तियों का मुकाबला कर सकते हैं और कर रहे हैं।

यह भी महसूस किया जाना चाहिये कि इन सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ हमें भूमि तथा जल प्रबन्ध की नई विधियों को भी सीखना होगा जिनका विकास संसार के विभिन्न भागों में किया गया है और जिनको अपनाने से उन क्षेत्रों में भी फसल उगाई जा सकती है जहां बहुत कम वर्षा होती है। हाल ही में मैं आस्ट्रेलिया गया था जहां कई क्षेत्रों में औसतन 7 से 8 इंच वार्षिक वर्षा होती है परन्तु इसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने फसल उगा कर, भेड़ें अथवा ढोरों को पाल कर आर्थिक विकास किया है। दूसरा उदाहरण इज़राइल का दिया जा सकता है जहां पर उक्त नई विधियों का पूरा लाभ उठा कर वहां के रेगिस्तान को उर्वरा क्षेत्रों में बदल दिया गया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि रेगिस्तान विकास बोर्ड के प्रस्ताव को समस्त क्षेत्र के लिये क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं रेगिस्तान विकास बोर्ड के सम्बन्ध में भी बताऊंगा। अभी तो मैं यह बता रहा था कि अब हमें ऐसे तरीकों की जानकारी है जिनसे प्रकृति की शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है और विकास किया जा सकता है। इसीलिए हमने भूमि तथा जल प्रबन्ध का अध्ययन करने के लिये एक शाखा खोली है और इस सम्बन्ध में एक कृषि विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है।

इस संकल्प में एक अकाल ग्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकार की नियुक्ति के लिये जो प्रस्ताव किया गया है वह अव्यावहार्य है क्योंकि अकाल ग्रस्त क्षेत्र विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं जहां परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। अतः यह समस्या केवल एक प्राधिकार की स्थापना करने मात्र से हल नहीं की जा सकती है। इस समस्या को सुलझाने के लिये प्रत्येक राज्य को स्वयं विकास परियोजनायें चालू करनी पड़ेंगी। इस के अतिरिक्त हमने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार किये हैं और चौथी योजना में ऐसे कार्यक्रमों के लिये 60 करोड़ रूपये नियत किये हैं। यह कार्यक्रम इसलिये तैयार किये गये हैं ताकि सम्बन्धित राज्य सरकारों की इस समस्या को सुलझाने में कुछ सहायता की जा सके। अन्ततोगत्वा तो यह सारा कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से ही किया जाना है। यह सुझाव दिया गया है कि इस प्राधिकार में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि हों और इसकी विभिन्न राज्यों में शाखायें हों। चाहे कुछ भी क्यों न किया जाये अन्ततोगत्वा इन शाखाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से ही कार्य करना पड़ेगा। अतः सरकार इन सुझावों की जहां सराहना करती है वहां यह महसूस करती है कि हमें इन क्षेत्रों के विकास के लिये सभी प्रयत्न करने चाहिये ताकि इन क्षेत्रों को अकाल से हमेशा के लिये बचाया जा सके। हम इन क्षत्रों का विकास एक आयोजित तरीके से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से हम इन क्षेत्रों को दया जीवन देने के

प्रयोजन से हम न केवल सिंचाई परियोजनाओं का ही विकास करेंगे बल्कि उन क्षेत्रों के लिये बिजली की भी व्यवस्था करेंगे जो कि उन की आवश्यकताओं के लिये नितान्त आवश्यक है। मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि हम इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और देखेंगे कि चौथी योजना में इस के लिये न केवल पर्याप्त व्यवस्था ही की जाये परन्तु राज्य सरकारों को प्रोत्साहन भी दिया जाये ताकि वह इस समस्या को हल करने के लिये ठीक दिशा में कार्यवाही कर सकें। इस समस्या को राज्य सरकारों के पूरे सहयोग से ही हल किया जा सकता है। सरकार इस बात पर भी विचार करने के लिये तैयार है कि क्या इस प्रयोजन के लिये किसी प्राधिकार अथवा बोर्ड की आवश्यकता है। इस आश्वासन के आधार पर मैं प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को वापिस ले लें।

जहां तक इस प्रस्तावित संशोधन का सम्बन्ध है कि अकाल वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाये, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे पास पहले ही वर्षा सम्बन्धी और वहां की परिस्थितियों के बारे में आंकड़े विद्यमान हैं जिनसे इन क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। अतः मैं संशोधन के प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि वह इस के लिये आग्रह न करें।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : माननीय मंत्री ने रेगिस्तान विकास प्राधिकार अथवा बोर्ड की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने का आश्वासन दिया था और मुझे आशा है कि वह अब इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस मामले का सम्बन्ध दो अथवा तीन राज्य सरकारों से है और हम उन से इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं जब वह मान जायेंगी तो हम एक प्राधिकार को नियुक्त कर देंगे। मुझे आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक एक प्राधिकार को नियुक्त किया जा सकेगा। परन्तु हम इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही इसलिये कर रहे हैं ताकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को हल करने के लिये विभिन्न प्रदेशों में कार्यवाही की जा सके।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या माननीय मंत्री इस विषय पर इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को उन प्राधिकारों तक पहुचायेंगे जिनसे उन्होंने सलाह करनी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां ; निश्चय ही हम ऐसा करेंगे।

श्री दा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : कृषि के लिये बिजली के दरों को प्रत्येक राज्य में एक जैसा बनाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बिल्कुल ही एक अलग प्रश्न है। इस प्रयोजन के लिये मद्रास के उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसने कुछ सिफारिशें की हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जायेगी। एक जैसी दरें निश्चित करना तो सम्भव नहीं होगा फिर भी हम चाहते है कि एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये जिससे किसी राज्य में इस से अधिक दर न ली जा सके।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मेरा विचार यह है कि अकाल को समाप्त करने के प्रयोजन से देश के विभिन्न भागों में स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये एक उपयुक्त प्राधिकार का होना आवश्यक है। अकाल वाले क्षेत्रों में जो परियोजनायें चालू की गई हैं उनकी क्रियान्विति में शीघ्रता लाई जानी चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि तुंगभद्रा उच्चस्तरीय योजना के पूरे हो जाने से आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में अकाल पड़ना बन्द हो जायेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दें और यदि उनको यह जच जाये कि एक प्रशासी प्राधिकार का होना अधिक लाभदायक रहेगा तो उन्हें इसकी स्थापना करनी चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक न एक दिन इस निष्कर्ष पर पहूंचेंगे कि एक ऐसे प्राधिकार की स्थापना करना आवश्यक है।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया]

चूंकि मंत्री महोदय ने इन समस्याओं की ओर पूरा ध्यान देने का आश्वासन दिया है, अतः मैं सभा से अपने संकल्प को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संशोधनों को भी वापिस लिया जा रहा है।

श्री यशपाल सिंह (कैरान) : जी, हां।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।/*Amendment Nos.* 1 *and* 2 *were by leave, withdrawn.*

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*Resolution was, by leave, withdrawn.*

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 13 सितम्बर, 1965/22 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Monday, September, 13, 1965/Bhdara 22, 1887 (Saka).

GIPN—S6 –32 Lok Sabha/65—9-6-66—600